सत्यमेव जयते

स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित

31 मार्च **2014** को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

LFkkuh; fudk;ksa

ij

okf"kZd rduhdh fujh{k.k izfrosnu

Hkkjr ds fu;a=d egkys[kkijh{kd dh rduhdh ekxZn'kZu ,oa i;Zos{k.k ij vk/kkfjr

31 ekpZ 2014 dks lekIr o"kZ ds fy,

e/; izns'k 'kklu

fo"k; lph		
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii से x
Hkkx & 1 ¼ uxjh; LFkkuh; fudk;		
v/;k; & ,d uxjh; LFkkuh; fudk;ksa ds foRr ,oa ys[kkdu izfØ;k ij fogaxkoyksdu		
प्रस्तावना	1.1	1
प्रशासनिक व्यवस्थाएँ	1.2	1
लेखापरीक्षा योजना का क्रियान्वयन	1.3	2
लेखांकन व्यवस्थाएँ	1.4	2
लेखापरीक्षा व्यवस्थाएँ	1.5	3
राजस्व के स्त्रोत	1.6	4
बजट आवंटन एवं व्यय	1.7	4
नगरीय स्थानीय निकायों में निधियों, कार्यों एवं कार्यकारियों का हस्तांतरण	1.8	5
लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति	1.9	5
बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना	1.10	5
कर राजस्व/गैर कर राजस्व की लंबित वसूली	1.11	6
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	1.12	6
13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय स्थानीय निकायों को जारी तथा उपयोग किया गया अनुदान	1.13	7
निष्कर्ष	1.14	10
v/;k; & nks ¼ ys[kkijh{kk dafMdk;sa		
नगरीय सेवाओं के निष्पादन के प्रबंधन के लिए सेवा स्तर मानदण्ड	2.1	11
जल शोधन संयंत्र पर निष्फल व्यय	2.2	27
वन विभाग की भूमि पर कार्य संपादित किये जाने के कारण अपव्यय	2.3	28

Hkkx & 2 ¼ iapk;rh jkt laLFkk,¡		
v/;k; & rhu iapk;rh jkt laLFkkvksa dh foRrh; ,oa ys[kkadu izfØ;k ij fogaxkoyksdu		
प्रस्तावना	3.1	31
पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्थाएँ	3.2	32
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियां	3.3	32
लेखापरीक्षा योजना का क्रियान्वयन	3.4	33
लेखांकन व्यवस्थाएँ	3.5	33
लेखापरीक्षा व्यवस्थाएँ	3.6	34
राजस्व के स्त्रोत	3.7	35
पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियाँ एवं व्यय	3.8	36
पंचायती राज संस्थाओं में निधियों, कार्यों एवं कार्यकारियों का हस्तांतरण	3.9	36
बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं करना	3.10	36
अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	3.11	37
निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति	3.12	37
13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को जारी एवं उपयोग किया गया अनुदान	3.13	37
निष्कर्ष	3.14	42
v/;k; & pkj ¼ ys[kkijh{kk dafMdk;sa		
पंचायतों की प्राप्तियाँ	4.1	43
योजना निधि बैंक के बाहर रखने के कारण ब्याज की हानि	4.2	50
मनरेगा निधि का व्ययवर्तन	4.3	52

परिशिष्ट – नगरीय स्थानीय निकाय		i"B Ø-
परिशिष्ट – 1.1	लेखापरीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों की सूची	55
परिशिष्ट – 1.2	राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण	58
परिशिष्ट – 1.3	बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं करना	59
परिशिष्ट – 1.4क	असंग्रहित कर राजस्व का विवरण पत्रक	61
परिशिष्ट – 1.4ख	असंग्रहित किराया एवं प्रीमियम का विवरण पत्रक	63
परिशिष्ट – 1.5	असंग्रहित गैर कर राजस्व (जल प्रभार) का विवरण पत्रक	64
परिशिष्ट – 1.6	असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का विवरण	66
परिशिष्ट – पंचायती राज संस्थाएँ		i"B Ø-
परिशिष्ट – 3.1	पंचायती राज संस्थाओं में बैंक समाधान विवरण पत्रक नहीं बनाये जाने का विवरण	67
परिशिष्ट – 3.2	असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का विवरण	72
परिशिष्ट – 3.3	पंचायती राज संस्थाओं को 13वें वित्त आयोग अनुदान का विलम्ब से जारी करना	74
परिशिष्ट – 3.4	जिला/जनपद पंचायतों के मध्य सामान्य निष्पादन अनुदान का गैर अनुपातिक वितरण	76
परिशिष्ट – 4.1	लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों की सूची	78
परिशिष्ट – 4.2	सम्पत्ति कर अधिरोपित करने वाले ग्राम पंचायतों की सूची	80
परिशिष्ट – 4.3	किसी प्रकार के कर अधिरोपित नहीं करने वाले ग्राम पंचायतों की सूची	82
परिशिष्ट – 4.4	ग्राम पंचायतों की सूची जिनके द्वारा कर लगाने की प्रक्रिया का पालन करने सम्बंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया	83
परिशिष्ट – 4.5	जल प्रभार अधिरोपित एवं संग्रहित करने वाले ग्राम पंचायतों की सूची	84
परिशिष्ट – 4.6	प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायतों की सूची	86
परिशिष्ट – 4.7	कोई अधिरोपित कर संग्रहित नहीं करने वाले ग्राम पंचायतों की सूची	88
परिशिष्ट – 4.8	कर मांग एवं संग्रहण पंजी संधारित नहीं करने वाले ग्राम पंचायतों की सूची	89
परिशिष्ट – 4.9	योजना निधि को डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में रखने के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	90
परिशिष्ट – 4.10	मनरेगा निधियों के व्ययवर्तन करने वाले ग्राम पंचायतों विवरण	92

ikDdFku

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

प्रतिवेदन में वर्ष 2013–14 के अवधि में पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों पर की गई टिप्पणियों को शामिल किया गया है । यह प्रतिवेदन दो भागों में है । भाग – 1 में नगरीय स्थानीय निकाय तथा भाग – 2 में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां की गई हैं ।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वर्ष 2013–14 की लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये लेखाओं की लेखापरीक्षा से सम्बंधित हैं तथा ऐसे प्रकरण जो विगत वर्षों में प्रकाश में आए परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, ऐसे प्रकरण भी जो वर्ष 2013–14 के बाद के हैं, आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानक जो कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित हैं कि पुष्टि के लिए लेखापरीक्षा की गयी है ।

विहंगावलोकन

fogxkoykdu

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं । भाग – 1 नगरीय स्थानीय निकाय और भाग – 2 पंचायती राज संस्थाएँ हैं । प्रत्येक भाग में दो अध्याय सम्मिलित है; प्रथम 'वित्त एवं लेखांकन प्रक्रिया पर एक विहंगावलोकन' है तथा द्वितीय 'लेखापरीक्षा कंडिकाओं' पर है । जांच के मुख्य बिन्दुओं के सारांश नीचे वर्णित हैं :

Hkkx & 1 % uxjh; LFkkuh; fudk;

v/;k; & ,d % uxjh; LFkkuh; fudk; d foRr ,o y[kkdu ifØ;k ij ,d fogxkoykdu

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अनुसार एक्रूअल आधारित लेखा प्रणाली को नहीं अपनाया । नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतू भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की जाती है ।

¼dfMdk 1-4½

बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार न किये जाने के कारण नगरीय स्थानीय निकायों के रोकड़ पुस्तक एवं बैंक शेषों में अंतर रहा जिससे निधि के कपटपूर्ण दुरूपयोग की संभावना है ।

¼dfMdk 1-10½

वर्ष 2012–13 के अंत तक 48 नगरीय स्थानीय निकायों में आरोपित राजस्व कर एवं गैर राजस्व कर राशि ₹ 845 करोड़ के वसूली हेतु लंबित थे ।

¼dfMdk 1-11½

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को 13वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक व्यय के आधार पर नहीं किया जाकर नगरीय स्थानीय निकायों को जारी निधि के आधार पर प्रस्तुत किया गया ।

¼dfMdk 1-13-1½

राज्य सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ।

¼dfMdk 1-13-2½

v/;k; & nk % y[kkijh{kk dfMdk;

ogr dfMdk

uxjh; lokvk d fu"iknu d ic/ku d fy, lok Lrj ekun.M %

भारत सरकार ने नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए जवाबदेही बढ़ाने के लिए पेयजल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वर्षा जल निकासी को शामिल करते हुए सेवा स्तर बेंचमार्किंग का शुभारंभ किया । 13वें वित्त आयोग ने भी निष्पादन अनुदान के आहरण हेतु राज्य शासन द्वारा नगरीय सेवाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति की शर्त लागू की गयी ।

¼dfMdk 2-1-1½

चार नगरीय स्थानीय निकायों में जल की निरंतर एवं गुणात्मक आपूर्ति सेवाओं के कनेक्शन भारत सरकार द्वारा निर्धारित 100 प्रतिशत के बेंचमार्क की तुलना में कम थे । निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि बहुत ही कम थी; सबसे कम इन्दौर में (31 से 34 प्रतिशत) थी । वर्ष 2013–14 में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बेंचमार्क के विरूद्ध 55 से 100 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति थी । जल आपूर्ति सेवाओं के मूल्य की वसूली हेतु निर्धारित 100 प्रतिशत बेंचमार्क के विरूद्ध दो नगर पालिक निगमों में 28 से 50 प्रतिशत एवं दो नगर पालिका परिषदों में 2 से 14 थीं ।

¼dfMdk 2-1-4-2] 2-1-4-7] 2-1-4-12 ,oa 2-1-4-17½

सीवरेज सेवा, नगर पालिक निगम, इन्दौर को छोड़कर, अन्य किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों में अस्तित्व में नहीं थीं । यहां तक कि इन्दौर में उपलब्ध कराये गये सेवा के मूल्य को वसूल नहीं किया गया ।

¼dfMdk 2-1-4-3] 2-1-4-8] 2-1-4-13 ,oa 2-1-4-18½

चारों नगरीय स्थानीय निकायों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रह उसके कुल उत्पादन का 86 से 100 प्रतिशत था । हालांकि संग्रहित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का लैंडफिल साइटों पर निपटान केवल इन्दौर में किया गया, जहां नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान केवल सात प्रतिशत था ।

¼dfMdk 2-1-4-4] 2-1-4-9] 2-1-4-14 ,oa 2-1-4-19½

शासन ने वर्षा जल निकासी नेटवर्क की उपलब्धि 70 से 90 प्रतिशत दर्शाया, यद्यपि नगरीय स्थानीय निकायों ने इस हेतु अभिलेख संधारित नहीं किया ।

¼dfMdk 2-1-4-5] 2-1-4-10] 2-1-4-15 ,oa 2-1-4-20½

yunuk dh ys[kkijh{kk

नगर परिषद, राजगढ़ ने शुद्ध पीने का जल उपलब्ध कराने हेतु अगस्त 2009 में जल शुद्धीकरण संयंत्र खरीदा जो ₹ 36.44 लाख का व्यय करने के पश्चात भी स्थापित और परिचालित नहीं था क्योंकि जल वितरण हेतु नई पाईपलाईन्स नहीं बिछाई गई थी ।

¼dfMdk 2-2½

ग्वालियर नगर निगम द्वारा गृह निर्माण का कार्य वन विभाग की भूमि पर कराने के कारण वन विभाग द्वारा रोक दिया गया । परिणामस्वरूप किया गया व्यय ₹ 25.55 लाख निष्फल सिद्ध हुआ ।

¼dfMdk 2-3½

Hkkx & nks % iapk;rh jkt laLFkk,¡

अध्याय – तीन : पंचायती राज संस्थाओं के वित्त एवं लेखांकन प्रक्रिया पर विहंगावलोकन

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों की राशि ₹ 147.98 करोड़ कम विभाजित किए गए । बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार न किये जाने के कारण पंचायती राज संस्थाओं के रोकड़ पुस्तक एवं बैंक शेषों में अंतर रहा जिससे निधि के कपटपूर्ण दुरूपयोग की संभावना है ।

¼dfMdk 3-7½

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम के अनुसार राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधियों, कार्यों एवं कार्यविधियों का हस्तांतरण नहीं किया गया । पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संधारित लेखा आदर्श पंचायत लेखा प्रणाली मे निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं थे ।

¼dafMdk 3-9½

पंचायती राज संस्थाओं को 13वें वित्त आयोग के अनुदानों का हस्तांतरण अत्यंत विलम्ब से किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर राशि ₹ 6.82 करोड़ का ब्याज के रूप में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा ।

¼dafMdk 3-13-1½

राज्य सरकार ने भारत सरकार को 13वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक व्यय के आधार पर नहीं किया जाकर पंचायती राज संस्थाओं को जारी अनुदान के आधार पर प्रस्तुत किया गया ।

¼dafMdk 3-13-2½

विभाग ने न ही स्वंय के द्वारा बनाये हुए एवं न ही वित्त विभाग द्वारा कार्ययोजना में दिये गये सुझाव को अपनाया जिसके कारण जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के मध्य सामान्य निष्पादन अनुदान का गैर अनुपातिक वितरण हुआ ।

¼dafMdk 3-13-4½

v/;k; & pkj % ys[kkijh{kk dafMdk;sa

o`gr dafMdk

iapk;rksa dh izkfIr;ka %

मध्य प्रदेश सरकार ने अनिवार्य करों अर्थात सम्पत्ति कर, प्रकाश कर, वृत्ति कर, मवेशी के विक्रय हेतु पंजीयन शुल्क, साथ–ही–साथ वैकल्पिक करों जैसे जल दर, जल निकासी, उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति/भूमि/सम्पत्ति का पेशा कर आदि लगाने हेतु नियम बनाये ।

¼dafMdk 4-1-1½

छियालिस प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा अनिवार्य करों का आरोपण एवं वसूली नहीं किया गया । सम्पत्ति कर एवं प्रकाश कर का आरोपण क्रमशः 54 एवं 59 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया । वृत्ति कर का आरोपण केवल छह प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया । ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह सिद्ध हो सके कि करों का आरोपण ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर था ।

¼dafMdk 4-1-3-1 ls 4-1-4½

ग्राम पंचायतों ने वैकल्पिक करों एवं शुल्कों का आरोपण नहीं किया गया, जबकि केवल 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा जल दर का संग्रहण किया गया ।

¼dafMdk 4-1-5½

राज्य शासन द्वारा पंचायतों को बिना उनके द्वारा करों के अधिरोपण/संग्रहण की प्रगति सुनिश्चित किये प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया, करों की वसूली की धीमी गति का मुख्य कारण पंचायतों द्वारा शास्ति का अधिरोपण नहीं करना था ।

¼dafMdk 4-1-6½

ynunk dh y[kkijh{kk

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा गलत निर्णय के कारण मनरेगा निधि राशि ₹ 29.51 करोड़ चार महीने तक बैंक से बाहर रही जिसके परिणामस्वरूप योजना निधि को ₹ 39.35 लाख के ब्याज की हानि हुई और राशि ₹ 29.51 करोड़ की बढ़ी हुई उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया ।

¼dfMdk 4-2½

जनपद पंचायत, शिवपुरी के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा निधि ₹ 23.68 लाख का योजना के अतिरिक्त अन्य मदों पर व्यय किया गया ।

¼dfMdk 4-3½

अध्याय – 1

नगरीय स्थानीय निकायों के वित्त एवं लेखांकन प्रक्रिया पर विहंगावलोकन

Hkkx & 1 % uxjh; LFkkuh; fudk;

v/;k; & 1

uxjh; LFkkuh; fudk;ksa dh foRr ,oa ys[kkadu ifØ;k ij fogaxkoyksdu

1-1 iLrkouk

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) में परिकल्पित है कि राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा नगरीय निकायों को ऐसी शक्तियॉ और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्वशासी सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हों और ऐसी विधियों में है जो नगरीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं ।

संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के 74वां संशोधन के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों और जिम्मेदारियों को निहित करते हुये स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्था बनाया गया था । तद्नुसार, राज्य शासन ने इन संस्थाओं को नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली, बड़े शहरी क्षेत्र के लिये नगर पालिक निगमों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिकाओं तथा संक्रमणकालीन क्षेत्रों[1] के लिये नगर परिषद में पुनर्गठित किया है ।

वर्तमान में राज्य में 14 नगर पालिक निगम 100 नगर पालिका एवं 246 नगर परिषद हैं ।

मध्य प्रदेश राज्य की प्राथमिक जानकारी के साथ–साथ राष्ट्रीय औसत नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	राज्य ऑकड़े	अखिल भारतीय औसत
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में हिस्सेदारी	प्रतिशत	6	–
शहरी जनसंख्या	करोड़	2	38
शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी	प्रतिशत	28	31
साक्षरता दर	प्रतिशत	71	74
लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरूष)*	अनुपात	930/1000	940/1000

*(स्त्रोतः * 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार)*

1-2 iz'kklfud 0;oLFkk,¡

मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों द्वारा सभी नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गये कार्यों के निर्वहन के लिए राज्य प्राधिकार अन्तर्गत उपलब्ध निगरानी अधिकार की शर्तों के अनुसार अधिकृत किया गया है । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं नगरीय स्थानीय निकाय की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है :

---

1 निर्दिष्ट क्षेत्र से अभिप्राय है कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित किये जा सकने वाले जनसंख्या घनत्व, राजस्व उत्पत्ति, कृषि गतिविधियों, आर्थिक महत्व आदि।

uxjh; LFkkuh; fudk;k dh lxBukRed lajpuk

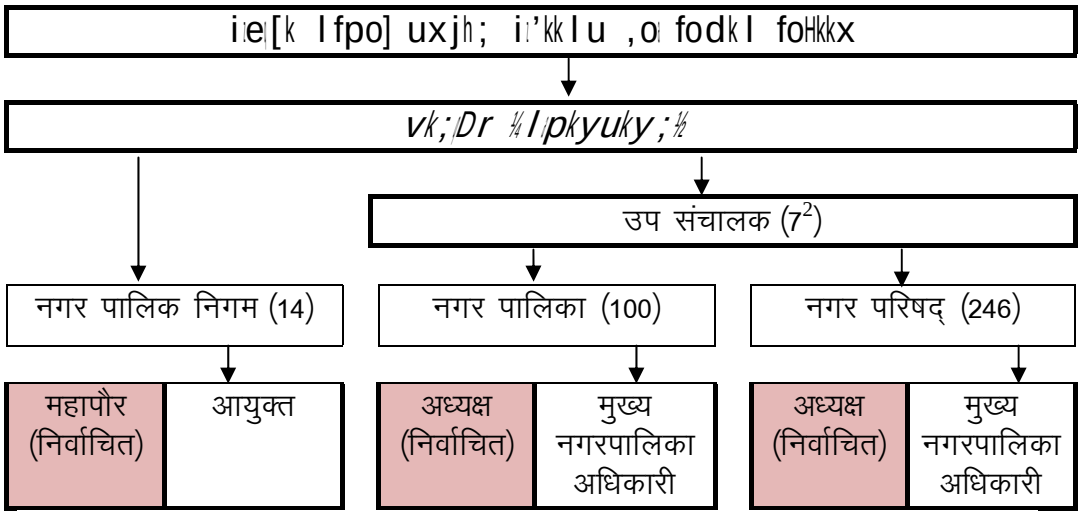

1-3 y[kkijh{kk ;kstuk dk fØ;kUo;u

वर्ष 2013–14 के दौरान 360 नगरीय स्थानीय निकायों में से 68 नगरीय स्थानीय निकायों (08 नगर पालिक निगम, 21 नगर पालिका परिषद एवं 39 नगर परिषद) एवं संचालनालय की लेखापरीक्षा की गई । विवरण ifjf'k"V 1-1 में दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त चार नगरीय स्थानीय निकायों (दो नगर पालिक निगम[3] एवं दो नगर पालिका परिषद[4]) में 'शहरी सेवाओं के निष्पादन प्रबंधन हेतु सेवा स्तर मानदण्ड' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई ।

1-4 y[kkdu dh 0;oLFkk,¡

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए बजट एवं लेखांकन प्रारूप प्रस्तावित किया, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा संहिता नाम दिया गया । मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता जुलाई 2007 में प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 1 अप्रैल 2008 से एक्रूअल आधार पर लेखाओं को संधारण करना लागू किया गया, जैसा कि राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा संहिता में सुझाव दिया गया था ।

68 नगरीय स्थानीय निकायों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 5 नगर पालिक निगमों[5] द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अनुसार बजट एवं लेखों का संधारण किया गया, 30 नगरीय स्थानीय निकायों (नगर पालिक निगम, बुरहानपुर, 12 नगर पालिका परिषद[6] और 17 नगर परिषद[7]) द्वारा बजट एवं लेखों का संधारण मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अनुसार न कर प्रचलित मध्य प्रदेश

---

2 भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर एवं उज्जैन

3 बुरहानपुर और इन्दौर

4 पिथमपुर और राघोगढ़

5 जबलपुर, कटनी, सागर, सतना और सिंगरौली

6 अमरवाड़ा, अम्बा, बालाधाट, बारासिवनी, धनपुरी, कोलार, मलाजखण्ड, मण्डला, नौगांव, परासिया और टिकमगढ़

7 अकोदिया, आठनेर, बड़कुही, भैंसदेही, बम्हनी बंजर, बरेली, बरघाट, गोटेगांव, हाट पिपल्या, लोहरदा,लोधीखेड़ा, माण्डू, पिपलोदा, राजगढ़, शाहगंज, शहपुरा और तेंदूखेड़ा

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार किया गया तथा 33 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई ।

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि 360 नगरीय स्थानीय निकायों में से 14 नगर पालिक निगमों में मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता को अपनाया है तथा 26 नगर पालिका परिषद एवं 15 नगर परिषदों में मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता अपनाने की प्रक्रिया प्रगतिरत है ।

1-5 y[kkijh{kk 0;oLFkk,¡

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों की, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा (नवम्बर 2001) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अधीन लायी गयी । महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) द्वारा की गई स्थानीय नगरीय निकायों की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजी गयी ।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जानी थी । तदनुसार राज्य शासन ने मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन (जनवरी 2012) किया, जो कि वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है ।

वर्ष 2012–13 की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया (अगस्त 2014)। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावेगी (अगस्त 2014) ।

Hkkjrh; y[kk ,oa y[kkijh{kk foHkkx }kjk rduhdh ekxZn'kZu ,oa lgk;rk fn;k tkuk

लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 की धारा 152, में नगरीय स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अंतर्गत निम्नानुसार व्यवस्थाए है :

- स्थानीय निधि संपरीक्षक, नगरीय स्थानीय निकायों की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा तथा इसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित करेगा ।
- स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा के विधि एवं प्रक्रिया, प्रदेश के विभिन्न अधिनियम एवं संविधि के अंतर्गत करेगा जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाये ।
- प्रणाली में सुधार एवं सलाह के लिए, निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियॉ, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित की जायेंगी ।

वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा तैयार कर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित किया गया और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा समय–समय पर सुझाये गये विधि एवं प्रक्रिया का पालन किया

गया । निरीक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को पुनरीक्षण हेतु प्रेषित किया गया ।

संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश के मध्य मई 2014 में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 की धारा 152 के उपरोक्त प्रावधानों को पालन किये जाने की सहमति हुई ।

1-6 jktLo dk óksr

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 के प्रावधानों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों में आय के दो मुख्य स्त्रोत, सरकारी अनुदान तथा स्वयं का राजस्व है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- वित्त आयोग के अंतर्गत सौंपा गया अनुदान
- राज्य शासन या अन्य स्त्रोतों से राज्य शासन की पूर्वानुमति से प्राप्त ऋण
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विभाजकीय कर राजस्व[8] का एक प्रतिशत

वर्ष 2013–14 के दौरान तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विभाज्यनीय अनुदान निम्नानुसार थाः

rkfydk & 1-1 foHkkT;uh; vuqnku

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	jkT; ljdkj dk foHkkT;uh; vuqnku	uxjh; LFkkuh; fudk;ksa dk LFkkukarfjr fd;s tkus okys vuqnku	uxjh; LFkkuh; fudk;ksa dk okLrfod LFkkukarfjr vuqnku
2013–14	23940.00	239.40	170.81

(स्त्रोत : वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस प्रकार वर्ष 2013–14 में वित्त विभाग द्वारा विभाज्यनीय अनुदान ₹ 68.59 करोड़ स्थानीय नगरीय निकायों को कम दिया गया ।

1-7 ctV vkoaVu ,oa O;;

राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों (राज्य के कर राजस्व में अंश, योजना निधि तथा अनुदान आदि) का आवंटन निम्नानुसार था :

rkfydk & 1-2 % ctV vkoaVu ,oa O;;

¼₹ djksM+ esa½

ctV vkoaVu				O;;			vO;f;r 'ks"k
o"kZ	jktLo	iwathxr	dqy	jktLo	iwathxr	dqy	
1	2	3	4	5	6	7	8 ¼4&7½
2009–10	2878.76	391.83	3270.59	2726.60	208.55	2935.14	335.45
2010–11	3577.21	323.15	3900.36	2983.60	202.64	3186.24	714.12
2011–12	4148.30	208.00	4356.30	3743.23	152.54	3895.77	460.53
2012–13	5271.89	215.09	5486.98	4879.63	138.50	5018.13	468.85
2013–14	6547.97	124.21	6672.18	5435.55	53.18	5488.73	1183.45
dqy	22424-13	1262-28	23686-41	19768-61	755-41	20524-01	3162-40

(स्त्रोत : विनियोग लेखे – अनुदान संख्या 22, 53, 68 और 75)

[8] विभाजकीय निधि = पूर्व वर्ष के कुल कर राजस्व – उदगृहित करों के लिए व्यय का दस प्रतिशत – पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों को प्राप्य योग्य राजस्व

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रति वर्ष अधिक मात्रा में अव्ययीत शेष रहे । हमने यह भी देखा कि आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्त्रोतों की प्राप्ति एवं व्ययों का विवरण संधारित नहीं किया गया । मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 116 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 98 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को शामिल करते हुये बजट अनुमान तैयार कर राज्य शासन को भेजा जाना आवश्यक था ।

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बताया कि (जुलाई 2013) उक्त को संग्रहीत किया जाकर लेखापरीक्षा को भेजा जाएगा। जानकारी अप्राप्त है (मई 2014) ।

1-8 fuf/k;ksa] dk;ksZa ,oa dk;ZdkfjZ;ksa dk gLrkarj.k

राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संविधान के 12वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 18 कार्यों को सौंपा गया जिसका विवरण ifjf'k"V& 1-2 में दिया गया है, जबकि सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त निधियों एवं कार्यकारियों का हस्तांतरण नगरीय स्थानीय निकायों को नहीं किया गया (मार्च 2014) ।

1-9 cdk;k fujh{k.k izfrosnuksa ,oa dafMdkvksa dh fLFkfr

निरीक्षण प्रतिवेदन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत, तकनीकी मार्गदर्शन हेतु संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को भेजा गया । स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लंबित लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर अनुपालन की कार्यवाही की जानी थी । यद्यपि, हमने देखा कि मार्च 2014 के अंत में 670 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 4971 कंडिकाएं, वर्ष 2013–14 के दौरान जारी 69 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 700 कण्डिकाओं सहित निराकरण हेतु लंबित थी जिनका विवरण निम्नानुसार है :

rkfydk & 1-3 % cdk;k fujh{k.k izfrosnuksa vkSj df.Mdkvksa dh fLFkfr

l- Ø-	o"kZ	iwoZ 'ks"k $ o"kZ ds nkSjku izkIr		fujkdj.k		vUr 'ks"k	
		fujh- izfr- dh la-	dafMdkvksa dh la-	fujh- izfr- dh la-	dafMdkvksa dh la-	fujh- izfr- dh la-	dafMdkvksa dh la-
1	2009–10	420	3565	42	957	378	2608
2	2010–11	85	643	5	96	80	547
3	2011–12	86	795	2	139	84	656
4	2012–13	61	603	2	143	59	460
5	2013–14	69	700	–	–	69	700
	;ksx	721	6306	51	1335	670	4971

(स्त्रोतः मासिक प्रतिवेदन)

सितम्बर 2014 में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया और 1146 कण्डिकाओं का निराकरण वर्ष 2013–14 के दौरान किया गया ।

1-10 cSad lek/kku fooj.k i=d rS;kj ugha fd;k tkuk

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम, 1971 के नियम 97–98 के अनुसार रोकड़ बही के अंत शेष एवं बैंक लेखों के मध्य अंतर, यदि कोई हो, का मिलान करनेवाला समाधान विवरण पत्रक प्रत्येक माह तैयार किया जाना चाहिये । 68 स्थानीय नगरीय निकायों की नमूना जांच में हमने पाया कि 46 निकायों में बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं

किया गया । फलस्वरूप 31 मार्च 2013 की स्थिति में 12 स्थानीय नगरीय निकायों[9] में बैंक शेष रोकड़ बही शेष की तुलना में ₹ 149.72 करोड़ कम था और 34 नगरीय स्थानीय निकायों (5 नगर पालिक निगम[10], 11 नगर पालिका परिषद[11], 18 नगर परिषद[12]) में बैंक शेष रोकड़ बही शेष की तुलना में ₹ 9.74 करोड़ अधिक था, जैसा कि **ifjf'k"V&1-3** में दर्षाया गया है । यद्यपि, 31 स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई ।

रोकड़ पंजी का बैंक शेष से मिलान कर समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किये जाने से राशि के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

1-11 jktLo ,o xSj jktLo djksa dh olwyh u gksuk

म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 में वर्णित प्रावधानों के तहत नगरीय निकाय अपने स्त्रोतों पर कर, भाडा, शुल्क एवं अनुज्ञति जारी करना इत्यादि पर राजस्व अर्जित करता है । राजस्व एवं गैर राजस्व करों की प्राप्ति नहीं होनें की दशा में नगरीय निकाय म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 से 183 में निहित आवश्यक शक्तियों का उपयोग राजस्व वसूली हेतु कर सकता है ।

हमने देखा (अप्रैल 2013 से जनवरी 2014) कि 48 नगरीय निकायों द्वारा राजस्व कर ₹ 689.67 करोड़ (मार्च 2013) तक आरोपित किया गया, जो अप्राप्त था । कुल 45 नगरीय निकायों द्वारा राशि ₹ 685.25 करोड संपति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, विकास उपकर, बाजार शुल्क एवं मनोरंजन कर के रूप में अधिरोपित किया गया जिसे **ifjf'k"V 1-4¼v½** एवं राशि ₹ 4.42 करोड़ किराया एवं प्रिमियम जो 14 नगरीय निकायों (**ifjf'k"V 1-4¼v½** के 11 निकाय को सम्मिलित करते हुए) द्वारा अधिरोपित किया गया, जिसे **ifjf'k"V 1-4¼c½** में दर्शाया गया है, अप्राप्त था । नगर पालिक निगम कटनी द्वारा राशि ₹ 1.29 करोड की कर वसूली की गयी जो मांग से अधिक थी । नगर परिषद सुबासरा एवं मंदसौर द्वारा कोई कर अधिरोपित नहीं किया गया था एवं शेष 21 नगरीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उसी प्रकार, गैर राजस्व कर (जलकर) कुल 38 नगरीय निकायों द्वारा राशि ₹ 155.63 करोड़ अप्राप्त था, जिसे **ifjf'k"V 1-5** में दर्शाया गया है, जबकि अधिनियम की धारा 173 से 183 अनुसार नगरीय निकायों द्वारा अवसूलीकृत करों के वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी । शेष 30 नगरीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई ।

1-12 vLFkk;h vfxzeksa dk lek;kstu u fd;k tkuk

म.प्र. नगर पालिक लेखा नियम 1971 की धारा 112(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत जब तक एक माह के अन्दर व्यय होनें की संभावना नहीं है, अस्थायी अग्रिम का आहरण नहीं किया जायेगा एवं अस्थायी अग्रिम की वापसी/समायोजन एक माह के अन्दर किया जाना था ।

---

9 नगर पालिक निगम : इन्दौर, कटनी, और सिंगरौली, नगर पालिका परिषद : बारासिवनी और पिपरिया नगर परिषद : बरघाट, खाड, लोधीखेड़ा, मण्डलेष्वर, पिपलोदा, रेहटी और तेंदूखेड़ा

10 बुरहानपुर, इन्दौर, कटनी, सतना और सिंगरौली

11 अमरवाड़ा, अम्बाह, बारासिवनी, झाबुआ, करेली, कोलार, मण्डला, नैनपुर, नौगांव, पिपरिया और सबलगढ़

12 अकोदिया, आठनेर, बड़कुही, भैंसदेही, बरघाट, हाटपिपल्या, लोहरदा, राजगढ़, खाण्ड, शाहगंज, पिपलोदा, करनावद, माण्डू, राजगढ़, जरोनखालसा, शाहपुरा, गोटेगांव और तेंदूखेड़ा

कुल 68 नगरीय निकायों की अभिलेखों की नमूना जॉच में हमने देखा कि 28 नगरीय निकायों द्वारा कुल अस्थायी अग्रिम राशि ₹ 7.45 करोड का भुगतान व्यक्तिगत/संस्थाओं को कार्य संपादन एवं आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु दिया गया था, जो 31 मार्च 2013 की स्थिति में असमायोजित थे, जिसे ifjf'k"V 1-6 में दर्शाया गया है । सबसे अधिक पुराना अस्थायी अग्रिम सितम्बर 1994 का है, जिसका समायोजन/वसूली 20 वर्षो से लंबित था । 20 नगरीय स्थानीय निकायों में कोई अस्थायी अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं था । शेष नगरीय निकायों द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षित नगरीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा वर्ष 2013–14 में बताया गया कि वसूली/समायोजन हेतु निर्देश जारी किये गये है ।

1-12-1 C;kt dh olwyh u fd;k tkuk

म.प्र. शासन वित्त विभाग के कार्यालयीन ज्ञापन अक्टूबर 2009 के अनुसार राज्य सरकार के समूह ग एवं घ कर्मचारियों को त्योहार एवं अनाज अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है । दोनो अग्रिमों की वसूली दस समान किस्तों में किया जाकर 6.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर से ब्याज की राशि मूल राशि वसूली के बाद, पृथक से एक किश्त में किया जाना है ।

हमने देखा कि जुलाई 1994 से मार्च 2013 तक विभागीय कर्मचारियों को प्रदाय अग्रिमों पर ब्याज राशि ₹ 20.41 लाख[13] अप्राप्त था ।

लेखापरीक्षा में आपति इंगित किये जाने पर आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल एवं रतलाम द्वारा अप्रैल एवं अगस्त 2014 में बताया गया कि ब्याज की वसूली हेतु आदेश जारी कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा ।

1-13 13oa foRr vk;ksx dh vuq'kalk ij tkjh ,oa mi;ksx fd;k x;k vuqnku

स्थानीय निकायों के दोनों विभागों, नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं, के स्त्रोतों को मजबूत करने हेतु 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्य के संचित निधि के मुख्य जरूरतों की पूर्ति करना था । इस सम्बन्ध में, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मूल अनुदान स्थानीय निकायों के सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र[14] दोनों के लिए स्वीकृत किया गया । इसके अतिरिक्त, निष्पादन अनुदान वर्ष 2011–12 से 2014–15 राज्य के सामान्य एवं विशेष दोनों क्षेत्रों के लिए अनुदान प्राप्त करनें की निर्धारित शर्तो की पूति के आधार पर जारी किया जाना था ।

विभिन्न नगरीय निकायों के बीच अनुदानों का विभाजन वर्ष 2001 जनगणना के आधार पर शहरी जनसंख्या (1.60 करोड़), पूरे राज्य की जनसंख्या 6.03 करोड़ अर्थात 26 प्रतिशत के अनुपात में किया गया । समस्त अनुदान स्थानीय निकायों को प्रति वित्तीय वर्ष जुलाई एवं जनवरी दो किश्तों में किया जाना था । प्रत्येक राज्य जो निष्पादन अनुदान आहरण हेतु लागू शर्तो के पालन प्रतिवेदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त अर्थात 31 मार्च तक प्रेषित करेगा, आगामी वर्ष के सामान्य एवं निष्पादन अनुदान राशि आहरण हेतु पात्र होगें । सतत पात्रता हेतु वित्त आयोग की अवधि 2010–15 तक निरन्तर शर्तो का पालन करने थे ।

---

13 नगर निगम भोपाल एवं रतलाम अनाज अग्रिम पर ब्याज राशि ₹ 19.56 लाख एव ₹ 81520 तथा नगर पालिक निगम रतलाम में त्योहार अग्रिम पर ब्याज राशि ₹ 3540 बकाया

14 मध्य प्रदेश में कुल 360 नगरीय निकायों में से 61 नगरीय निकाय विशेष क्षेत्र में वर्गीकृत है

वर्ष 2013–14 में राज्य शासन द्वारा केन्द्र शासन से निम्नानुसार अनुदान प्राप्त कर नगरीय प्रशासन को प्रदान किया गया एवं नगरीय प्रशासन द्वारा नगरीय निकायों को जारी किया गया ।

(₹ djksM+ esa)

vuqnku dk izdkj	13osa foRr vk;ksx }kjk vuq'kafLr	uxjh; iz'kklu ,oa fodkl foHkkx }kjk izkIr jkf'k ,oa fudk;ksa dks forj.k
सामान्य मूल अनुदान	223.40	228.51
विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	3.95	4.24
सामान्य निष्पादन अनुदान	152.60	निरंक
विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	3.94	निरंक
dqy ;ksx	383-89	232-75

(स्त्रोत : वित्त विभाग द्वारा प्रदत जानकारी)

1-13-1 okLrfod O;; dh mi;ksfxrk izek.k i= izLrqr u fd;k tkuk

13वें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका के पैरा 6.3(ii) में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्ष 2010–11 के अनुदान की द्वितीय किश्त जारी होने के उपरान्त, राज्य शासन पूर्व प्राप्त किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भारत शासन को प्रस्तुत करेगा ।

वर्ष 2013–14 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राज्य शासन को 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत समस्त राशि की उपयोगता प्रमाण पत्र प्रेषित की गयी एवं तदनुसार राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र, भारत शासन को प्रेषित किया गया ।

परन्तु लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नगर पालिका परिषद उन्हेल जिला उज्जैन द्वारा वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक कुल अनुदान राशि ₹ 36.06 लाख प्राप्त हुई एवं निकाय द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया तथा मार्च 2014 की स्थिति में सम्पूर्ण अनुदान राशि बैंक खातें में पड़ी थी । अतः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं राज्य शासन द्वारा भारत शासन को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र गलत था ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपति इंगित किये जाने पर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा उत्तर में बताया गया कि अनुदान राशि की प्राप्ति एवं व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार को प्रेषित किया गया है । उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुरूप नहीं है ।

1-13-2 lkekU; fu"iknu vuqnku dk vkgj.k grq jkT; 'kklu }kjk fu/kkZfjr 'krksZa dh iwfrZ

राज्य शासन 13वें वित्त आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार सामान्य निष्पादन अनुदान आहरण की शर्तो के पालन की दशा में सामान्य एवं विशेष निष्पादन अनुदान आहरित करने के पात्र है । मार्च 2014 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा शर्तो के पालन की स्थिति निम्नानुसार थी :

'krsZa	jkT; 'kklu }kjk dh x;h dk;Zokgh
नगरीय निकाय, जहाँ निर्वाचित संस्था विद्यमान है, निष्पादन अनुदान आहरण हेतु पात्र है ।	म.प्र. की समस्त नगरीय निकायों में निर्वाचित संस्था विद्यमान है ।
पूर्व वर्ष में प्राप्त अनुदान राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए है,

के उपरान्त ही आगामी अनुदान प्राप्त करेंगे ।	उपयोगिता प्रमाण पत्र नगरीय निकायों को जारी अनुदान राशि के आधार पर किया गया न की वास्तविक व्यय राशि के आधार पर ।
राज्य शासन द्वारा समस्त नगरीय निकायों में राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा संहिता के आधार पर लेखांकन पद्धति लागू करने थे ।	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र. शासन द्वारा समस्त नगरीय निकायों को राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा संहिता के अनुसार लेखांकन करने हेतु जुलाई 2010 में आदेश जारी किये गये, परन्तु उक्त प्रक्रिया केवल 14 नगर निगमों में लागू की गयी तथा कुल 100 में 26 नगर पालिका परिषदों तथा 246 में 15 नगर परिषदों में प्रक्रियाधीन है । अतः केवल चार प्रतिशत नगरीय निकायों में निर्धारित लेखांकन पद्धति लागू की गयी ।
लेखापरीक्षा पद्धति विकसित कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण ।	म. प्र. नगर पालिक निगम/नगरपालिका अधिनियम 1956 एवं 1971 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल के माध्यम से विधान मंडल के समक्ष रखने हेतु जुलाई 2011 में संशोधन किया गया ।
स्थानीय निकायों में कार्यरत समस्त कार्यकारियों के विरूद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण हेतु लोकपाल की नियुक्ति ।	म.प्र. में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 लागू है एवं नगरीय स्थानीय निकाय के समस्त कार्यकारी इस अधिनियम के अधीन है ।
समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को 13वें वित्त आयोग अनुदान राशि का हस्तांतरण ई–बैंकिंग के माध्यम से करना ।	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 13वें वित्त आयोग के समस्त अनुदान राशि का हस्तांतरण ई–बैंकिंग के माध्यम से किया गया है ।
संविधान के अनुच्छेद 243 आई(2) के अनुपालन में राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन करना ।	म.प्र. में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है एवं वर्तमान में तृतीय वित्त आयोग कार्यरत है ।
नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा संपति कर के अधिरोपण एवं संग्रहण में सुधार की सलाह हेतु राज्य स्तरीय संपतिकर बोर्ड का गठन करना ।	शासन द्वारा मार्च 2011 में बोर्ड का गठन किया गया । परन्तु बोर्ड द्वारा कर संग्रहण हेतु कोई भी सुधार नहीं किया गया । नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा पूर्व प्रचलित दरों के आधार पर ही करों का संग्रहण किया जा रहा है ।

हमने पाया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के निष्पादन अनुदान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अप्राप्त थे (अगस्त 2014) ।

लेखापरीक्षा मे आपत्ति इंगित किये जाने पर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के सामान्य निष्पादन अनुदान

प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गयें है, परन्तु सामान्य निष्पादन अनुदान अप्राप्त था (अगस्त 2014) ।

1-14 fu"d"k

- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा म.प्र. नगरपालिका लेखा संहिता अनुसार द्वि–प्रविष्टी आधारित लेखांकन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी । नगरीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मागदर्शन एवं पर्यवेक्षण किया गया है ।
- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं करनें के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों में अंतर पाया जाना, जिससे निधियों के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता ।
- वर्ष 2012–13 तक 48 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित राजस्व एवं गैर राजस्व करों की राशि ₹ 845 करोड़ की वसूली लंबित ।
- राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक व्यय के आधार पर न किया जाकर प्राप्त एवं जारी अनुदानों के आधार पर प्रेषित किया जाना ।
- वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में राज्य शासन को निष्पादन अनुदान की राशि प्राप्त नही हुई है, क्योंकि राज्य शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों की पूर्ति नहीं की गयी ।

अध्याय – 2

लेखापरीक्षा कंडिकायें

v/;k; & nk

y[kkijh{kk dfMdk;

2-1 uxjh; lokvk d fu"iknu ic/ku d fy, lok Lrj ekun.M ¼uxjh; i'kklu ,o fodkl foHkkx½

2-1-1 iLrkouk

देश में नगरीय जनसंख्या तेजी से बढने के साथ–साथ शहरी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है । इस क्षेत्र में मूलभूत सेवाओं हेतु अतिरिक्ति निवेश करने के बाद भी इन सेवाओं के लिए जवाबदेही बढाने की आवश्यकता है । इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जल आपूर्ति, मल–जल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी की सेवाओं के लिए पहल करते हुए सेवा स्तर मानदण्ड प्रारंभ किया गया । मूलभूत नगर पालिका सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानदण्डों को अपनाने हेतु भारत सरकार द्वारा एक विवरण पुस्तिका (हैंडबुक) जारी की गई थी ।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई (सितंबर 2010) कि नगरीय स्थानीय निकायों के लिए देय निष्पादन अनुदान राज्य सरकार तभी आहरित कर सकेंगी यदि वह कुछ निश्चित शर्ते पूर्ण करती हों । उन शर्तो में से एक शर्त यह थी कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में (31 मार्च) चार सर्विस सेक्टर जैसे जल आपूर्ति, मल–जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के संबंध में सेवा स्तर के लक्ष्य अधिसूचित किये जायेंगे जो वह अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण किए जायेंगे । यह अधिसूचना भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हैंडबुक में निहित चारों सेवा क्षेत्रों हेतु प्रत्येक के न्यूनतम स्तर की घोषणा के रूप में होगी । अधिसूचना का प्रकाशन राज्य राजपत्र में किया जायेगा जो निर्धारित शर्त का अनुपालन प्रदर्शित करेंगे ।

राज्य के कुल 360 नगरीय स्थानीय निकायों में से मार्च 2014 तक 114 नगरीय निकायों (14 नगर पालिक निगम, 100 नगर पालिका परिषदों) के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किये गये थे । राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न नगरीय सेवाओं के लिये लक्ष्य तथा पिछले वर्ष के लक्ष्य एवं उपलब्धि को अधिसूचित किया जाता था ।

2-1-2 dk;{k= rFkk mn'n';

दो नगर पालिक निगमों (इंदौर एवं बुरहानपुर) तथा दो नगर पालिका परिषदों (पीथमपुर एवं राघौगढ) के सेवा स्तर मानदण्ड के संबंध में नगरीय सेवाओं के वर्ष 2011–14 की अवधि के निष्पादन प्रबंधन की समीक्षा की गई । लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि :

- समस्त शहरी परिवारों को निरंतर एवं गुणात्मक जलापूर्ति सेवाएं उपलब्ध थी साथ ही जल आपूर्ति के प्रभारों की वसूली कुशलता से हो रही थी;
- मल–जल प्रबंधन सेवा के अंतर्गत मल–जल का एकत्रीकरण तथा उपचार संयंत्र के द्वारा उसका पुर्नउपयोग लागत की वसूली के साथ हो रहा था;
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपलब्ध था तथा लागत की वसूली हो रही थी;
- वर्षा जल निकासी की व्यवस्था, पूर्व मे हुई बाढ़ एवं जल अवरूद्व की घटनाओं को देखते हुए प्रभावी थी ।

ys[kkijh{kk ifj.kke

2-1-3 jkT; ljdkj }kjk lsok Lrj ekun.M dh vf/klwpuk

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखों की समीक्षा (जनवरी 2014) में हमने देखा कि 360 नगरीय स्थानीय निकायों में से वर्ष 2011–12 में 110 (30 प्रतिशत), 2012–13 में 111 (31 प्रतिशत) तथा 2013–14 में (32 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकायों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी । इस प्रकार 68 से 70 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को सेवा स्तर मानदण्ड के अंतर्गत नही लिया गया था ।

हमने देखा कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को वर्ष 2010–11 के निष्पादन के आधार पर वर्ष 2011–12 में राशि ₹ 87.50 करोड़ का निष्पादन अनुदान प्राप्त हुआ था । उसके पश्चात कोई निष्पादन अनुदान प्राप्त नही हुआ था । आगे, यह देखा गया कि नगरीय स्थानीय निकायों के सम्बंध में सेवा स्तर मानदण्ड की अधिसूचनाएँ निम्नानुसार विलंब से जारी की गई थी

rkfydk& 2-1 % jkT; ds jkti= esa tkjh vf/klwpukvksa dh fLFkfr

o"kZ	ns; frfFk	vf/klwpuk dh okLrfod fLFkfr	uxjh; fudk; ftuds lac/k esa vf/klwpuk tkjh dh xbZ ¼360 uxjh; fudk;ksa esa ls½	foyac ekg esa
2011–12	31.3.2011	27.1.2011	110	विलंब नही
2012–13	31.3.2012	03.9.2012	111	5 माह
2013–14	31.3.2013	17.2.2014	114	10 माह

(स्त्रोत –नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत)

अधिसूचना जारी करने में उल्लेखनीय विलंब से नगरीय स्थानीय निकायों के सेवाओं के निष्पादन की निगरानी पर प्रतिकूल असर पडता है ।

यह इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में 114 नगरीय निकायों के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड राजपत्र में अधिसूचित किये गये थे ।

विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि 2011–12 में केवल 110 तथा 2012–13 में 111 नगरीय निकायों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी ।

अधिसूचना विलंब से जारी करने के संबंध में विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जानकारी विलंब से प्रस्तुत करने के कारण विलंब हुआ ।

2-1-4 lsok Lrj ekun.M ,oa muds fo:} miyfC/k;ka

सेवा स्तर मानदण्ड हैंडबुक में निम्न चार शहरी सेवा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए मानक के वांछित मूल्य निर्धारित किये गये है । उपर्युक्त मानदण्ड मानकों के विरूद्व राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किये थे वह भारत सरकार के निर्धारित मानकों से अत्यधिक कम थे जिनकी चर्चा नीचे के कंडिकाओं में की गई है । हमने देखा कि मानदण्ड मानकों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अवधि निर्धारित नही की गई थी ।

चार नगरीय सेवाओं[1] के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकाय–वार लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति की चर्चा निम्नानुसार की गई है :

---

[1] जल आपूर्ति सेवाएं, मल जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी

v½ uxj ikfyd fuxe bankSj

2-1-4-1 foRrh; fLFkfr

मानदण्ड का निर्धारण सेवा प्रदाय में निरंतरता के लिये जवाबदेही के अनुश्रवण की एक प्रक्रिया है। नगरीय निकायो द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई धनराशि का प्रावधान नही किया गया था । नगरीय स्थानीय निकायो से उनके उपलब्ध स्त्रोतो से प्रत्येक सेवाओं के प्रदाय के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाने थे ।

वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान नगर पालिक निगम इंदौर की प्राप्तियों एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी :

rkfydk& 2-2½ izkfIr ,oa O;; dk fooj.k

(₹ djksM+ esa)

o"kZ	izkfIr;ka	O;;	'ks"k
2011–12	692.41	690.07	2.35
2012.–13	564.89	545.42	19.48
2013–14	779.30	770.20	9.10

(स्त्रोत : नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

2-1-4-2 ty vkiwfrZ lsok,a

जल आपूर्ति व्यवस्था का उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति मितव्ययता तथा सुविधाजनक पद्वति से पर्याप्त मात्रा में किया जाना है । नगर पालिक निगम इंदौर में जल आपूर्ति सेवाओं के निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार रही :

rkfydk& 2-3½ jkT; ds jkti= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k

¼izfr'kr esa½

l- Ø-	lsok ladsrd	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	कुल परिवार संख्या के विरूद्व कनेक्शन	100	40	40	42	42	45	48
2	प्रति व्यक्ति दैनिक जलापूर्ति (लिटर मे)	135	80	80	90	92	100	100
3	कनेक्शन की संख्या की तुलना में मीटर की स्थापना	100	0.50	0.50	1.00	0.50	10	10
4	जलापूर्ति की अवधि (घंटो मे)	24 घंटे	50 मिनिट प्रतिदिन	50 मिनिट प्रतिदिन	1 घंटाप्रति दूसरे दिन	1 घंटाप्रति दूसरे दिन	1.5 घंटाप्रति दूसरे दिन	1.5 घंटाप्रति दूसरे दिन
5	जलशोधन की पर्याप्तता	100	92	92	95	95	95	95
6	सेवा संचालन लागत के विरूद्व वसूली	100	40	40	45	45	50	50

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- हमने देखा कि 'जल आपूर्ति कनेक्शन की व्यप्तता' के अंतर्गत वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 में उपलब्धि क्रमशः 31 प्रतिशत (1,79,898 परिवार), 32 प्रतिशत (1,83,163 परिवार) एवं 34 प्रतिशत (1,98,074 परिवार) रही । इस प्रकार अधिसूचित उपलब्धि त्रुटिपूर्ण थी तथा वास्तविक उपलब्धि से काफी कम थी ।
- हमने देखा कि यद्यपि राजपत्र के अधिसूचना में 'प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति संकेतक' के अंतर्गत लक्ष्यों के विरूद्व उपलब्धि (80 से 100 प्रतिशत) में कोई कमी नही दर्शायी गई थी परंतु वास्तविक स्थिति 2011–12 से 2013–14 में क्रमशः 52, 71 तथा 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी । इस प्रकार नगर

पालिक निगम इंदौर में प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति भारत सरकार के मानदंडों (135 एलपीसीडी) से काफी कम थी ।

- ➢ जल कनेक्शनों के लिए मीटर की स्थापना के लिये भारत सरकार के मानदंड (100 प्रतिशत) के विरूद्व नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा 10 प्रतिशत लक्ष्य एवं उपलब्धि अधिसूचित की गई थी । हमने देखा कि मीटरों की कोई भी स्थापना अप्रैल 2014 तक नही की गई थी ।
- ➢ यद्यपि राजपत्र में 'जल आपूर्ति में निरंतरता संकेतक' के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि 1.5 घंटे प्रतिदूसरे दिन अधिसूचित की गई थी परंतु वास्तविक स्थिति 1 घंटा प्रति दूसरे दिन थी जो मानदंड मानक 24 घंटे प्रतिदिन से काफी कम थी ।
- ➢ इंदौर में वर्ष 2011–14 के दौरान जल आपूर्ति की गुणवत्ता के अंतर्गत उपलब्धि 92 से 95 प्रतिशत थी ।
- ➢ इंदौर में जल आपूर्ति सेवाओं की संचालन लागत वसूली 100 प्रतिशत के मानदण्ड के विरूद्व वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा वर्ष 2013–14 में क्रमशः 40 प्रतिशत, 45 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत रही ।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा उत्तर नही दिया गया ।

2-1-4-3 ey ty icU/ku

मल–जल प्रबंधन सेवाओं का उद्देश्य मल–जल का एकत्रीकरण एवं उसका उपचार किया जाकर जल का पुर्नउपयोग संचालन लागत की वसूली के साथ किया जाना था । मल–जल प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत इंदौर में लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नानुसार थी :

rkfydk& 2-4% jkT; dk jkti= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k;ka

¼izfr'kr esa½

l- Ø-	lsok lwpd	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	शौचालयों की व्यप्तता	100	98	98	99	98	100	98
2	सीवरेज तंत्र की व्यप्तता	100	97	97	98	98	100	98
3	सीवरेज तंत्र की संग्रहण क्षमता	100	58	58	61	58	65	58
4	मल–जल उपचार की पर्याप्तता	100	62	62	70	निरंक	70	निरंक
6	मल–जल के लागत की वसूली	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- ➢ हमने देखा कि नगर पालिक निगम में शौचालयों की व्यप्तता के संबंध में कोई डाटाबेस संधारित नही है । इस प्रकार राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धियां दर्शाये जाने का कोई आधार नही था ।
- ➢ नगर पलिक निगम द्वारा सूचित किया गया था कि इंदौर में मल–जल तंत्र क व्यप्तता 83 प्रतिशत थी परंतु उक्त तंत्र की व्यप्तता की वास्तविक स्थिति के संबंध में कोई लिखित साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया था । इस प्रकार राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि का सत्यापन नही हो सका ।

- नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा मल–जल उपचार संयत्र के माध्यम से प्रतिदिन 90 एमएलडी[2] गंदा पानी एकत्रित किया गया जो कुल गंदे पानी (2011–12 में 223 एमएलडी, 2012–13 में 313 एमएलडी तथा 2013–14 में 313 एमएलडी) का 23 से 32 प्रतिशत था । आगे देखा कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 में 90 एमएलडी एकत्रित गंदे पानी में से केवल 0.075 एमएलडी पानी को पुर्नचक्रित कर उपचार उपरांत पुर्नउपयोग किया गया । इस प्रकार निर्धारित किये गये लक्ष्य 100 प्रतिशत के बैंचमार्क से कम थे ।

- मल–जल प्रबंधन सेवाओं की संचालन लागत ₹ 121.73 लाख प्रतिवर्ष थी परंतु इसके वसूली के लिये कोई प्रभार अधिरोपित एवं वसूल नही किये गये थे ।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा उत्तर नही दिया गया ।

2-1-4-4 uxjh; Bksl vif'k"V izca/ku

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण एवं उसके निपटान में दक्षता के साथ संचालन लागत की वसूली शामिल है । नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत इंदौर द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उसके विरूद्व उपलब्धि निम्नानुसार थी :

rkfydk& 2-5% jkT; dk jkti= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k

¼izfr'kr esa½

l- Ø-	lsok ladsrd	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	30	30	32	32	80	85
2	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट संग्रहण की क्षमता	100	78	78	80	80	80	80
3	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण	100	2	0	2	2	50	40
4	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से निपटान	100	2	10	10	25	50	50
5	लागत वसूली की हद	100	52	52	54	54	54	54

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- हमने देखा कि नगर पालिक निगम इंदौर में वर्ष 2013–14 में कुल 4 लाख परिवारों में से केवल 1 लाख (25 प्रतिशत) परिवार ही घर–घर से कचरा एकत्रीकरण से जोड़े गये । इस प्रकार राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि 85 प्रतिशत सही नही थी ।
- नगर पालिक निगम इंदौर में वर्ष 2013–14 में कुल नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (23540 मिट्रिक टन) प्रतिमाह में से 21018 मिट्रिक टन अपशिष्ट एकत्रित किया गया । इस प्रकार राजपत्र में अधिसूचित लक्ष्यों की उपलब्धि की गई ।
- वर्ष 2013–14 में कुल एकत्रित 21018 मिट्रिक टन प्रतिमाह नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में से केवल 5661 मिट्रिक टन (27 प्रतिशत) प्रतिमाह अपशिष्ट का

---
[2] मिलियन लीटर प्रतिदिन

पृथक्करण किया गया । इस प्रकार राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि सही नही थी ।

- वर्ष 2013–14 में कुल एकत्रित 21018 मिट्रिक टन प्रतिमाह नगर पालिका अपशिष्ट में से केवल 1500 मिट्रिक टन (7 प्रतिशत) अपशिष्ट का निपटान किया गया । इस प्रकार राजपत्र में अधिसूचित 2013–14 की उपलब्धि सही नही थी ।

इस सम्बंध में इंगित किये जाने पर नगर पालिक निगम इंदौर ने उत्तर में बताया (सितंबर 2014) कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का घर घर से एकत्रीकरण निवासी संघो एवं जागीरदारों द्वारा भी किया जाता है जो कुल अपशिष्ट का 35 से 40 प्रतिशत है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका निगम इंदौर ने बताया (सितंबर 2014) कि घर घर से अपशिष्ट एकत्रीकरण प्रारंभ किए जाने के पश्चात अपशिष्ट का पृथक्करण प्रारंभ किया जायेगा । यह भी बताया कि अपशिष्ट को उर्जा में परिवर्तित किये जाने का संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव मेयर–इन–काउंसिल को प्रस्तुत किया गया था । घर–घर से अपशिष्ट एकत्रीकरण की व्यवस्था किए जाने उपरांत प्रत्येक घर से ₹ 50 प्रतिमाह फीस प्रभारित की जायेगी ।

2-1-4-5 o"kkZ ty fudklh lsok,¡

वर्षा जल निकासी तंत्र का उद्देश्य बाढ़ एवं जल अवरूद्ध की घटनाओं से बचना था । वर्षा जल निकासी सेवाओं के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नानुसार थी :

rkfydk& 2-6½ jkT; dh jkti= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k

l- Ø-	lsok ladsr	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र की व्याप्तता (प्रतिशत में)	100	35	35	50	50	50	70
2	जलमग्नता / बाढ की घटनाएं	निरंक	30	30	25	21	21	15

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

हमने देखा कि इससे संबंधित किसी अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था । अभिलेखों के अभाव के कारण लेखापरीक्षा द्वारा वास्तविक स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सका ।

आपत्ति इंगित करने पर नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

c : uxj ikfyd fuxe cqjgkuiqj

2.1.4.6 *foRrh; fLFkfr*

नगर पालिक निगम बुरहानपुर के वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 की प्राप्ति एवं व्ययों की स्थिति निम्नानुसार है:

rkfydk& 2-7 ¼cqjgkuiqj dh izkfIr ,oa O;;ksa dk foLr`r fooj.k

(₹ djksM+ esa)

o"kZ	izkfIr	O;;	'ks"k
2011–12	22.51	22.29	0.22
2012–13	24.64	22.33	2.31
2013–14	29.53	26.00	3.53

(स्त्रोत:नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा उपलब्ध जानकारी)

2.1.4.7 ty i:nk; l:ok

नगर पालिक निगम बुरहानपुर में जल उपलब्धता की सांकेतिक स्थिति निम्नानुसार था :

rkfydk& 2-8 : jkT; jkti= e: i:dkf'kr y{; ,o: miyfC/k

l- Ø-	l:ok l:d:r	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	कुल परिवारों के विरूद्ध कनेक्शन	100 *प्रतिशत*	60	58	63	63	68	68
2	प्रति व्यक्ति दैनिक जलापूर्ति	135 लिटर	80	80	85	85	85	85
3	मीटरो की स्थापना की हद	100 *प्रतिशत*	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	जलापूर्ति की निरंतरता	24 घंटे	1 घंटा प्रतिदिन	1 घंटा प्रतिदिन	1 घंटा प्रतिदिन	1 घंटा प्रतिदिन	1 घंटा प्रतिदिन	1 घंटा प्रतिदिन
5	जल की गुणवत्ता	100 *प्रतिशत*	50	50	50	50	50	50
6	लागत वसूली	100 *प्रतिशत*	35	48	50	55	60	60

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- हमने पाया कि 'जल आपूर्ति कनेक्शन के व्यप्तता के अन्तर्गत' वास्तविक उपलब्धि वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः 58 प्रतिशत, 63 प्रतिशत एवं 68 प्रतिशत में रही। इस प्रकार राज्य राजपत्र में प्रकाशित लक्ष्य निर्धारित मानदण्ड ''100 प्रतिशत'' कम थे ।
- वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति क्रमशः 80, 85 एवं 85 लीटर थी जो निर्धारित मानदण्ड से काफी कम थी ।
- नगर पालिक निगम बुरहानपुर ने पानी कनेक्शन के लिए मीटर की स्थापना के सम्बंध में राज्य राजपत्र में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था ।
- नगर पालिक निगम बुरहानपुर में ''निरंतर पानी की उपलब्धता'' की वास्तविक स्थिति 24 घंटे मानदण्ड के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में प्रतिदिन 45 मिनट थी।
- नगर पालिक निगम में पानी शुद्धीकरण संयंत्र नहीं था । इस प्रकार पानी शुद्धीकरण संयंत्र के अभाव में नगर पालिक निगम द्वारा उपलब्ध कराये गए पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।
- बुरहानपुर में जलापूर्ति की वास्तविक लागत की वसूली वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः 28 प्रतिशत, 31 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत थी जो शत प्रतिशत मानदण्ड के विपरीत थी । राज्य राजपत्र में वसूली की उपलब्धि 48 से 68 प्रतिशत दर्शाया गया था ।

आपत्ति इंगित करने पर नगर पालिक निगम बुरहानपुर ने स्वीकार किया (जून 2014) एवं अवगत कराया कि जल प्रदाय सेवा के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया (मार्च 2014) ।

2.1.4.8 ey&ty ,o: LoPNrk

नगर पालिक निगम बुरहानपुर में मल–जल एवं शौचालय सेवाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति निम्नानुसार थे:

rkfydk& 2-9% jkT; jkt i= e: i:dkf'kr y{; ,o miyfC/k

(₹ djkM+ e:)

l- Ø-	lok ld:r	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	शौचालयों का व्यप्तता	100	72	70	75	70	80	78
2	सीवरेज तंत्र की व्यप्तता	100	2	2	2	2	5	2
3	सीवरेज तंत्र की संग्रहण क्षमता	100	100	2	2	निरंक	निरंक	निरंक
4	मल–जल उपचार की पर्याप्तता	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	मल–जल का विस्तार	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- हमने देखा कि नगर पालिक निगम, बुरहानपुर में उपलब्ध द्वारा शौचालय की संख्या से सम्बंधित कोई डाटाबेस तैयार नहीं था । इस प्रकार राजपत्र में उपलब्धि के प्रकाशन का कोई आधार नहीं था ।
- मल–जल निकास के विस्तार के लिए नगर पालिक निगम, बुरहानपुर में दो प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया । लेकिन बुरहानपुर में जून 2014 तक मल जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी । इस तरह राज्य राजपत्र में उपलब्धि का प्रकाशन सही नहीं है ।
- नगर पालिक निगम, बुरहानपुर के पास गंदे जल के शुद्धीकरण के लिए कोई शुद्धीकरण संयंत्र नहीं था । चूंकि बुरहानपुर में मल–जल निकास का तंत्र नहीं था अतः न तो शुल्क प्रभारित किया गया और न ही वसूली की गई ।

आपत्ति इंगित किये जाने पर नगर पालिक निगम, बुरहानपुर ने अवगत कराया गया कि मल–जल निकास का निर्माण नगर की एक कॉलोनी 'हीरानगर' में प्रगतिरत था एवं शहर के शेष क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे ।

2-1-4-9 uxj ikfydk Bksl vif'k"V izc/ku

नगर पालिक निगम, बुरहानपुर में नगर पालिका ठोस अपषिष्ट प्रबंधन सेवा के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति निम्नानुसार थे :

rkfydk&2-10 % jkT; jkt i= e: vf/klwfpr y{; ,o miyfC/k

%ifr'kr e:)

l- Ø-	Lkok lipd	Hkkjr ljdkj d: ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			Yk{;	miyfC/k	Yk{;	miyfC/k	Yk{;	miyfC/k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	100	70	75	75	75	75
2	नगर पालिका ठोस अवशिष्ट संग्रहण की क्षमता	100	100	90	90	92	95	92
3	नगर पालिका ठोस अवशिष्ट के पृथक्करण की हद	100	40	निरंक	40	40	42	40
4	नगर पालिका ठोस अवशिष्ट के वैज्ञानिक पद्धति से निपटान की हद	100	45	निरंक	40	41	42	41
5	लागत वसूली की हद	100	100	13	85	82	85	82

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- भारत सरकार के मानदण्ड मूल्य ''100 प्रतिशत'' मानदण्ड के विरूद्व नगर निगम बुरहानपुर मे वर्ष 2013–14 में 0.25 लाख परिवारों में से मात्र 7500 परिवारों को घर–घर जाकर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट एकत्रीकरण की व्यवस्था से जोड़ा जा सका । इस प्रकार राज्य के राजपत्र में जारी अधिसूचना में दर्शाई 70 से 75 प्रतिशत की उपलब्धि त्रुटिपूर्ण थी ।
- नगर निगम बुरहानपुर में उत्सर्जित समस्त नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण किया गया । इस प्रकार राजपत्र के अधिसूचना में दर्शाये लक्ष्य प्राप्त किया गया ।
- हमने देखा कि नगर पालिक निगम बुरहानपुर में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण व पृथक्करण की कोई व्यवस्था नहीं थी । इस प्रकार राजपत्र में दर्शायी 40 प्रतिशत की उपलब्धि त्रुर्टिपूर्ण थी ।
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की परिचालन लागत ₹ 3.12 करोड़ थी किन्तु कोई शुल्क प्रभारित एवं वसूल नहीं किया गया ।

आपत्ति इंगित करने पर नगर पालिक निगम बुरहानपुर ने बताया कि राज्य शासन के अनुमोदन हेतु कार्य योजना प्रेषित की गई थी ।

2-1-4-10 o"kkZ ty fudkl lsok,¡

नगर पालिक निगम बुरहानपुर में वर्षा जल निकास सेवाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धियॉं निम्नानुसार थी :

Rkkfydk & 2-11 % jkT; dk jkti= esa vf/klwfpr y{; o miyfC/k

l- Ø-	lsok lwpd	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			Yk{;	miyfC/k	Yk{;	miyfC/k	Yk{;	miyfC/k
1	वर्षा जल निकास का कवरेज (प्रतिशत)	100	100	80	90	90	90	90
2	जल मग्नता/बाढ़ की घटनाएं	शून्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(स्त्रोत: राज्य शासन के राजपत्र में जारी अधिसूचना)

हमने देखा कि सेवा संकेतक के संबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया । अभिलेख संधारित नहीं किया गया । अभिलेखों के उपलब्ध न होने से वास्तविक स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सका ।

l % uxj ikfydk ifj"kn ihFkeiqj

2.1.4.11 *foRrh; fLFkfr*

नगर पालिका परिषद पीथमपुर की वर्ष 2011–12 से 2013–14 में प्राप्तियॉं एवं व्यय निम्नानुसार थे :

Rkkfydk & 2-12 % ihFkeiqj dh ikfIr ,oa 0;; dk fooj.k

(₹ djksM+ esa)

वर्ष	प्राप्तियॉं	व्यय	शेष
2011-12	15.94	15.73	0.21
2012-13	21.90	18.96	2.94
2013-14	31.26	26.40	4.86

(स्त्रोत: नगर पालिक परिषद पीथमपुर द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

2.1.4.12 ty vkifr lok,

नगर पालिका परिषद पीथमपुर में जल आपूर्ति सेवाओं से संबंधित निष्पादन सूचकों की स्थिति निम्नानुसार थी :

Rkkfydk & 2-13 % jkT; d jkt i= e vf/klfpr y{; ,o miyfC/k

l-Ø-	lok lidrd	Hkkjr ljdkj d ekunM	2011&12		2012&13		2013&14	
			Yk{;	miyfC/k	Yk{;	miyfC/k	Yk{;	miyfC/k
1	जल आपूर्ति कनेक्शन	100 प्रतिशत	25	24	25	50	70	25
2	प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति	135 ली. प्रतिदिन	35	35	35	35	45	55
3	मीटरों का विस्तार	100 प्रतिशत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	जल आपूर्ति की निरंतरता	24 घंटे	30 मि. /दिन	30 मि. /दिन	30मि. /दिन	30 मि. /दिन	30 मि. /दिन	30 मि. /दिन
5	जल आपूर्ति की गुणवत्ता	100 प्रतिशत	100	100	100	45	70	30
6	लागत की वसूली	100 प्रतिशत	14	14	14	64	90	64

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- हमने देखा कि 'जल आपूर्ति कनेक्शन के सूचक' में वर्ष 2011–12 से 2013–14 में वास्तविक स्थिति 25 प्रतिशत थी जो मानदण्ड की तुलना में अत्यधिक कम थी।
- प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति की वास्तविक उपलब्धियॉ वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः 35 ली./दिन, 35 ली./दिन, 55 ली./दिन थी जो 135 ली./दिन के मापदण्ड से अत्यधिक कम थी।
- पीथमपुर में जल आपूर्ति के लिए मीटरींग का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।
- पीथमपुर में जल आपूर्ति की निरन्तरता 30 मिनट प्रति दिवस थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड 24 धंटे की तुलना में अत्यधिक कम थी ।
- पीथमपुर के अंतर्गत जल शोधन संयत्र नहीं था । जल शोधन संयत्र के न होने से नगर पालिका परिषद द्वारा आपूर्ति किये गये जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हुई जिसमें क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो सकता था ।
- भारत सरकार के मानदण्ड 100 प्रतिशत के विरूद्व पीथमपुर में वर्ष 2011–14 में जल आपूर्ति की लागत की वास्तविक वसूली 14 प्रतिशत थी । राज्य के राजपत्र की अधिसूचना में दर्शाई 64 प्रतिशत वसूली की उपलब्धि की जानकारी त्रुटिपूर्ण थी ।

इसे इंगित किये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी पीथमपुर ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अन्तर्गत एक परियोजना स्वीकृत की गयी है जिससे 135 ली./दिन के लक्ष्य मानदण्ड को प्राप्त करने में सहायता हो सकेगी । उत्तर सही नहीं था क्योंकि परियोजना का डीपीआर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जलापूर्ति के आधार पर तैयार किया गया था ।

2-1-4-13 ey ty fudklh ,oa LoPNrk

नगर पालिका पीथमपुर में मल जल निकासी एवं स्वच्छता के सेवाओं लक्ष्य एवं उपलब्धियॉं निम्नानुसार थी :

Rkfydk &2-14 %jkT; dh jktir= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k

l- Ø-	lsok lwpd	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शौचालयों का कवरेज	100	36	36	40	65	80	60
2	मल–जल कवरेज की व्यप्तता	100	10	निरंक	10	निरंक	निरंक	निरंक
3	मल–जल व्यप्तता की संग्रहण क्षमता	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	मल–जल उपचार की पर्याप्तता	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	मल–जल लागत के वसूली की हद	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- हमने देखा कि नगर पालिका पीथमपुर में 'शौचालयों की संख्या के सम्बंध में कोई आंकड़े संधारित नहीं थे अतः राजपत्र की अधिसूचना में दर्शाई गई उपलब्धि का कोई आधार नहीं था ।
- 'मल–जल निकासी के सेवाओं के तंत्र (नेटवर्क) के संकेतक में वर्ष 2013–14 में उपलब्धि 30 प्रतिशत दर्शाई गई थी । हमने देखा कि पीथमपुर में मल–जल निकासी हेतु नेटवर्क स्थापित नहीं किया गया था।
- पीथमपुर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत दूषित जल के उपचार हेतु कोई संयत्र स्थापित नहीं था । चूंकि पीथमपुर में मल–जल निकासी हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं था अतः कोई प्रभार अधिरोपित तथा वसूल नहीं किये गये थे ।

2-1-4-14 uxj ikfydk Bksl vif'k"V izca/ku

नगर पालिका परिषद पीथमपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत लक्ष्य एंव उपलब्धियॉं निम्नानुसार थीः

Rkfydk&2-15 %jkT; dh jktir= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k

¼izfr'kr esa½

l- Ø-	lsok ladsrd	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	22	22	23	35	80	निरंक
2	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण की कुशलता	100	66	66	70	60	80	40
3	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण का विस्तार	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	50	निरंक
4	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक् नियमन की विस्तार	100	निरंक	निरंक	निरंक	5	निरंक	25
5	लागत वसूली का विस्तार	100	9	10	10	10	10	40

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- हमने देखा कि नगर पालिका परिषद पीथमपुर में वर्ष 2013–14 में शत प्रतिशत मानदण्ड के विरूद्व 31000 परिवारों में से 22600 परिवारों को 'घर–घर जाकर कचरा संग्रहण' से जोड़ा गया ।
- 280 मीट्रिक टन उत्सर्जित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में से 240 मीट्रिक टन (86 प्रतिशत) को संग्रहित किया गया ।
- पीथमपुर में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के पृथ्क्करण एवं निपटान की कोई व्यवस्था नहीं थी ।
- पीथमपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिचालन लागत ₹ 2.52 करोड़ थी लेकिन कोई भी राशि प्रभारित एवं वसूल नहीं की गई ।

नगर पालिका अधिकारी पीथमपुर ने बताया कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण 31 वार्ड में से 20 वार्ड में किया गया किंतु उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये ।

2-1-4-15 o"kkZ ty fudklh lsok;

नगर पालिका परिषद पीथमपुर में वर्षा जल निकास सेवाओं के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ निम्नानुसार थी:

rkfydk&2-16% jkT; dk jkt i= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k

l- Ø-	lsok ladsrd	Hkkjr ljdkj d ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	वर्षा जल निकासी का क्षेत्र	100 प्रतिषत	69	69	75	75	80	80
2	जल मग्नता/बाढ़ की घटनाएं	शून्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

हमने देखा कि उक्त सूचकों से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किया गया। अभिलेखों के न होने के कारण लेखापरीक्षा में वास्तविक स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सका।

n % uxj ikfydk ifj"kn jk?kkx<

2-1-4-16 foRrh; fLFkfr

नगर पालिका राधोगढ़ की वर्ष 2011–12 से 2013–14 में प्रात्तियों एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

Rkfydk & 2-17% jk?kkx< dh izkfIr ,oa 0;; dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

वर्ष	प्राप्तियॉ	व्यय	शेष
2011–12	10.79	10.77	0.02
2012–13	12.08	11.99	0.10
2013.–14	14.94	12.69	2.25

(स्त्रोत: नगर पालिका परिषद राधोगढ़ द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

2-1-4-17 ty vkifr lok;

नगर पालिका परिषद राधोगढ़ में जल आपूर्ति सेवाऐं सूचकों से संबंधित स्थिति निम्नानुसार थी:

rkfydk&2-18 % jkT; d jkt i= e vf/klfpr y{; ,o miyfC/k

l- Ø-	lok ldrd	Hkkjr ljdkj d ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	कुल परिवारों के लिए जलापूर्ति कनेक्शन	100 प्रतिशत	70	69	85	80	95	85
2	प्रति व्यक्ति जलापूर्ति	135 ली. /दिन	63	63	100	70	120	75
3	मीटर का विस्तार	100 प्रतिशत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	जलापूर्ति की निरंतरता	24 घंटे	40 मिनट/ दिन	45 मिनट/ दिन	60 मिनट /दिन	45 मिनट/ दिन	60 मिनट/ दिन	40 मिनट/ दिन
5	जलापूर्ति की गुणवत्ता	100 प्रतिशत	86	86	100	90	100	95
6	लागत की वसूली	100 प्रतिशत	10	12	100	20	100	20

(स्त्रोत: राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

- राघोगढ़ में जल आपूर्ति कनेक्शन्स के अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान निर्धारित मानदण्ड 100 प्रतिशत के विरूद्ध वास्तविक स्थिति 46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत थी । इस प्रकार राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि सही नही दर्शाई गई थी ।
- वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति संकेतक के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि क्रमशः 43 लीटर, 45 लीटर, तथा 48 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन थी जो निर्धारित मानदण्ड 135 लीटर के काफी कम थी ।
- नगर पालिका परिषद, राघोगढ़ द्वारा जल कनेक्शनों में मीटर स्थापना हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नही किये गये थे ।
- जल आपूर्ति की निरंतरता के लिए निर्धारित मानदण्ड 24 घंटे जलापूर्ति के विरूद्व राघोगढ़ में जलापूर्ति 45 मिनिट प्रतिदिन थी ।
- नगर पालिका परिषद राघोगढ़ द्वारा 5 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक जल शुद्विकरण संयंत्र स्थापित किया था जिससे 2.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल का शुद्विकरण किया जा रहा था । इस प्रकार वास्तविक उपलब्धि 29 प्रतिशत थी । जल शुद्विकरण संयंत्र की क्षमता की अपर्याप्तता के अभाव में नगर पालिका द्वारा जलापूर्ति की गुणवत्ता संतोषजनक नही थी ।
- वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान राघोगढ़ में सेवा संचालन लागत के विरूद्व वसूली 100 प्रतिशत मानदण्ड के विरूद्व केवल 2 से 3 प्रतिशत, काफी

कम थी । इस प्रकार राजपत्र में अधिसूचित 12 से 20 प्रतिशत की उपलब्धि सही नही दर्शाई गई थी ।

इसे इंगित किये जाने पर मुख्य नगर पलिका अधिकारी राघोगढ़ ने बताया कि राजपत्र में अधिसूचित किए गए आंकडे सही नही थे । जलापूर्ति सेवाओं के लिये एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा था ।

2-1-4-18 ey&ty ic/ku

मल–जल प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत नगर पालिका परिषद, राघोगढ़ में लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नानुसार थी :

rkfydk&2-19 %jkT; ds jkti= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k

¼ifr'kr esa½

l- Ø-	lsok ladsrd	Hkkjr ljdkj ds ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	शौचालयों का कवरेज	100	80	80	84	80	90	70
2	सीवरेज तंत्र की व्यप्तता	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	सीवरेज तंत्र की संग्रहण क्षमता	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	मल–जल उपचार की पर्याप्तता	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	शोधित मल–जल पुनः उपयोग/पुनर्चक्रीकरण विस्तार	100	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(स्त्रोत : राज्य शासन द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना)

➢ हमनें देखा कि नगर पालिका राघोगढ़ द्वारा शौचालयों की व्यप्तता के संबंध में कोई अभिलेख संधारित नही किये गये थे । इस प्रकार राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धियों का कोई आधार नही था । राघोगढ़ में कोई मल–जल प्रबंधन तंत्र स्थापित नही था ।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राघोगढ़ ने उत्तर में बताया कि राघोगढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मल जल निकासी तंत्र स्थापित नही किया जा सकता । वर्तमान में मल–जल निकासी सेप्टिक टैंक में होती है ।

2-1-4-19 uxj ikfydk Bksl vif'k"V ic/ku

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत राघोगढ द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उसके विरूद्व उपलब्धि निम्नानुसार थी :

rkfydk&2-20 %jkT; ds jkti= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k

¼ifr'kr esa½

l- Ø-	lsok ladsrd	Hkkjr ljdkj ds ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	घरेलू स्तर कवरेज	100	30	22	45	22	60	20
2	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट संग्रहण क्षमता	100	83	83	85	83	90	80
3	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण	100	निरंक	निरंक	20	निरंक	40	निरंक
4	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से निपटान	100	निरंक	निरंक	20	निरंक	40	निरंक
5	लागत वसूली हद	100	7	7	15	10	20	20

(स्त्रोत : नगर पालिका परिषद राघोगढ़ द्वारा प्रदत्त जानकारी)

- हमने देखा कि घर–घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था राघोगढ़ में प्रचलित नही थी ।
- राघोगढ़ में निकलने वाला समस्त नगर पालिका ठोस अपशिष्ट संग्रहित किया गया ।
- राघोगढ़ में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण एवं उसके निपटान की कोई व्यवस्था नही थी ।
- नगर पालिका परिषद, राघोगढ़ में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की संचालन लागत ₹ 0.12 करोड़ थी परंतु कोई प्रभार अधिरोपित एवं वसूल नही किये गये थे ।

इसे इंगित किये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राघोगढ़ ने उत्तर में बताया कि नगर में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

2-1-4-20 o"kkZ ty fudklh lsok,¡

राघोगढ़ नगर पालिका परिषद में वर्षा जल निकासी सेवाओं के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नानुसार थी :

rkfydk&2-21 % jkT; dh jkti= esa vf/klwfpr y{; ,oa miyfC/k

l- Ø-	lsok ladsrd	Hkkjr ljdkj dk ekun.M	2011&12		2012&13		2013&14	
			y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र की व्याप्तता (प्रतिशत)	100	70	71	80	75	100	70
2	जलमग्नता / बाढ़ की घटनाएं	शून्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(स्त्रोत : राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना))

हमने देखा कि उक्त संकेतकों से संबंधित कोई भी अभिलेख संधारित नही किये गये थे । अभिलेखों के अभाव में संकेतकों के अंतर्गत वास्तविक स्थिति का पता नही लगाया जा सका ।

2-1-5 vuqJo.k ,oa ewY;kadu

2-1-5-1 uxjh; fudk; Lrj ij

हैंडबुक के पैरा 1.3 के अनुसार नगरीय निकाय स्तर पर सेवा स्तर मानदण्ड के निष्पादन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए निष्पादन प्रबंधन डाटा संधारित किया जाना चाहिये था । निष्पादन प्रबंधन डाटा आवश्यक लोक प्रकटिकरण में प्रसारित जानकारी में शामिल किया जाना था । आवधिक रूप से निष्पादन प्रतिवेदन निकालना नगरीय निकायों का एक प्रमुख कार्य था । फील्ड कार्यालय स्तर से प्राप्त होने वाली जानकारियों के एकत्रीकरण तथा निष्पादन रिपोर्ट निकालने के लिए किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को नामित किया जाना चाहिये था । यह भी कि जो निष्पादन संकेतक प्रतिवेदित किए गये है उनका प्रबंधन स्तर पर जैसे महापौर / नगर पालिक आयुक्त स्तर पर सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिये था ।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि :

- किसी भी नगरीय निकाय द्वारा निष्पादन प्रबंधन डाटा संधारित नही किया गया था ।

- यद्यपि नगर पालिक निगम इंदौर एवं बुरहानपुर द्वारा नोडल अधिकारी को नामित किया गया था परंतु उनके द्वारा फील्ड कार्यालयों से कोई डाटा एकत्रित नही किया गया और न ही कोई प्रतिवेदन तैयार किया गया ।
- सेवा स्तर मानदण्ड के निष्पादन संकेतकों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया । प्रबंधन स्तर पर भी इस संबंध में कोई बैठक आदि आयोजित नही की गई थी ।
- लोक शिकायतों के संबंध में नगरीय निकायों द्वारा कोई डाटाबेस संधारित नही किया गया था ।

इस प्रकार चारो नगरीय निकायों में अनुश्रवण की व्यवस्था अस्तित्व में नही थी ।

2-1-5-2 jkT; Lrj ij

सेवा स्तर मानदण्ड की हैंडबुक के पैरा 1.3 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए आवश्यक था कि वह सेवा स्तर मानदण्ड का आवधिक मूल्यांकन करें जो योजना तैयार करने, स्त्रोतो का आवंटन, प्रोत्साहनों/दंडो का निर्धारण तथा तकनीकी एवं मानव सहायता के संबंध में निर्णय लेने में सहायक हो सके ।

हमने देखा कि राज्य स्तर पर सेवा स्तर मानदण्ड का मूल्यांकन नही किया गया ।

मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने उत्तर में बताया (फरवरी 2015) कि राज्य स्तर पर एक सेवा स्तर मानदण्ड सेल गठित किया गया था तथा संभागीय स्तर पर पदस्थ कार्यपालन यंत्रियों को सेवा स्तर मानदण्ड के अनुश्रवण के लिए निर्देशित किया गया था ।

2-1-6 fu"d"k

- चारो नगरीय निकायों में निरंतर एवं गुणवत्ता युक्त जल आपूर्ति की पर्याप्तता उपलब्ध नही थी । नगरीय निकायों द्वारा जल आपूर्ति कनेक्शनों के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड 100 प्रतिशत से कम थे । इंदौर में इसकी उपलब्धि केवल 31 से 34 प्रतिशत थी जो उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम थी । वर्ष 2013–14 में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति केवल 55 से 100 लीटर थी जबकि मानदण्ड 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था । सेवा संचालन की लागत की वसूली 100 प्रतिशत मानदण्ड के विरूद्व दो नगर पालिक निगमों में 28 से 50 प्रतिशत थी तथा दो नगर पालिका परिषदों में 2 से 14 प्रतिशत थी ।
- नगर पालिक निगम इंदौर के सिवाय, अन्य नगरीय निकायों में मल जल प्रबंधन सेवाएं अस्तित्व में नही थी । इंदौर में भी इस सेवा हेतु कोई संचालन लागत वसूल नही की गई थी ।
- चार नगरीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण कुल निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का 86 से 100 प्रतिशत था । फिर भी केवल इंदौर में अपशिष्ट का निपटान किया गया था जो कुल लैंडफिल साइट पर संग्रहित किए गए ठोस अपशिष्ट का केवल 7 प्रतिशत था ।
- राज्य द्वारा वर्षा जल निकासी तंत्र की व्याप्तता के अंतर्गत उपलब्धि 70 से 90 प्रतिशत दर्शाई थी जबकि नगरीय निकायों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में कोई अभिलेख ही संधारित नही किया गया था ।

2-2 ty 'k)hdj.k l;= ij fu"QYk 0;;

uxj ikfydk ifj"kn jktx< }kjk 'k) i;ty vkifr gr uohu ty forjf.kdk u Mkyu ,o vxLr 2009 e Ø; fd;k x;k ty 'kf)dj.k l;= dk lLFkkiu ,o ifjpkyu u gku d dkj.k jkf'k ₹ 36-44 yk[k dk fu"Qy 0;;

नगर परिषद राजगढ जिला धार के निवासियों को शुद्ध पेयजल प्रदाय करने को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष नगर परिषद द्वारा एक जल शुद्धीकरण संयंत्र के क्रय एवं संस्थापन के लिए राशि ₹ 44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदाय की गई। उक्त संयंत्र की स्वीकृति विद्यमान जल वितरण प्रणाली की संधारण लागत बहुत अधिक एवं आपूर्ति किये जाने वाले जल की शुद्धता स्तर को प्राप्त करने में कठिनाई की तार्किकता पर दी गई ।

नगर परिषद, राजगढ़ के अभिलेखों की नमुना जांच में हमने देखा (सितम्बर 2013) कि नगर पालिका अधिकारी द्वारा जून 2009 में जल शुद्धीकरण संयंत्र के क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी (संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)[3] के बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये निविदा आमंत्रित की गई तथा आवश्यक आधारभूत संरचना की उपलब्धता जैसे प्रमाणित पाईप लाईन सुनिश्चित किये बिना ही निविदा आमंत्रित कर नगर परिषद द्वारा न्यूनतम निविदा दर राशि ₹ 50 लाख[4] की स्वीकृति की गई ।

नगर परिषद द्वारा अगस्त 2009 में संयंत्र क्रय किया गया और फर्म को राशि ₹ 35 लाख[5] का भुगतान किया गया तथा शेष राशि संयंत्र के प्रतिस्थापन पर देय था । नगर परिषद द्वारा संयंत्र के प्रतिस्थापन के लिए राशि ₹ 1.44 लाख व्यय कर एक चबूतरे का निर्माण (मार्च 2011) कराया गया । जबकि संयंत्र जुलाई 2014 तक प्रतिस्थापित नहीं किया गया क्योंकि स्वच्छ जल वितरण हेतु नई पाईप लाईन नहीं बिछाई गई जो कि संयंत्र के उपयोग हेतु आवश्यक था । 90 प्रतिशत जल वितरण पाईप लाईन जुलाई 2014 तक बिछा दी गई ।

आपत्ति इंगित किये जाने पर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, द्वारा अवगत कराया (सितम्बर 2013) कि मानक पाईप लाईन उपलब्ध न होने के कारण संयंत्र चालू नहीं किया जा सका । यह भी कहा गया (फरवरी 2015) कि नई पाईप लाईन बिछाने के पश्चात संयंत्र चालू कर दिया जाएगा ।

इस प्रकार वांछित मानक जल वितरण पाईप लाईन उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना क्रय पर राशि ₹ 36.44 लाख का भुगतान निष्फल रहा एवं संयंत्र के उपयोगी लाभ से भी वंचित रहना पड़ा ।

लेखापरीक्षा की आपत्ति को शासन द्वारा स्वीकार कर अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि उत्तरदायित्व निर्धारित कर उचित कार्यवाही प्रचलित की जाएगी ।

---

3 नगर पंचायत परिषद को राशि 25 लाख तक और संचालक, नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग को राशि ₹ 25 लाख से अधिक एवं राशि 2 करोड़ तक स्वीकृति के अधिकार प्राप्त हैं

4 जल शुद्धीकरण संयंत्र की कीमत राशि ₹ 50 लाख में संयंत्र के प्रतिस्थापन एवं रख–रखाव के व्यय भी प्रतिस्थापन दिनांक से एक वर्ष तक के लिए शामिल थे।

5 राशि ₹ 25 लाख सितंबर 2009 एवं राशि ₹ 10 लाख दिसंबर 2012 में

2.3 ou foHkkx dh Hkwfe ij fuekZ.k dk;Z djkus ls vifO;;h O;;

uxj ikfyd fuxe Xokfy;j }kjk ou foHkkx dh Hkwfe ij Hkou fuekZ.k ;kstuk dk;Z djkus ij ou foHkkx }kjk dk;Z dks jksdk x;k ,oa fufeZr dk;Z dks NksMuk iMkA ftlds QyLo:i jkf'k 25-55 yk[k vifO;; jgh

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत एकीकृत भवन एवं मलिन बस्ती विकास योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई । योजना के अन्तर्गत क्रमशः भारत सरकार, राज्य सरकार एवं हितग्राही द्वारा राशि के अनुपात 80:8:12 उपलब्ध कराई जाएगी । योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित मलिन बस्ती निवासियों को शहरी क्षेत्र में आवास एवं आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना था । योजना की मार्गदर्शिका अनुसार योजना अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय वांछित भूमि की स्थिति स्पष्ट एवं दोषमुक्त होना चाहिए ।

नगर पालिक निगम, ग्वालियर के अभिलेखों की नमुना जॉच में हमने देखा (जनवरी 2013) कि भारत सरकार द्वारा सामाज के आर्थिक कमजोर वर्ग ई.डब्लू.एस. के लोगों के लिए 448 आवासीय ईकाई के निर्माण हेतु आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत अनुमानित लागत राशि ₹ 8.16 करोड की स्वीकृति दिसंबर 2006 जारी की गई । इस उद्देश्य के लिए जिला कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा नगर पालिक निगम को (फरवरी 2008) 0.805 हेक्टेयर भूमि समाधिया कॉलोनी, ग्वालियर में उपलब्ध कराई गई । नगर पालिक निगम, ग्वालियर द्वारा नवम्बर 2009 में फर्म[6] के साथ ई.डब्लू.एस. आवासीय ईकाईयों के निर्माण के लिए अनुबंध किया गया । जबकि आवंटित भूमि विवादित स्थिति में पाई गई, उक्त भूमि पर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया । नगर पालिक निगम के निवेदन पर जिला कलेक्टर द्वारा विवादित भूमि के बदले गुड़ी में प्लाट क्र. 644, 731 और 526 उपलब्ध (फरवरी 2011) कराई गई ।

ग्वालियर नगर पालिक निगम ने योजना का प्राथमिक कार्य जैसे कि खुदाई, नीव, आधारस्तंभ आदि प्लाट क्र. 526 पर (फरवरी 2011) प्रारंभ कर दिया । जबकि वन विभाग द्वारा जुलाई 2011 में कार्य को इस आधार पर रूकवा दिया गया कि उक्त भूमि आरक्षित वन क्षेत्र के आधिपत्य में थी । ग्वालियर नगर पालिक निगम द्वारा सितम्बर 2011 में जिला कलेक्टर को स्थिति से अवगत कराया ।

इसी बीच जुलाई 2011 में प्लाट क्रमांक 526 पर किये गये निर्माण कार्य के भुगतान हेतु फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत किया गया । ग्वालियर नगर पालिक निगम द्वारा ₹ 25.55 लाख का भुगतान नवम्बर 2011 में किया गया । ग्वालियर नगर पालिक निगम द्वारा उपलब्ध (जुलाई 2014) कराई गई सूचनानुसार प्लांट क्रमांक 526 पर भूमि विवाद के निपटान में देरी को दृष्टिगत रखते हुए भवन निर्माण योजना का कार्य प्लांट क्रमांक 731 गुड़ी पर स्थान्तरित कर दिया गया ।

इस तरह, भूमि की स्थिति स्पष्ट किये बिना ई.डब्लू.एस. आवास के निर्माण पर राशि ₹ 25.55 लाख का व्यय निष्फल सिद्ध होता है ।

आपत्ति इंगित किये जाने पर आयुक्त, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने अप्रैल एवं जुन 2014 में अवगत कराया कि जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य कराया गया तथा इस बात की जानकारी नहीं थी कि उक्त भूमि वन विभाग के अधीनस्थ थी । यदि कार्य शुरू करने के पूर्व ही वन विभाग द्वारा आपत्ति ली जाती तो उक्त व्यय से बचा जा सकता था ।

[6] मेसर्स प्रेगमेटिक इन्फ्रास्टचर लिमिटेड

आयुक्त द्वारा दिया गया जवाव तर्कसंगत नहीं है कि निगम का उत्तरदायित्व है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने से पूर्व भूमि की स्थिति स्पष्ट एवं दोषमुक्त होनी चाहिए ।

मसौदा शासन को फरवरी 2014 में प्रेषित किया गया, जिसका उत्तर अब तक अप्राप्त है (फरवरी 2015) ।

अध्याय – 3

पंचायती राज संस्थाओं के वित्त एवं लेखांकन प्रक्रिया पर विहंगावलोकन

Hkkx & nks
iapk;rh jkt laLFkk,

v/;k; & rhu
iapk;rh jkt laLFkkvksa dh foRr ,oa ys[kkdu izfØ;k ij fogaxkoyksdu

3-1 izLrkouk

सबसे निचले स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने और ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित एवं पहचान दिलाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 लागू किया गया । संविधान के अनुच्छेद 243(छ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियॉ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसा नियम अधिकारों और शक्तियों के उचित स्तर पर पंचायतों को हस्तांतरण के लिये विनिर्दिष्ट की जाये । निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किये जा सकेगें ।

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएॅं तैयार करना; एवं

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को, जो उन्हें सौंपी जाये, जिसके अंतर्गत वे योजनाएॅं भी है जो ग्यारहवीं अनुसूची[1] में सूचीबद्ध बिषयों के संबंध में है, को क्रियान्वित करना ।

इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के प्रावधानों के अनुसार राज्य का विधान मण्डलः

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुये कर, शुल्क, पथकर और फीसें विनियोजित और संग्रहित करने के लिये किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी शर्ते तथा सीमाओं के अधीन रहते हुये राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायतों को सौंपा जा सकेगा;

(ग) पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिये उपबंध कर सकेगा; एवं

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिये ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिये भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किये गये हों ।

परिणामतः मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं हेतु निम्नानुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थायें स्थापित की गई ।

- जिला स्तर पर जिला पंचायत
- ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत
- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

वर्तमान में राज्य में 50 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें और 23,006 ग्राम पंचायतें हैं (मार्च 2014) ।

---

[1] संविधान के अनुच्छेद 243जी एवं एच (73वां संविधान संशोधन) अधिनियम, 1992

मध्य प्रदेश राज्य के मूलभूत जनसांख्यिकी जानकारी एवं राष्ट्रीय औसत के अनुसार निम्न प्रकार है :

fooj.k	bdkbZ	e/; izns'k	jk"Vªh; vkSlr
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में अंश	*प्रतिशत*	6	.
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	5	83
ग्रामीण जनसंख्या का अंश	*प्रतिशत*	72	69
साक्षरता दर*	*प्रतिशत*	71	74
लिंग अनुपात स्त्रियॉं प्रति 1000 पुरूषों के अनुसार*	अनुपात	930 / 1000	940 / 1000

(स्त्रोत : जनगणना 2011)

3-2 iz'kklfud 0;oLFkk,¡

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय 3 के अनुसार राज्य सरकार की निगरानी के अधीन नियमों तथा अधिनियमों में प्रदत्त कार्यो का निष्पादन करने हेतु सभी पंचायती राज संस्थायें स्वतंत्र कानूनी प्राधिकारी है । राज्य, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तर पर कार्य संचालन हेतु संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है :

iapk;r jkt laLFkkvksa dh laxBukRed lajpuk

सचिव (पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग)

↓

आयुक्त ¼पंचायती राज विभाग½

↓

	जिला पंचायतें →	जनपद पंचायतें →	ग्राम पंचायतें
iz'kklfud vf/kdkjh	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सचिव
fuokZfpr izkf/kdkjh	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सरपंच

3-3 f=Lrjh; iapk;rh jkt laLFkkvksa dh Hkwfedk vkSj ftEesnkfj;kW

iapk;rh jkt laLFkk,¡	mRrjnkf;Ro
जिला पंचायतें	जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन, मूल्यांकन और उनकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण ।
जनपद पंचायतें	राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्थानांतरित किये गये विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कराना, निरीक्षण करना पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना ।
ग्राम पंचायतें	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का जिला पंचायत या जनपद पंचायतों द्वारा कानून के तहत प्रदाय किये गये परियोजना कार्यो और योजनाओं के क्रियान्वित को सुनिश्चित करना ।

ftyk iapk;r vkj tuin iapk;r dh LFkk;h lfefr;k

क) सामान्य प्रशासनिक समिति

ख) कृषि समिति

ग) शिक्षा समिति

घ) सूचना और कार्य समिति

ङ) सहकारिता एवं उद्योग समिति

xke iapk;r dh LFkk;h lfefr;k

क) सामान्य प्रशासनिक समिति

ख) निर्माण और विकास समिति

ग) शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति

3-4 ys[kkijh{kk ;kstuk dk fØ;kUo;u

राज्य की 23,369 पंचायती राज संस्थाओं (50 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें, 23,006 ग्राम पंचायत एवं संचालनालय पंचायत राज और रोजगार गारंटी परिषद) में से वर्ष 2013–14 में 397 पंचायती राज संस्थाओं (34 जिला पंचायत, 105 जनपद पंचायत, 258 ग्राम पंचायत एवं पंचायती राज और रोजगार गारंटी परिषद) की लेखापरीक्षा संपन्न की गई । लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये मुद्दे निम्नानुसार दिये गये हैं :

3-5 ys[kkdu 0;oLFkk

3-5-1 Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kkijh{kd }kjk fu/kkfjr i i= e ys[kkvk dk l/kkj.k

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं पंचायती राज मंत्रालय (भारत सरकार) के लेखांकन रूपरेखा एवं संहिताकरण पद्वति के लिए आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति 1 अप्रैल 2010 से लागू किये जाने के लिए तैयार किया गया । मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदर्श लेखांकन पद्धति (प्राप्ति एवं अदायगी लेखे, समेकित लेखे, समाधान पत्रक, प्राप्ति और अदायगी पत्रक, चल संपत्ति पंजी, अचल संपत्ति पंजी, वस्तु सूची पंजी, मॉग और संग्रहण पंजी इत्यादि) अगस्त 2010 से अपनाया गया ।

हमने सभी 397 पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की जांच में पाया कि लेखाओं का संधारण आदर्श पंचायत लेखा पद्धति में प्रदत्त लेखों के अनुसार नहीं था । सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थायें अपने लेखों का संधारण प्रचलित मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अनुसार कर रहे थे ।

इस तथ्य को संयुक्त संचालक (वित्त) पंयायती राज संचालनालय के ध्यान में लाये जाने पर (अगस्त 2014) बताया गया कि आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति लागू किये जाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर आदेश जारी कर दिये गये है । संचालन स्तर पर प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है लेकिन विभिन्न कठिनाइयों के कारण आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति प्रारंभ नहीं की जा सकी ।

3-5-2 iapk;rh jkt lLFkkvk dk okf"kd ctV

मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 73 के अनुसार प्रत्येक पंचायत को वार्षिक बजट तैयार करना चाहिए । बजट प्रस्तुतिकरण के लिये समय सीमा का भी निर्धारण किया गया है ।

लेखापरीक्षित 397 पंचायती राज संस्थाओं (34 जिला पंचायत, 105 जनपद पंचायत एवं 258 ग्राम पंचायत) एवं पंचायती राज संचालनालय में देखा कि 41 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वार्षिक बजट तैयार नहीं किया गया । 330 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संबंधित दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि दो ग्राम पंचायतों (निवाड़ी और गोलानी जिला पंचायत सागर) द्वारा बजट समय पर तैयार किया गया

और 24 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 354 दिन तक विलम्ब से बजट तैयार किया गया, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है :

rkfydk & 3-1 ¼okf"kZd ctV rS;kj fd;s tkus dh fLFkfr

iapk;rh laLFkk;sa	ys[kk ijhf{kr bdkb;ksa dh la[;k	ctV rS;kj djus dh fu/kkfjr le;	iapk;rh jkt laLFkkvksa dh la[;k ftUgksus ctV rS;kj ugha fd;k	iapk;rh jkt laLFkkvksa dh la[;k ftUgksus ctV foyEc ls rS;kj fd;k
जिला पंचायत	34	20 जनवरी	2	7 (07 से 354 दिन)
जनपद पंचायत	105	30 जनवरी	10	16 (09 से 252 दिन)
ग्राम पंचायत	258	21 फरवरी	29	01 (51 दिन)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मानदण्ड के अनुसार वार्षिक बजट तैयार नहीं किये गये ।

3-6 ys[kkijh{kk O;oLFkk,¡

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के अंतर्गत लाया गया (नवंबर 2001) तदनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजे गये ।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में कहा गया है कि राज्य सरकार सभी स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं को सभी स्तर) में एक लेखापरीक्षा पद्धति अनिवार्य रूप से लाये । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को राज्य के प्रत्येक स्तर के सभी स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता की अनुमति दी जाये । वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा) के वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक रूप से राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाये । मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129 को जुलाई 2011 में संशोधित किया गया । इसके अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की पंचायतों का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे कि उपरोक्त प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखा जा सके ।

यद्यपि, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के साथ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

आयुक्त, पंचायती राज विकास विभाग द्वारा बताया गया (अगस्त 2014) कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के प्रतिवेदन के साथ विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जायेंगे ।

- Hkkjrh; ys[kk ,oa ys[kkijh{kk foHkkx }kjk iznRRk rduhdh ekxZn'kZu ,oa lgk;rk

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 की धारा 152 में पंचायत राज संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं :

- पंचायत राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए स्थानीय निधि संपरीक्षक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार कर उसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की ओर प्रेषित करना चाहिए ।
- पंचायत राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा राज्य के विभिन्न अधिनियमों और संविधियों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्धारण के आधार पर सुनिश्चित की जायेंगी ।
- प्रणाली में सुधार के लिए सलाह हेतु महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियॉ प्रेषित की जानी चाहिए ।

वर्ष 2013–14 की लेखापरीक्षा योजना संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा तैयार कर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की ओर अग्रेषित किया गया । स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा समय–समय पर बताये गये पद्धति एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया गया । निरीक्षण प्रतिवेदनों को पुनरीक्षण हेतु महालेखाकार की ओर अग्रेषित किया गया ।

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश के मध्य मई 2014 में एक बैठक का आयोजन किया गया और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन 2007 की धारा 152 में वर्णित उपबंधों के पालन पर सहमती व्यक्त की गई ।

3.7 jkt Lo d L=kr

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के मुख्यतः दो स्त्रोत है जैसे शासकीय अनुदान एवं स्वयं का कर राजस्व, जिसमें शामिल है :

- भारत के 13वें वित्त आयोग[2] के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये अनुदान; एवं
- तीसरे राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार राज्य शासन द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के विभाज्यनीय कर राजस्व की चार प्रतिशत राशि ।

तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत) कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाज्यनीय निधि[3] पंचायत राज संस्थाओं में विभाजित किया जाना चाहिए । वर्ष 2013–14 के दौरान वित्त विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान का पंचायती राज संस्थाओं का विभाजन नीचे दर्शाया गया है :

rkfydk & 3-2 % ipk;rh jkt lLFkkvksa dk foHkkT;uh; fuf/k

¼₹ djksM+ e½

o"k	jkT; 'kklu dh foHkkT;uh; fuf/k	foHkkftr fuf/k	okLrfod foHkkftr fuf/k
2013–14	23940	957.60	809.63

(स्त्रोत : वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

इस प्रकार वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 147.98 करोड़ का कम विभाजन किया गया ।

---

2 पंचायती राज संस्थाओं को 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोग का विवरण कंडिका 3.16.2 में दिया गया है

3 विभाज्यनीय निधि : पूर्व वर्ष का कुल कर राजस्व – करों के संग्रहण पर किये गये व्यय का 10 प्रतिशत एवं पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गये राजस्व का घटाव

3.8 ipk;rh jkt lLFkkvk dh ikfIr;k vkj 0;;

राज्य शासन द्वारा राज्य बजट से पिछले 5 वित्तीय वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियॉं (राज्य के कर राजस्व का अंश, योजनाओं को लागू करने के लिए अनुदान) निम्नानुसार दिया गया है :

rkfydk & 3-3 ¼ ipk;rh jkt LkLFkkuk dh ikfRr ,o 0;;

¼₹ djkM+ e½

vunku				okLrfod 0;;			v0;f;r fuf/k ¼4&7½	v0;f;r fuf/k dk ifr'kr
o"k	jktLo	ithxr	dy	jktLo	ithxr	dy		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2009—10	4942.02	7.02	4949.04	4038.20	5.01	4043.21	905.83	18
2010—11	6585.74	231.40	6817.14	5678.75	198.65	5877.40	939.74	14
2011—12	7670.04	241.08	7911.12	6697.87	365.29	7063.16	847.96	11
2012—13	8948.74	345.78	9294.52	8385.85	345.30	8731.15	563.37	6
2013—14	10752.72	213.70	10966.42	9151.26	91.10	9242.36	1724.06	16
;kx	38899-26	1038-98	39938-24	33951-93	1005-35	34957-28	4980-96	

(स्त्रोतः विनियोजन लेखे अनुदान सं. 15, 52, 62 एवं 74)

3.9 fuf/k;k] dk;k ,o dk;dkfj;k dk gLrkrj.k

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 29 कार्यों (संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित) ओर लोक सेवाओं को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया हो ।

इसे इंगित किये जाने पर आयुक्त पंचायती राज द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निधियां, कार्यों एवं कार्यकारियों को अगस्त 2014 तक नहीं सौंपा गया ।

3.10 cd lek/kku fooj.k i=d r;kj u fd;k tkuk

म.प्र. पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 25 एवं 26 के अनुसार प्रत्येक माह रोकड़बही के शेष तथा बैंक शेष में अंतर, यदि कोई हो, पाये जाने पर उसका मिलान समाधन विवरण पत्रक तैयार कर किया जाना चाहिए ।

397 पंचायती राज संस्थानों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि 131 पंचायती राज संस्थाओं में बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किए गए परिणामस्वरूप 124 पंचायती राज संस्थाओं[4] में बैंक शेष की तुलना से रोकड़बही शेष ₹ 94.43 करोड़ कम था एवं दिनांक 31 मार्च 2013 की स्थिति में 41 पंचायती राज संस्थाओं[5] में रोकड़बही शेष ₹ 17.96 करोड़ बैंक शेष की तुलना में अधिक था ¼ifjf'k"V&3-1½ । यद्यपि 56 पंचायती राज संस्थाओं[6] ने बैंक समाधान पत्रक तैयार किए एवं 202 पंचायती राज संस्थाओं ने लेखापरीक्षा को जानकारी नहीं दिया ।

अंतरों का समाधान नहीं किए जाने से निधियों के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

---

4 जिला पंचायत – 15, जनपद पंचायत – 59 एवं ग्राम पंचायत – 50

5 जिला पंचायत – 08, जनपद पंचायत – 26 एवं ग्राम पंचायत – 07

6 जनपद पंचायत – 01 एवं ग्राम पंचायत – 55

3.11 vLFkkbZ vfxzeksa dk lek;kstu ugha fd;k tkuk

मध्य प्रदेश जिला पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 52 एवं मध्य प्रदेश जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 49 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि जिस प्रयोजन हेतु अग्रिम प्राप्त किया गया है उसके पूरा होने के तत्पश्चात व्यय का विवरण तुरंत प्रस्तुत करें । प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उसके अगले माह के वेतन या देय राशि से अग्रिम की कुल राशि की वसूली की जायेगी ।

397 पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 41 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 1994–95 से व्यक्तिगत एवं एजेन्सियों को दिए गए राशि ₹ 2.78 करोड़ के अस्थायी अग्रिम 31 मार्च 2013 को समायोजन हेतु लंबित थे । विवरण ifjf'k"V 3-2 में दर्शाया गया है । 358 पंचायती राज संस्थाओं मे अस्थायी अग्रिम बकाया नहीं थे ।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सचिव (ग्राम पंचायतों) ने बताया (2013–14) कि अग्रिमों की वसूली कर ली जायेगी ।

3.12 fujh{k.k izfrosnuksa dh yafcr dafMdkvksa dh fLFkfr

हमने देखा कि 399 निरीक्षण प्रतिवेदनों को, तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्था के लिए संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को भेजे गये । संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को लेखापरीक्षा कंडिकाओं का अनुपालन करना था, जबकी 31 मार्च 2014 को वर्ष 2013–14 के दौरान जारी कुल 502 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 3712 कंडिकाओं सहित कुल 4152 निरीक्षण प्रतिवेदनों की कुल 23667 कंडिकायें निराकरण हेतु लंबित थी ।

rkfydk & 3-4 ½ yafcr fujh{k.k izfrosnu ,oa dafMdkvksa dk fooj.k

l- Ø-	o"kZ	izkjfEHkd 'ks"k lfgr o"kZ ds nkSjku 'kkfey		fujkdr		var 'ks"k	
		fujh- izfr- dh l-	dafMdkvksa dh l-	fujh- izfr- dh l-	dafMdkvksa dh l-	fujh- izfr- dh l-	dafMdkvksa dh l-
1	2009–10 तक	2029	10824	35	336	1994	10488
2	2010–11	278	1611	5	159	273	1452
3	2011–12	813	4824	6	357	807	4467
4	2012–13	576	3674	0	126	576	3548
5	2013–14	502	3786	0	74	502	3712
	;ksx	4198	24719	46	1052	4152	23667

(स्त्रोत : मासिक बकाया प्रतिवेदन)

3.13 13oha foRRk vk;ksx dh vuq'kalk ij tkjh ,oa mi;ksx fd;k x;k vuqnku

13वें वित्त आयोग अनुदान का विभाजन पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राज्य की वर्ष 2001 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या की हिस्सेदारी अर्थात (4.44 करोड) 74 प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या (6.03 करोड) के अनुपात में किया गया । राज्य शासन विशेष क्षेत्रों[7] में सामान्य मूल अनुदान एवं निष्पादन अनुदान का एक भाग, वैसे क्षेत्रों को आवंटित होनें वाले अनुदानों के अतिरिक्त कर सकता है ।

---

[7] म.प्र. के 50 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं 23006 ग्राम पंचायतों में से 20 जिला पंचायतें, 90 जनपद पंचायतें एवं 5221 ग्राम पंचायतें विशेष क्षेत्र में वर्गीकृत है

वर्ष 2013–14 में राज्य शासन द्वारा प्राप्त केन्द्रीय अनुदान तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जारी होनें का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ djksM+ esa)

vuqnku dk izdkj	13oa foRRk vk;ksx }kjk vuq'kaflr	iapk;r ,oa xzkeh.k fodkl foHkkx }kjk iapk;rh jkt laLFkkvksa dks tkjh jkf'k
सामान्य मूल अनुदान (जी.बी.जी)	615.10	629.26
विशेष क्षेत्र मूल अनुदान (एस.ए.बी.जी)	22.56	24.24
सामान्य निष्पादन अनुदान (जी.पी.जी)	420.30	388.08[8]
विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान (एस.ए.पी.जी)	22.56	निरंक
dqy ;ksx	1080-52	1041-58

(स्त्रोतः जानकारी वित्त विभाग द्वारा प्रदाय)

3-13-1 13oa foRRk vk;ksx vuqnku fØ;kUo;u ,tsfUl;ksa dks foyEc ls tkjh djuk

भारत सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका के पैरा 4.2 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुदान राशि क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्धारित समयावधि अर्थात वैसे राज्य जहॉं बैंकिंग सेवा आसानी से उपलब्ध हो पॉंच दिनों के अन्दर तथा जहॉं बैंकिग सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो, दस दिनों के भीतर अनुदान राशि हस्तांतरित किया जाना था । किसी भी विलंब की स्थिति में, वर्ष 2010–11 की द्वितीय किश्त से राज्य सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक दर से ब्याज सहित अनुदान की किश्त जारी करनी थी ।

हमने देखा कि वर्ष 2013–14 के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13वें वित्त आयोग अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं के मध्य पांच से 120 दिवस के विलंब से जारी किया गया, फलस्वरूप राज्य सरकार पर ब्याज के रूप में ₹ 6.82 करोड़[9] का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा ¼ifjf'k"V 3-3½ । राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 184.31 लाख[10] ब्याज के रूप में स्वीकृत किया गया परन्तु मात्र ₹ 36.26 लाख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रदान किया गया ।

आपति इंगित करनें पर आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (सितम्बर 2014) ने बताया कि सामान्य निष्पादन अनुदान की स्वीकृति उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदन में विलंब के कारण पंचायती राज संस्थाओं को बिलम्ब से जारी हुआ । राज्य सरकार ने 13वें वित्त आयोग अनुदान को जारी करने में विलंब होने के कारण ₹ 7.41 करोड़ ब्याज के रूप में स्वीकृत किये जिसमें से ₹ 36.26 लाख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 30 जुलाई 2013 को प्रदान किये गये ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने कुल ब्याज राशि ₹ 6.82 करोड़ के विरूद्व मात्र ₹ 184.31 लाख स्वीकृत किये एवं ₹ 36.26 लाख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जारी किये गये ।

8 पूर्व वर्ष की रोका गया अनुदान राशि ₹ 173.23 शामिल है

9 ब्याज की गणना, केन्द्रीय अनुदान की प्राप्ति दिनांक से 10 दिन घटाकर, 8.5 प्रतिशत की दर से की गई है

10 राज्य शासन ने दिनांक 26.03.2011 को ₹ 122.78 लाख, 08.01.2013 को ₹ 25.27 लाख एवं 15.07.2013 को ₹ 36.26 लाख स्वीकृत किये

3-13-2 Hkkjr ljdkj dk mi;kfxrk iek.k i= dk iLrrhdj.k

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी कार्य योजना (अगस्त 2010) की कंडिका 10 एवं 11 के अनुसार प्रत्येक ग्राम प्राप्त अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र, मासिक प्रतिवेदन के साथ–साथ जनपद पंचायत को प्रस्तुत करेगा । जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण को संकलित कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगा । जनपद पंचायतों द्वारा संकलित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जायेगा एवं जिला पंचायत, जनपदों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजेगा ।

भारत सरकार द्वारा जारी 13वें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका के पैरा 6.3(ii) के अनुसार, 2010–11 की द्वितीय किश्त से, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग को पूर्व में प्राप्त किश्तों की उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेगा एवं वित्त विभाग भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेगा ।

हमने देखा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में प्राप्त समस्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को प्रस्तुत किये गये जिसे यथावत भारत सरकार को अग्रेषित किया गया । आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि वर्ष 2013–14 में जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायतों को 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदान राशि को ही व्यय मानते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को प्रस्तुत किये गये ।

पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि पांच जिला पंचायतों[11], 12 जनपद पंचायतों[12], दस ग्राम पंचायतों[13] द्वारा उच्च प्राधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये । यद्यपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे गये परन्तु प्रतिलिपि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार राज्य सरकार ने भारत सरकार को बढ़ी हुई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया ।

3-13-3 13oa foRRk vunku jkf'k dk jkT; ;ktuk e 0;;iru

राज्य योजनान्तर्गत 'मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार योजना', पूर्व स्थापित हाट बाजारों में ग्राहकों एवं व्यापारियों को बुनियादी सुविधायें सृजन करना था जिसका वित्त पोषण 'स्टाम्प डयूटी' एवं 'गौण़ खनिज उपकर' से किया जाना था ।

हमने देखा कि पूर्व स्थापित 2000 हाट बाजारों में राशि ₹ 960 करोड़ की लागत से अधोसंरचना सुविधाओं के निर्माण हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा (अप्रैल 2013) में निर्देश जारी किए गए । तदनुसार, जिला पंचायत सागर, विदिशा, रायसेन एवं देवास को योजनान्तर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ₹ 11.51 करोड़ (फरवरी, मार्च 2014) में स्वीकृती इस शर्त के साथ दी गयी की उक्त राशि का समायोजन 13वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान उपलब्ध होने पर किया जायेगा ।

अगस्त 2014 में हमने पुनः देखा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राशि ₹ 11.51 करोड़ 13वें वित्त के खाते से मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार योजना में

---

11 बुरहानपुर, छतरपुर, होशंगाबाद, झाबुआ और मंदसौर

12 बाबई, बनखेड़ी, बुरहानपुर, चावरपाठा, गोटेगांव, केसला, लांजी, माबई, मोहगांव, नौगांव, पिपरिया एवं विजयराघवगढ़

13 अड़गांव, बासपुर, बिल्हारा, जानाबाद, खामला, निम्बोला, सागोरिया, सरसडोली, सिरसौद एवं तुरकगुहारा

स्थानांतरित किया गया जबकि मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार योजना में व्यय योजना मद से ही किया जाना था जो नहीं किया जाकर 13वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान से समायोजन कर किया जाना अनियमित था ।

आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (नवम्बर 2014) में बताया गया कि सामान्य निष्पादन अनुदान से किसी भी राशि का व्ययपर्तन मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार योजना में नहीं किया गया है । उक्त जिलों को राशि ₹ 11.51 करोड़ विकास कार्यों के लिए अग्रिम, म.प्र. शासन के आदेश से दिया गया था, जिसका बाद में समायोजन 13वें वित्त निष्पादन अनुदान मद से किया गया ।

उत्तर उचित नहीं था क्योंकि राशि मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार योजना अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जहॉ पूर्व से ही निधि प्रावधानित था, इस प्रकार 13वें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग उक्त कार्य पर किया जाना अनियमित था ।

3-13-4 lkekU; fu"iknu vunku dk fty ,o tuin ipk;rk d e/; xj vuikfrd forj.k

13वें वित्त आयोग के दिशा निदेशों के पैरा 9.1 के अनुसार राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित की जावेगी एवं सामान्य निष्पादन अनुदान उच्च स्तरीय निगरानी समिति के परामर्श से जारी की जानी थी । इस समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठक होनी थी ।

म.प्र. शासन द्वारा जारी की गयी (अगस्त 2010) कार्य योजना के पैरा 3 के अनुसार सामान्य मूल अनुदान और विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान का पंचायती राज संस्थाओं में वितरण जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के आधार[14] पर किया जाना था, उसी अनुसार मूल अनुदान का वितरण जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के मान से किया गया ।

निष्पादन संबंधी अनुदान के वितरण के लिए वित्त विभाग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सामान्य मूल अनुदान वितरण हेतु कार्य योजना में उल्लेखित आधार को ही अपनाने की सलाह दी । जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रत्येक जिला एवं जनपद को वर्ष 2013–14 में क्रमशः ₹ 1.00 करोड़ एवं ₹ 0.25 करोड़ की दर से अनुदान वितरित करने का निर्णय (सितम्बर 2012) लिया । उपरोक्त मापदण्ड के आधार पर 50 जिला पंचायतों एवं 313 जनपद पंचायतों में राशि ₹ 129 करोड़ वर्ष में वितरित किया जाना था ।

वर्ष 2013–14 के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 50 जिला पंचायतों एवं 313 जनपद पंचायतो को राशि ₹ 394.97 करोड़ का वितरण सामान्य निष्पादन अनुदान अन्तर्गत किया गया । इस प्रकार ₹ 129 करोड़ की निर्धारित राशि के अतिरिक्त राशि ₹ 265.97 करोड़ का वितरण जिला एवं जनपद पंचायतों के मध्य बिना निर्धारित मापदण्ड जो स्वयं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था न तो उसका पालन किया गया एवं न ही वित्त विभाग द्वारा सुझाये गये मापदण्ड का पालन किया गया एवं किसी अन्य मापदण्ड को अतिरिक्त राशि के वितरण हेतु भी नहीं अपनाया गया, इस प्रकार सामान्य निष्पादन अनुदान जिला एवं जनपद पंचायतों के मध्य गैर अनुपातिक रूप से वितरण किया गया ।

हमने यह भी देखा कि वर्ष 2013–14 में जिला पंचायत सागर जहॉ 11 जनपद पंचायतें हैं, को सामान्य निष्पादन अनुदान राशि ₹ 41.23 करोड़ प्रदाय किया गया जबकि जिला

[14] 65 प्रतिशत जनसंख्या, 25 प्रतिशत क्षेत्रफल एवं 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को अधिभार देते हुए । विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान वितरण में 70 प्रतिशत जनसंख्या एवं 30 प्रतिशत क्षेत्रफल को अधिभार दिया गया

पंचायत छिंदवाड़ा में 11 जनपद पंचायतें एवं जिला पंचायत धार में 13 जनपद पंचायतें हेतु क्रमशः राशि ₹ 11.05 करोड एवं ₹ 11.15 करोड़ प्रदान किये गये । इसी प्रकार जिला पंचायत विदिशा एवं रायसेन जहां समान रूप से सात जनपद पंचायतें हैं, को क्रमशः ₹ 11.69 करोड़ एवं ₹ 11.38 करोड़ सामान्य निष्पादन अनुदान प्रदान किया गया । जबकि सात अन्य जिला पंचायतें[15] जिसमें समान संख्या में अर्थात सात जनपद पंचायतें हैं, को सामान्य निष्पादन अनुदान राशि ₹ 5.35 करोड़ से राशि ₹ 8.45 करोड़ के बीच प्रदान किया गया । सामान्य निष्पादन अनुदान वितरण का विस्तृत विवरण ifjf'k"V 3-4 में दिया गया है ।

आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा (नवंबर 2014) में बताया गया कि 13वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान का वितरण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के मध्य म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परामर्श से किया गया है । शेष अनुदान राशि का वितरण शासन के आदेशानुसार किया गया है । समस्त त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं को सामान्य निष्पादन अनुदान उच्च स्तरीय निगरानी समिति के बिना परामर्श से जारी किया गया है ।

उत्तर मान्य नहीं क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामान्य मूल अनुदान के वितरण हेतु वित्त विभाग द्वारा उल्लेखित मापदण्ड को अंगीकृत नहीं किया गया, जबकी राशि ₹ 265.97 करोड़ के वितरण के सम्बन्ध में कोई आधार/मापदण्ड से सम्बन्धित शासन आदेश अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था ।

3.13.5 jkT; ljdkj }kjk 13o foRRk vk;kx dh 'krk dh ifr

13वें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका में उल्लेखित शर्तो के पालन के उपरान्त ही राज्य सरकार सामान्य निष्पादन अनुदान के आवंटन के आहरण हेतु पात्र होगी । राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की गयी शर्तों की स्थिति निम्नानुसार है :

'kr	jkT; ljdkj }kjk dh x;h dk;Zokgh
पंचायतें, जिनमें निर्वाचित संस्था विद्यमान हो, सामान्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा ।	मध्य प्रदेश की सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ निर्वाचित है ।
पूर्व प्राप्त किश्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करनें के उपरांत ही अनुदान की आगामी किश्त जारी की जावेगी ।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र, पंचायती राज संस्थाओं को जारी राशि के आधार पर न कि वास्तविक व्यय के आधार पर, समय पर भेजा गया है ।
सभी पंचायतों द्वारा लेखाओं का संधारण आदर्श पंचायत लेखांकन प्रणाली में किया जावेगा ।	राज्य सरकार आदर्श पंचायत लेखांकन प्रणाली अगस्त 2010 में स्वीकार किया है किंतु तीन स्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं के लेखे आदर्श पंचायत लेखांकन प्रणाली में संधारित नहीं है ।
सभी स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं में लेखापरीक्षा प्रणाली लागू की जावेगी । भारत के नियंत्रक एवं	म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 2003 में संशोधन जुलाई 2011 में किया गया कि स्थानीय निधि संपरीक्षा

15 बड़वानी, दमोह, डिण्डोरी, होशंगाबाद, जबलपुर, खण्डवा एवं मुरैना

महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा राज्य विधान सभा में प्रस्तुत की जावेगी ।	के प्रतिवेदन के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया जावेगा । यद्यपि अभी तक कोई भी प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत समस्त कार्यकारियों के विरूद्व प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु लोकपाल की नियुक्ति	मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 लागू है एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय के समस्त कार्यकारी इस अधिनियम के अधीन है ।
पंचायती राज संस्थाओं के मध्य निधि का हस्तांतरण हेतु ई–बैंकिंग प्रणाली की स्थापना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13वें वित्त आयोग के समस्त अनुदानों का हस्तांतरण ई–बैंकिंग के माध्यम से किया गया है ।
संविधान के अनुच्छेद 243 ।(2) के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करना	म.प्र. में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है एवं वर्तमान में तृतीय राज्य वित्त आयोग कार्यरत है
समस्त स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक संपतियों पर संपतिकर लगाना एवं इस कार्य हेतु उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करना	म.प्र.पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77 द्वारा ग्राम पंचायतों को सम्पत्ति कर अधिरोपित करने का अधिकार है

3-14 y[kkijh{kk fu"d"kZ

- राज्य शासन द्वारा संविधान के 73वें संशोधन अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को निधि, कार्य एवं कार्यकारियों का हस्तांतरण नहीं किया गया । पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आदर्श पंचायत लेखा प्रणाली के निर्धारित प्रारूपों में लेखांकन नहीं किया गया;
- पंचायती राज संस्थाओं को विभाज्यनीय राशि ₹ 147.98 करोड़ अनुदान का कम विभाजन किया गया । बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं करने के कारण निधियों के दुरूपयोग की जा सकती है;
- पंचायती राज संस्थाओं के मध्य 13वें वित्त आयोग अनुदान राशि का विलम्ब से जारी करने के फलस्वरूप राज्य शासन पर ब्याज राशि ₹ 6.82 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा;
- राज्य शासन भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक व्यय के आधार पर न किया जाकर पंचायती राज संस्थाओं को जारी राशि के आधार पर किया गया; और
- राज्य शासन द्वारा न तो स्वयं निर्धारित मापदण्ड एवं न ही वित्त विभाग द्वारा सुझाये गये मापदण्ड का पालन करने के फलस्वरूप जिला एवं जनपद पंचायतों के मध्य सामान्य निष्पादन अनुदान का गैर अनुपातिक वितरण किया जाना ।

अध्याय – 4

लेखापरीक्षा कंडिकायें

v/;k; & pkj

y[kkijh{kk dfMdk;

4-1 ipk;rks dh ikfIr;kW

4-1-1 ifjp;

संविधान के अनुच्छेद 243–छ (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार राज्य की विधानसभा, पंचायतो को ऐसी शक्तियॉ और प्राधिकार प्रदान करती है जो उन्हें स्वयं सरकारी संस्थाओं की तरह कार्य करने हेतु सक्षम करने के लिए आवश्यक हो । अनुच्छेद–243 एच अवधारित करती है कि राज्य की विधानसभा पंचायतों को ऐसी विधि एवं ऐसी सीमाओं में ऐसे करों, शुल्कों, यात्री कर एवं फीस की उगाही, संग्रह एवं विनियोग हेतु अधिकृत कर सकती है ।

मध्य प्रदेश शासन ने अनिवार्य एवं वैकल्पिक करों को लगाने के लिए मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत आवश्यक करों एवं फीसों (शर्तों एवं अपवादों) का नियम 1996, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में शामिल किया है ।

13वें वित्त आयोग ने भी अनुशंसित किया था कि स्थानीय निकायों को संपत्ति कर (आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्ति में शामिल समस्त करों) के अधिरोपण के लिए पूर्णतः सक्षम होना चाहिए एवं इस संबंध में कोई भी बाधा को अवश्य दूर करनी चाहिए । तीसरे राज्य वित्त आयोग ने भी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सहायता अनुदान हेतु करों को लगाने एवं उसका संग्रह के लिए ग्राम पंचायतों को अनुशंसित किया है ।

4-1-2 y[kkijh{kk m|s'; ,o dk;{k=

लेखापरीक्षा यह जांच करने के लिए की गई कि क्या :

- आवश्यक एवं वैकल्पिक करों एवं फीस ग्राम पंचायतों द्वारा लगाना एवं संग्रहित करना;
- करों, फीस इत्यादि का आरोपण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया गया था; और
- जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं राज्य स्तर द्वारा निरीक्षण किया गया था ।

उपरोक्त की जांच के लिए (अगस्त से अक्टूबर 2014) राज्य के जिला धार एवं इंदौर जिले में जिला पंचायतें, 8 जनपद पंचायत[1] (17 में से) और 80 ग्राम पंचायत (1096 में से) के अभिलेखों की अवधि 2010–14 तक नमूना जांच की गई । राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र के मूल्यांकन के लिए पंचायती राज संचालनालय के अभिलेखो की भी जांच की गई । ग्राम पंचायतों के नमूना जांच की सूची ifjf'k"V 4-1 में वर्णित है ।

y[kkijh{kk ifj.kke

4-1-3 vko';d djks dk yxkuk

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 77 की उपधारा (1) एवं धारा 77(ए) के अनुसार ग्राम पंचायतें विभिन्न आवश्यक कर जैसे कि संपत्ति कर, वृत्ति कर, प्रकाश कर, निजी शौचालय एवं पशुओं को बाजार में विक्रय पर पंजीयन शुल्क लगाने को अवधारित करता है । हमने निम्नानुसार पाया :

---

1 बदनावर, देपालपुर, धरमपुरी, गंधवानी, इन्दौर, मनावर, मऊ एवं निसरपुर

4-1-3-1 lEifRr dj dk vf/kjksi.k

अधिनियम की धारा 77(1) के अंतर्गत अनुसूची 1–ए के अनुसार भूमि या भवनों या दोनो की पूँजीगत लागत पर जिसमें भूमि की लागत ₹ 6,000 से अधिक हो, पर जो केन्द्र एवं राज्य शासन के अधीन हो, पंचायती राज संस्थान और धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के एकाधिकार को छोड़कर, पर संपत्ति कर प्रभारणीय है ।

हमने पाया कि 80 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में से सिर्फ 43 ग्राम पंचायतों (54 प्रतिशत) द्वारा अवधि 2010–14 के मध्य संपत्ति कर अधिरोपित किया । इन ग्राम पंचायतों द्वारा करों के अधिरोपण एवं संग्रहण की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार हैः

rkfydk & 4-1 % xzke iapk;rksa }kjk dj dk vf/kjksi.k ,oa laxg.k dh fLFkfr

(₹ लाख में)

वर्ष	करों का अधिरोपण	करों का संग्रहण	संग्रहण प्रतिशत
2010–11	68.74	39.79	58
2011–12	79.94	58.11	73
2012–13	93.47	74.73	80
2013–14	142.41	64.10	45
;ksx	384-56	236-73	62

(स्त्रोतः ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी अनुसार)

हमने यह भी पाया कि 43 ग्राम पंचायतों में से, तीन ग्राम पंचायतों (जोशीगुराडिया, मेमदी, एवं सेमल्या) द्वारा अवधि 2010–11 से 2013–14 के मध्य अधिरोपित संपत्ति कर का संग्रहण नहीं किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा करों के अधिरोपण एवं संग्रहण का विवरण ifjf'k"V 4-2 में दर्शाया गया है ।

आगे, भवनों की संख्या एवं उनके क्षेत्रफल का विस्तार एक सामान्य घटना है । इस तारतम्य में संपत्ति के वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए ग्राम पंचायतो द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए जिससे कर राजस्व में वृद्धि हो सके ।

हमने पाया कि संपत्ति कर के मूल्यांकन हेतु भवनों/संपत्तियों का सर्वे किसी भी चयनित ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था । ग्राम पंचायत सांदला (जिला धार) में संपत्ति के मूल्य पर कर की संगणना न कर एक निश्चित दर ₹ 30 प्रति वर्ष के आधार पर संपत्ति कर संग्रहित किया गया ।

आपत्ति इंगित किए जाने पर, 23 ग्राम पंचायतों[2] के सचिवों ने बताया कि भविष्य में ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा । छः ग्राम पंचायत[3] के सचिवों ने बताया कि अधिकतर परिवार गरीबी रेखा के नीचे होने के कारण करारोपण संभव नही था । तीन ग्राम पंचायतों[4] ने बताया कि ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल सरदार सरोवर बांध के पानी में डूबे होने के कारण करारोपण बंद कर दिया गया । ग्राम पंचायत बेडवाल्या ने बताया कि ग्राम सभा द्वारा करारोपण संबंधी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था तथा चार ग्राम पंचायतों[5] ने कोई जवाब नहीं दिया ।

---

[2] अजंदत, अनुपुरा बहादरा, बगवंया, बिलदा, धवरदा, ढोलना, दोत्राया, धुधी, इक्लवारा, गुलाती, ग्वालिपिपलिया, हसलपुर, जाटपुरा, झेगदा, कलवानी, केसवी, माद, मेहगांव, पिपरीमान, पिपली, सतुमारी, शाहपुरकक्रदा एवं टोंकी

[3] भाग्यपुर, चिरखान, गुंगीदेवी, जाववदा, कोदा और लिंगवा

[4] चिकलदा, खापरखण्ड और कोथडा

[5] बलवारा, बेगन्दा, देषवाल्या और खण्डलई

सर्वे नहीं किए जाने के संबंध में ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि भविष्य में सर्वे किए जाएगें । ग्राम पंचायत सांदला के सचिव ने बताया कि कर के दरों के पुनर्निर्धारण हेतु ग्राम सभा के सक्षम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा ।

4-1-3-2 izdk'k dj dk vf/kjki.k

धारा 77 ए(3) के अंतर्गत अनुसूची 1–ए के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था ग्राम सभा द्वारा किए जाने पर प्रकाश कर अधिरोपणीय है ।

27 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में हमने पाया कि प्रकाश की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा की गई थी । इनमें से 16 ग्राम पंचायतों[6] (59 प्रतिशत) द्वारा प्रकाश कर अधिरोपित किया । ग्राम पंचायतों द्वारा वर्षवार 2010–11 से 2013–14 के मध्य करों का अधिरोपण एवं संग्रहन का विवरण निम्नानुसार हैः

Rkfydk & 4-2 % o"k 2010&14 d e/; izdk'k dj dk vf/kjki.k ,oa lxg.k

(₹ लाख में)

o"k	dj vf/kjki.k	dj lxg.k	lxg.k ifr'kr
2010–11	5.91	1.02	17
2011–12	6.27	0.90	13
2012–13	7.96	1.21	15
2013–14	9.01	2.07	23
;kx	29-15	5-20	18

(स्त्रोतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार)

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि करों के संग्रहण की दर बहुत कम थी ।

आपत्ति इंगित किए जाने पर अवगत कराया गया कि जिन ग्यारह ग्राम पंचायतों[7] द्वारा जिन्होंने प्रकाश कर अधिरोपित नहीं किया था इस हेतु ग्राम सभा के सक्षम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा ।

4-1-3-3 ofRr dj dk vf/kjki.k

धारा 77 ए (4) के अंतर्गत अनुसूची 1 (ए) के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी व्यवसाय या व्यापार ग्राम सभा की सीमा में करता है, पर कर अधिरोपित करना चाहिए ।

पांच ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में हमने पाया कि वृत्ति कर केवल (6 प्रतिशत) अधिरोपित किया गया । पांच ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2010–14 के मध्य करों के अधिरोपण एवं संग्रहण का विवरण निम्नानुसार है :

rkfydk & 4-3 % ofRr dj dk vf/kjki.k ,oa lxg.k dh fLFkfr

(₹ लाख में)

l- Ø-	Xkke iapk;r dk uke	dj vf/kjki.k	dj lxg.k	lxg.k ifr'kr
1	गवली पलासिया	1.87	1.12	59
2	बिचोली मर्दाना	8.85	5.75	65
3	कम्पेल	0.06	0.03	53
4	सिंधासा	1.47	1.09	74
5	गंधवानी	1.13	0.29	25

(स्त्रोतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार)

---

6 अम्बाचन्दान, बख्तपुरा, बिचोलीमर्दाना, गंधवानी, ग्वालिपलासिया, जोषीगुरड़िया, कम्पेल, कोदरिया, मुलथान, नांदेद, नरलया, निसरपुर, रंगवासा, सन्ड्रेल, सिंघासा और सुसरी

7 अहिरखेड़ी, छोटाबगर्दा, चौहानखेड़ी, दटोडा, गुजरखेड़ा, हसलपुर, माद, मेमडी, न्यादपनथा, सिंदोदी और सिंघासा

4-1-3-4 eo'kh dk cktkj e foØ; ij iath;u 'kYd dk vf/kjki.k

धारा 77 के अंतर्गत अनुसूची–1 की उपधार (1) के अनुसार ग्राम पंचायत या उसके नियंत्रण के किसी बाजार या सीमा में मवेशी के विक्रय पर पंजीयन शुल्क प्रभारणीय है ।

दो ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में हमने पाया कि केवल (गंधवानी एवं सन्द्रेल) द्वारा वर्ष 2010–14 के मध्य ₹ 2.08 करोड़ पंजीयन शुल्क के रूप में संग्रहित किए गए जिसका विवरण निम्नानुसार है:

Rkkfydk & 4-4 % xke iapk;rks }kjk dj d laxg.k dk fooj.k

(₹ लाख में)

o"kZ	xke iapk;r xa/kokuh	xke iapk;r lUnzy
2010–11	0.11	44.58
2011–12	0.06	49.50
2012–13	0.07	54.72
2013–14	0.14	59.66
;kx	0-38	208-46

(स्त्रोतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार)

आपत्ति इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतो के सचिवों ने बताया कि ग्राम सभा के सक्षम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा ।

अतः आवश्यक करो के अधिरोपण में अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जबकि 80 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में से 37 ग्राम पंचायतों द्वारा करों का अधिरोपण एवं संग्रहण नहीं किया गया (ifjf'k'V&4-3) ।

4-1-4 djkjki.k dh fu/kkfjr izfØ;k dk ikyu u fd;k tkuk

मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत आवश्यक कर एवं शुल्क (शर्ते एवं छूट) नियम, 1996 के नियम 3 के अनुसार एक ग्राम पंचायत को कर या शुल्क को तभी अधिरोपित करना चाहिए जब कर या शुल्क के निर्धारण की दर के संबंध में प्रस्ताव पारित कर लिया गया हो । इसके उपरांत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत में ढ़ोल पीटकर इस बावत नोटिस जारी करना चाहिए । ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कर या फीस की दर के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में नोटिस में निर्धारित तिथि को या उससे पहले भेज सकता है । ग्राम पंचायत कार्यालय में कर या फीस की अंतिम रूप से निर्णीत दर का नोटिस जिसमें कर या शुल्क आरोपण का विवरण हो, ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाशित कर उसकी प्रति ग्राम पंचायत में चस्पा की जाएगी ।

43 ग्राम पंचायतों में जिन्होंने अवधि 2010–11 से 2013–14 के मध्य संपत्ति कर एवं अन्य कर अधिरोपित किए थे उनमें हमने पाया कि, केवल पांच ग्राम पंचायतों[8] द्वारा करारोपण के लिए प्रस्ताव पारित होने के लिए ग्राम सभा के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे । अन्य 38 ग्राम पंचायतों में यह भी देखा गया कि करारोपण की निर्धारित प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए (ifjf'k"V 4-4)।

आपत्ति इंगित किए जाने पर 38 ग्राम पंचायतो के सचिवों द्वारा स्वीकार किया गया कि ग्राम पंचायत में करारोपण संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे ।

8 अहिरखेड़ी, भीलबडोली, छोटाबगर्दा, गंधवानी और घुर्सल

4-1-5 oSdfYid dj ,oa 'kqYd dk djkjksi.k

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 77(2) अवधारित करती है कि ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित वैकल्पिक कर आरोपित किए जा सकते है ।

- जल दर जहॉ ग्राम पंचायतों द्वारा निरंतर जल प्रदाय की व्यवस्था की गई;
- जल निकास हेतु शुल्क जहॉ ग्राम पंचायतों द्वारा जल निकास हेतु व्यवस्था की गई;
- मोटर वाहन छोड़कर वाहन मालिको द्वारा भुगतान योग्य शुल्क;
- भूमि अथवा सम्पत्तियों पर जिनका रखरखाव जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है, के अधिग्रहण एवं उपयोग के लिए अधिनियम के अन्तर्गत जनपद पंचायत द्वारा अनुमति या किसी अनुज्ञा के लिए शुल्क;
- सराय, धर्मशालाएॅ, विश्राम घर, बूचड खाना एवं शिविर मैदान के उपयोग पर शुल्क; और
- मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र को छोड़कर, ग्राम सभा के क्षेत्र में व्यवसायिक क्रेता, एजेन्ट तथा आढ़तिया से कर ।

39 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में हमने देखा किया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2010–11 से 2013–14 के मध्य केवल जल कर आरोपित किया गया । उक्त अवधि में अधिरोपित राशि ₹ 125.44 लाख में से ₹ 60.71 लाख वसूल किए गए । ग्राम पंचायतवार विवरण ifjf'k"V 4-5 में दिया गया है ।

शेष 43 ग्राम पंचायतों के नमूना जांच में सचिवों ने अवगत कराया कि वैकल्पिक करों के करारोपण के लिए प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था ।

4-1-6 xzke iapk;rksa esa djkjksi.k ds fy, izksRlkgu ;kstuk

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान के उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 2010–15 अवधि के लिए एक कार्य योजना तैयार की थी । कार्य योजना की कंडिका 3.2 अवधारित करती है कि 13वें वित्त आयोग अनुदान की पांच प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में निजी करारोपण को बढ़ावा देने हेतु ग्राम पंचायतों को वितरित की जाएगी जो वर्ष 2011–12 से प्रभावशील होगी । तृतीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की कंडिका 4.82 भी अवधारित करती है कि ऐसी ग्राम पंचायतें करारोपण एवं उसकी शत प्रतिशत वसूली करती है तो प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किया जाये । ग्राम पंचायतों में करों के करारोपण एवं संग्रहण संबंधी सूचना जिला पंचायत के माध्यम से संचालनालय द्वारा एकत्रित की जाएगी ।

80 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में पाया कि वर्ष 2011–12 में करों के करारोपण एवं संग्रहण की उपलब्धि के लिए 58 ग्राम पंचायतों ¼ifjf'k"V 4-6½ को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹ 88.32 लाख प्रोत्साहन अनुदान जारी किया गया ।

हमने देखा कि 58 ग्राम पंचायतों में से 16 ग्राम पंचायतों[9] ने अनिवार्य कर और शुल्क का करारोपण एवं संग्रहण नहीं किया था । 43 ग्राम पंचायतों में से 33 ग्राम पंचायतों ¼ifjf'k"V 4-7½ ने वर्ष 2011–12 में अधिरोपित करों का संग्रहण 100 प्रतिशत नहीं किया था ।

[9] बेदवाल्या, छिखल्दा, देषवाल्या, ढोलना, दोत्राया, हसलपुर, जावदा, खण्डलई, थापरखंड, कोदा, कोथदा, लिंगवा, माद, मेहगांव, पिपली और टोंकी

इस तरह 49 ग्राम पंचायतों (16+33) को ₹ 70.12 लाख प्रोत्साहन अनुदान प्रदाय किया गया था यद्यपि ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण की 100 प्रतिशत वसूली नहीं की गई ।

इस तरह योजना के प्रावधानों में विचलन के बावजूद शासन द्वारा अपात्र ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन अनुदान दिया गया ।

आगे, जैसा कि आयुक्त द्वारा जारी मार्गदर्शिका (जुलाई 2012) अवधारित करती है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन अनुदान प्राप्ति के तीन माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालक को सौंपना चाहिए ।

हमने 58 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में देखा कि ¼ifjf'k"V 4-6½ जिन ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2012–13 में प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त किया था, उनमें से किसी ने भी उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालक को प्रेषित नहीं किया । जनपद पंचायत इन्दौर को छोड़कर जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास नहीं किये ।

आपत्ति इंगित करने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जायेगें । जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र एकत्र किये जायेगें एवं निदेशक मंडल को प्रेषित किये जायेगें ।

4.1.7 'kkfLr dk i:ko/kku

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 82 में वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति कोई कर, शुल्क, दर अथवा बकाया कोई राशि का भुगतान नहीं करता है तो राशि ₹ 500 अथवा बकाया राशि का दस गुना जो भी अधिक हो अधिरोपित कर शास्ति के रूप में भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा ।

हमने देखा कि 43 ग्राम पंचायतों ने कर अधिरोपित किये उनमें से 21 ग्राम पंचायतों[10] ने वर्ष 2010–11 में अधिरोपित करों के विरूद्व 27 प्रतिशत करों का संग्रहण वर्ष 2011–12 में 26 प्रतिशत वर्ष 2012–13 में 29 प्रतिशत और 2013–14 में 27 प्रतिशत किया गया । करों के संग्रहण की प्रगति खराब होने के बावजूद इन ग्राम पंचायतो में किसी ने भी दण्ड अधिरोपित नहीं की । करों की वसूली में दण्ड का अधिरोपण न करना भी कर वसूली में बिलंब होने का कारण है ।

आपत्ति इंगित करने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने कहा कि ग्राम सभा के समक्ष दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव रखे जाएगें ।

4-1-8 vfHkys[kksa dk l:/kkj.k

ग्राम पंचायत वैकल्पिक करों एवं शुल्क (शर्ते एवं अपवाद) नियम, 1996 में निहित नियम 15 के अनुसार एवं करों की मांग एवं वसूली, शुल्क एवं दर के लिए एक पंजी संधारित की जानी चाहिए । जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिरोपित करों, शुल्कों एवं दरों के लिए पृथक पंजी या पृथक से पृष्ठों का समूह रखना चाहिए । प्रत्येक माह के अन्त में सचिव व सरपंच द्वारा पंजी पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए साथ ही प्राप्ति एवं वितरण का मासिक एवं वार्षिक विवरण, प्राप्ति पुस्तक तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की कार्यसूची आवश्यक रूप से संधारित किये जाने चाहिए ।

हमने देखा कि 43 में से 33 ग्राम पंचायतों ने कर अधिरोपित किये ¼ifjf'k"V 4-8½ थे । करों हेतु पंजी का संधारण नहीं किया गया था उक्त पंजी के अभाव में ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित करों की वास्तविक मांग को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं

[10] अम्बाचंदन, बरूतगढ, बरूतपुरा, भीलबडोली, चोखन खेडी, दातोडा, गंधवानी, जोशीगुरदिया, कम्पेल, खलबुजुर्ग, कोडारिया, मेंमडी, मुलधन, नंदरा, नार्ते, निरसपुर, फुलन, रगंवासा, रतनपुरा, सिधाना एवं सेमल्या

किया जा सका । ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त पंजी के अतिरिक्त सहायक अभिलेख जैसे प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण का भी संधारण नहीं किया ।

इस प्रकार, पंचायतों की प्राप्तियों के लिए अभिलेखों का संधारण नियमानुसार सुनिश्चित नहीं होने के कारण करों के अधिरोपण एवं संग्रहण की वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

आपत्ति इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने अवगत कराया कि भविष्य में अभिलेखों को संधारित किया जाएगा ।

4-1-9 xke ipk;rks es djkjksi.k ,o mldh olwyh dk vuJo.k

मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, की धारायें 51 एवं 52 के अनुसार जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत का उत्तरदायित्व है कि ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों, मार्गदर्शन, समन्वय, मूल्यांकन एवं निगरानी के संबंध में मार्गदर्शन दे । आयुक्त, पंचायती राज (जुलाई 2012) द्वारा जारी निर्देश के अनुबंध, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जिला पंचायत, जनपद पंचायत करों के प्रोत्साहन अनुदान की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगें ।

आयुक्त, पंचायती राज ने भी सभी जिला पंचायतों को निर्देश जारी किया (अगस्त 2010) कि जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के चुने सदस्यों के साथ कार्यवाही की बैंठक में करों के मुद्दे को भी शामिल किया जाये । जिससे कि वे अपनी ग्राम पंचायतों में करों के अधिरोपण एवं संग्रहण के लिए प्रेरित कर सके ।

चयनित जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नानुसार स्थिति पायी :

- ग्राम पंचायतों में करों के संबंध में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के चुने गये सदस्यों के साथ कोई बैठक आयोजित नहीं की गई । इस प्रकार जनपद पंचायतों में करों के अधिरोपण एवं संग्रहण के प्रोत्साहित करने के लिए जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर कोई योजना नहीं बनाई गई ।
- ग्राम पंचायतों में करों के संग्रहण एवं प्रोत्साहन अनुदान से प्राप्त निधियों का उपयोगिता को भी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों द्वारा निगरानी नहीं की गई ।
- राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों में करों के प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन अनुदान योजना को छोड़कर सुझाव हेतु कोई प्रभावी अभिलेख संधारित नहीं था । करों के अधिरोपण एवं संग्रहण के प्रगति की निगरानी हेतु कोई प्रतिवेदन निर्धारित नहीं था ।

आपत्ति इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर ने अवगत कराया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत निगरानी के लिए उत्तरदायी है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार ने अवगत कराया कि इस संबंध मे समय–समय पर निर्देश जारी किये गये ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, इन्दौर, देपालपुर एवं महू ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किये जाने हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धरमपुरी एवं निसरपुर ने उत्तर नहीं दिया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनावर, गंधवानी एवं बदनावर ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायतों को करों के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद

पंचायत, इन्दौर का उत्तर नियमानुसार नहीं है जो निर्देश जारी किये गए हैं वो केवल आयुक्त को करों के अधिरोपण एवं संग्रहण की जानकारी प्रेषित करने के लिए थे ।

इस प्रकार किसी भी स्तर पर प्रभावी निगरानी नहीं की गई ।

4-1-10 fu"d"k

- 46 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यक करों का अधिरोपण एवं संग्रहण नहीं किया । क्रमशः 54 प्रतिशत एवं 59 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पत्ति कर एवं प्रकाश कर का अधिरोपण नहीं किया गया । केवल 6 प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा वृत्ति कर अधिरोपित किए गए । ग्राम सभा में पारित किए गए प्रस्ताव में करारोपण के कोई सुझाव अभिलेख में नहीं थे।

- 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा जल कर संग्रहित किए जाने के अतिरिक्त को छोड़कर ग्राम पंचायतों द्वारा वैकल्पिक करों और शुल्कों का अधिरोपण एवं संग्रहण नहीं किया गया ।

- शासन ने करों के संग्रहण को सुनिश्चित किए बिना ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन का भुगतान किया था । ग्राम पंचायतों द्वारा करों की वसूली की प्रगति धीमी थी जिसका मुख्य कारण दण्ड अधिरोपण का प्रावधान न होना था ।

4.2 ;kstuk jkf'k dk fMekaM MªkQV ds :i esa j[kuk lajpuk ls C;kt dh gkfu

e/; insa'k jkT; jkstxkj xkjUVh ifj"kn ¼,e-ih-,l-bZ-th-lh-½ ds vfoosdiw.kZ fu.kZ; ds dkj.k ;kstuk jkf'k ₹ 29.51 djksM+ pkj ekg rd cpr [kkrk ls ckgj j[kus ls C;kt gkfu jkf'k ₹ 39.35 yk[k ,oa Hkkjr ljdkj dks jkf'k ₹ 29-51 djksM+ dk c<+k gqvk mi;ksfxrk izek.k&i= izLrqr djuk

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, (एन.आर.ई.जी.ए. विभाग) के आदेश मार्च 2007 के अनुसार प्रशासनिक व्यय से क्रियाकलापों जैसे कि आई.ई.सी., प्रशिक्षण, आयोजन, एम.आई.एस. पर्यवेक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अन्तर्गत किया जाना था । एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. 2008 के परिचालन संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर योजना राशि के लिए पृथक से बैंक खाते खोले जाने थे ।

आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारन्टी परिषद् (परिषद्)[11] द्वारा प्रस्तावित (फरवरी 2012) किया गया कि 200 जनपद पंचायतों में निरंतर ऊर्जा प्रदाय करने हेतु 200 सौर ऊर्जा संयंत्र (एस.ई.पी.) लगाये जाने थे । जिसके तारतम्य में, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल द्वारा योजना प्रतिवेदन तैयार किया गया जिसकी अनुमानित लागत राशि ₹ 54 करोड़ का वित्तीय प्रस्ताव प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किया गया । प्रस्ताव के अनुसार राशि ₹ 27 करोड़ (50 प्रतिशत) का एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के प्रशासनिक व्यय मद से प्रबंध किया जाना था एवं शेष राशि का अनुदान से प्रबंध (केन्द्र : 16.20 करोड़; राज्य : 10. 80 करोड़) । प्रस्ताव (मार्च 2012) पी.आर.डी.डी. द्वारा स्वीकृत किया गया ।

राज्य परिषद् के अभिलेखों की नमुना जॉच में (जुलाई 2013) हमने देखा कि आयुक्त, परिषद द्वारा 50 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को एस.ई.पी. की लागत के विरूद्व लगभग ₹ 30 करोड़ के लिए प्रत्येक जिला पंचायतों को एम.जी.एन.

---

11 एम.पी.एस.ई.जी.सी. राज्य स्तर पर एजेन्सी के रूप में पंचायती राज्य संस्था के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है

आर.ई.जी.एस. अन्तर्गत आवंटित प्रशासनिक व्यय मद से डिमान्ड ड्राफ्ट बनवाने के लिए निर्देशित किया गया (मार्च 2012) । डिमान्ड ड्राफ्ट निगम के पक्ष में बना कर 31 मार्च 2012 तक परिषद को भेजना था । जिसके तारतम्य में, 49 जिला पंचायतों (देवास छोड़कर) द्वारा राशि ₹ 29.51 करोड़ के डिमान्ड ड्राफ्ट बनवा कर निर्धारित तिथि के भीतर परिषद को प्रेषित किये गए ¼ifjf'k"V& 4-9½ । जबकि डिमान्ड ड्राफ्ट परिषद द्वारा रख लिये गए ।

बाद में परिषद ने (जुलाई 2012) में एस.ई.पी. लगाने का विचार इस आधार पर छोड़ दिया कि विद्युत विभाग द्वारा फिडर लगाने का कार्य प्रगति पर था जिससे 24 धंटे विद्युत उपलब्ध रहेगी । परिषद ने डिमान्ड ड्राफ्ट जुलाई 2012 में संबंधित जिला पंचायतों को वापस कर दिए ।

इस तरह एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधि राशि ₹ 29.51 करोड़ लगातार चार माह तक योजना खाते से बाहर रही जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 39.35 लाख[12] की ब्याज हानि हुई ।

इसके पश्चात लेखापरीक्षा द्वारा भारत सरकार को बर्ष 2011–12 में किये प्रशासकीय व्यय के प्रेषित उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर पूछताछ की गई, परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि ₹ 207.89 करोड़ में ₹ 29.51 करोड़ की राशि शामिल थी । आगे समान राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सनदी लेखाकार के आडिट रिपोर्ट के साथ राशि ₹ 29.51 करोड़ कम किये बिना चली गई जो वास्तविक व्यय नहीं थी । इस तरह परिषद ने बिना आवश्यकता के राशि ₹ 29.51 करोड़ आहरित कर भारत सरकार को बढ़ा हुआ उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया ।

आयुक्त ने (नवम्बर 2013 एवं सितंबर 2014) में अवगत कराया कि प्रशासकीय व्यय में होने वाली बचत के उपयोग था ।

आयुक्त का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि प्रशासनिक व्यय से राशि का आहरण तुरंत वितरण/उपयोग से नहीं था परिणामस्वरूप योजना में ब्याज हानि हुई । इसके अतिरिक्त एस.ई.पी. लगाने के लिए प्रशासनिक व्यय मद का उपयोग योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप भी नहीं था ।

मसौदा शासन को (सितंबर 2013) में प्रेषित किया गया; जिसका उत्तर अब तक अप्राप्त है (फरवरी 2015) ।

[12] राशि ₹ 29.51 करोड पर बचत खाते पर चार प्रतिशत ब्याज दर एवं चार माह

4.3 eujxk fuf/k dk 0;ioru

f'koiqjh tuin ipk;r ds vUrxZr xzke ipk;rksa }kjk ,e-th-,u-vkj-bZ-th-,l- fuf/k dh jkf'k ₹ 23-68 yk[k dk ;kstuk ds fo:} mi;ksx

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना एवं टिकाऊ परिसम्पत्ति सृजित करना है । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) की मार्गदर्शिका की कंडिका क्रमांक 6.1.1 के अनुसार जल संरक्षण, वनरोपण, पौधरोपण, सिचाई, भूमि विकास, ग्रामीण सड़कों से संबंधित कार्य योजना के अन्तर्गत अनुमत्य थे । इसके अतिरिक्त कंडिका क्रमांक 8.5.5 एवं 8.5.6 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. राशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्यों पर नहीं किया जा सकता । ग्राम पंचायतें व्यय करने के लिए अधिकृत होगी जो उनको किसी कार्य क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत की गई है । किसी राशि का व्यपवर्तन गबन माना जाएगा एवं वसूली की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी ।

जनपद पंचायत, शिवपुरी की ग्राम पंचायतों के एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के वार्षिक लेखे वर्ष 2011–12 की समीक्षा के दौरान हमने पाया (दिसंबर 2013) कि 32 ग्राम पंचायतों में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत जैसा कि ग्रामीण सडक, जल संरक्षण/ संवर्धन, भूमि विकास आदि कार्य किये जाने के लिए राशि ₹ 1.49 करोड़ उपलब्ध थी । इसके लिए निधि राशि ₹ 23.68 लाख[13] (कुल उपलब्ध राशि का 16 प्रतिशत) का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विज्ञापन, मानदेय, स्टेशनरी एवं सरपंच/सचिव को अग्रिम पर किया गया जो योजना के दिशानिर्देशों के विरूद्व था ¼ifjf'k"V&4-10½ ।

आपत्ति इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायतों ने (दिसंबर 2013) अवगत कराया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शिवपुरी के आदेश पर विज्ञापन पर व्यय किया गया, जबकि मानदेय का भुगतान मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के निर्देशानुसार किया गया । स्टेशनरी एवं सचिव/सरपंच को दिये गये अग्रिम के सम्बंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शिवपुरी ने अवगत (दिसंबर 2013) कराया कि ग्राम पंचायतों को कार्य क्रियान्वित कराने के लिए निधि उपलब्ध कराई गई थी परन्तु ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त राशि का उपयोग अन्य मदों पर अपने स्तर से किया गया ।

प्रकरण परिषद[14] को (जुलाई 2014) प्रेषित किया गया । परिषद ने 30 ग्राम पंचायतों[15] के तथ्यों पर सहमति दी एवं शेष 2 ग्राम पंचायतों से जानकारी आने के बाद तथ्यों पर अभिमत प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया ।

---

13 सामाजिक गतिविधियों पर व्यय (दीवार पर लेखन), ₹ 6.01 लाख वेतन पर व्यय (ग्राम पंचायतों को मानदेय), ₹ 1.14 लाख स्टेशनरी पर व्यय ₹ 0.63 लाख एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच को अग्रिम ₹ 15.90 लाख

14 एम.पी.एस.ई.जी.सी. राज्य स्तर पर एजेन्सी के रूप में पंचायती राज्य संस्था के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है ।

15 बारा, भानगढ, बिलूपूरा, डबिया, डडोल, डोंगर, गाडीहरोड, कजूरी, कलोथरा, कनकर, कपरना, कारी अहमदपुर, करै कैरौ, करसेना, खायाब्दाकलां, कोदबदा, कोटा, कुवंरपुरा, कुषीयारा, लालगढ, मझेरा, मोहनगढ, मुदैरी, रायश्री, सकलपुर, सतनवाड़ाकलां, सतनबाड़ा खुर्द, सिकराबदा, सुन्ड एवं टोंगरा

जनपद पंचायत का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व में जनपद पंचायत (नवम्बर 2010) द्वारा ग्राम पंचायतों को विज्ञापन पर व्यय का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

इस तरह 32 ग्राम पंचायतों द्वारा ₹ 23.68 लाख का व्यय योजना की मार्गदर्शिका के विरूद्व था जिसके कारण रोजगार का सृजन बुरी तरह प्रभावित हुआ साथ ही साथ टिकाऊ परिसम्पत्ति भी सृजित नहीं हो सकी ।

मसौदा शासन को (जुलाई 2014) में प्रेषित किया गया; उनका उत्तर अब तक अप्राप्त है (1 मार्च 2015) ।

दिनांक : 20 MAY 2015
स्थान : ग्वालियर

(चन्द्र भान)
उप महालेखाकार
(सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा–प्रथम)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक : 20 MAY 2015
स्थान : ग्वालियर

(सौरभ कुमार मल्लिक)
महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

परिशिष्ट

ifjf'k"V 1-1

y[kkijhf{kr uxjh; LFkkuh; fudk;ksa dh lwph

lanHkZ dafMdk 1-3 ¼i"B 2½

l-Ø-	bdkbZ dk uke
1	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
2	नगर पालिक निगम, सिंगरौली
3	नगर पालिक निगम, जबलपुर
4	नगर पालिक निगम, इन्दौर
5	नगर पालिक निगम, कटनी
6	नगर पालिक निगम, भोपाल
7	नगर पालिक निगम, सागर
8	नगर पालिक निगम, बुरहानपुर
9	नगर पालिक निगम, सतना
10	नगर पालिका परिषद, शाजापुर
11	नगर पालिका परिषद, परासिया, छिंदवाड़ा
12	नगर पालिका परिषद, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा
13	नगर पालिका परिषद, मलाजखण्ड
14	नगर पालिका परिषद, बालाघाट
15	नगर पालिका परिषद, धनपुरी, शहडोल
16	नगर पालिका परिषद, रहेली, सागर
17	नगर पालिका परिषद, पिपरिया, होशंगाबाद
18	नगर पालिका परिषद, बारासिवनी, बालाघाट
19	नगर पालिका परिषद, उमरिया
20	नगर पालिका परिषद, अम्बाह, मुरैना
21	नगर पालिका परिषद, झाबुआ
22	नगर पालिका परिषद, छतरपुर
23	नगर पालिका परिषद, श्योपुर
24	नगर पालिका परिषद, सबलगढ़, मुरैना
25	नगर पालिका परिषद, करेली, नरसिंहपुर
26	नगर पालिका परिषद, नैनपुर, मण्डला
27	नगर पालिका परिषद, मण्डला
28	नगर पालिका परिषद, नौगांव, छतरपुर
29	नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़
30	नगर पालिका परिषद, कोलार, भोपाल
31	नगर परिषद, अकोदिया, शाजापुर

l-Ø-	bdkbl dk uke
32	नगर परिषद, हाटपिपल्या, देवास
33	नगर परिषद, लोर्हदा, देवास
34	नगर परिषद, मण्डलेष्वर, खरगोन
35	नगर परिषद, बदकुही
36	नगर परिषद, लोढ़ीखेड़ा, छिंदवाड़ा
37	नगर परिषद, भैंसदेही, बैतूल
38	नगर परिषद, आठनेर, बैतूल
39	नगर परिषद, कुंभराज, गुना
40	नगर परिषद, राजगढ़, शाजापुर
41	नगर परिषद, पचोर, शाजापुर
42	नगर परिषद, खांड, शहडोल
43	नगर परिषद, शाहगंज, सिहोर
44	नगर परिषद, रहेटी, सिहोर
45	नगर परिषद, बरेली, रायसेन
46	नगर परिषद, पिपलौदा
47	नगर परिषद, करनावद, देवास
48	नगर परिषद, माण्डू, धार
49	नगर परिषद, राजगढ़, धार
50	नगर परिषद, बारीगढ़, छतरपुर
51	नगर परिषद, ताल, रतलाम
52	नगर परिषद, फूफ, भिण्ड
53	नगर परिषद, बड़ागांव, शाजापुर
54	नगर परिषद, शाहपुर, सागर
55	नगर परिषद, हिन्डोरिया, दमोह
56	नगर परिषद, कैलारस, मुरैना
57	नगर परिषद, बहम्नीमांजर, मण्डला
58	नगर परिषद, पेटलावद, झाबुआ
59	नगर परिषद, सुवासरा, मंदसौर
60	नगर परिषद, जैतहारी, अनुपपुर
61	नगर परिषद, जेरॉनखालसा, टीकमगढ़
62	नगर परिषद, शाहपुरा, बुरहानपुर
63	नगर परिषद, मुण्डी, खण्डवा
64	नगर परिषद, गोटेगांव, नरसिंहपुर
65	नगर परिषद, तेन्दूखेड़ा, नरसिंहपुर
66	नगर परिषद, बरघाट, सिवनी

l-Ø-	bdkbZ dk uke
67	नगर परिषद, अंजड़, बड़वानी
68	नगर परिषद, पलसुद, बड़वानी
69	नगर परिषद, धुवार, छतरपुर

ifjf'k"V 1-2

'kgjh; LFkkuh; fudk;ksa dks jkT; 'kklu }kjk lkSais x;s dk;Z

lanHkZ dafMdk 1-8 ¼i`"B 5½

l- Ø-	dk;kZsa ds uke
1	नगरीय योजना तथा नगरीय नियोजन
2	भूमि उपयोग का निनिमयन एवं भवनों का निर्माण
3	आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना
4	सड़कें और पुल
5	घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय
6	लोक स्वास्थ्य स्वच्छता सफाई और कूड़ा–करकट प्रबंधन
7	अग्नि शमन सेवाएँ
8	नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थिकीय आयामों की अभिवृद्धि
9	समाज के दुर्बल वर्गो के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी है, हितो की रक्षा
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11	नगरयी निर्धनता उन्मूलन
12	नगरीय सुख–सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि
14	शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15	कोजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16	जन्म–मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है
17	सार्वजनिक सुख–सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं है
18	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

ifjf'k"V 1-3

cd lek/kku i=d ugh cuk;k tkuk

lanHk dfMdk 1-10 ¼i"B 6½

¼₹ yk[k e½

l-Ø-	bdkbi dk uke	fnukd 31-03-2013 dh fLFkfr e jkdM cgh dk 'k"k	fnukd 31-03-2013 dh fLFkfr e cd ikl cd dk 'k"k	vUrj
1-	*2-*	*3-*	*4-*	*5-*
1	नगर पालिका निगम बुरहानपुर	305.93	347.60	41.67
2	नगर पालिका निगम इन्दौर	9.35	15.07	5.72
		16311.51	1643.42	−14668.09
3	नगर पालिका निगम कटनी	350.66	354.63	3.97
		10.40	8.80	−1.60
4	नगर पालिका निगम सतना	1912.70	2085.03	172.33
5	नगर पालिका निगम सिंगरौली	458.50	477.42	18.92
		1467.10	1305.40	−161.70
6	नगर पालिका परिषद अमरबाड़ा, छिंदवाड़ा	247.86	290.88	43.02
7	नगर पालिका परिषद पिपरिया होशगांबाद	282.67	358.88	76.21
		55.94	46.98	−8.96
8	नगर पालिका परिषद बारासिंवनी, बालाघाट	88.03	88.28	0.25
		291.48	282.56	−8.92
9	नगर पालिका परिषद अम्बाह, मुरैना	46.93	52.30	5.37
10	नगर पालिका परिषद झाबुआ,	573.02	594.91	21.89
11	नगर पालिका परिषद सबलगढ़, मुरैना	371.25	412.55	41.30
12	नगर पालिका परिषद करेली, नरसिंहपुर	497.2	517.22	20.02
13	नगर पालिका परिषद नैनपुर, मण्ड़ला	182.61	194.27	11.66
14	नगर पालिका परिषद मण्डला,	788.30	821.54	33.23
15	नगर पालिका परिषद नौगॉव, छतरपुर	911.22	944.49	33.27
16	नगर पालिका परिषद कोलार, भोपाल	615.16	648.95	33.79
17	नगर परिषद आकोदिया, शाजापुर	31.18	36.49	5.31
18	नगर परिषद हाटपिपल्या, देवास	5.94	21.25	15.31
19	नगर परिषद लोहारदा, देवास	3.85	3.91	0.06
20	नगर परिषद बडकुही, छिंदवाड़ा	129.54	137.31	7.77
21	नगर परिषद भैसदेही, बैतुल	254.93	289.17	34.24
22	नगर परिषद आठनेर, बैतुल	366.23	400.87	34.64
23	नगर परिषद राजगढ़, ब्याबरा	81.21	84.16	3.94
24	नगर परिषद खाण्ड, शहडोल	4.25	5.79	1.54
		112.63	99.70	−12.93
25	नगर परिषद शाहगंज, सिहोर	164.46	24.10	140.36

1-	2-	3-	4-	5-
26	नगर परिषद पिपलोदा, रतलाम	75.22	85.72	10.50
		8.13	7.32	–0.81
27	नगर परिषद करनाबद, देवास	3.54	6.52	2.98
28	नगर परिषद मण्डव, धार	334.89	400.47	65.58
29	नगर परिषद राजगढ़, धार	356.24	373.59	17.35
30	नगर परिषद जिरौनखालसा, टीकमगढ़	92.34	97.60	5.26
31	नगर परिषद शाहपुरा, बुरहानपुर	450.07	482.18	32.11
32	नगर परिषद गौटेगॉव, नरसिंहपुर	333	358.63	25.64
33	नगर परिषद तेदुखेडा, नरसिंहपुर	496.24	497.19	0.95
		13.54	12.25	–1.29
34	नगर परिषद बरघाट, सिवनी	38.40	46.36	7.97
		134.64	126.37	–8.17
35	नगर परिषद मण्डलेश्वर, खरगोन	162.02	134.46	–23.56
36	नगर परिषद लोदीखेड़ा, छिदवाड़ा	27.02	18.96	–8.06
37	नगर परिषद रहेटी, सिहोर	89.09	21.52	–67.57
			/kukRed vUrj	974.13
			vFkkZr ₹ 9-74 djkM+	
			_.kkRed vUrj	–14971.66
			vFkkZr ₹ 149-72 djkM+	

ifjf'k"V 1-4 ¼v½

vlxfgr dj jktLo dk fooj.k

¼lEifRr dj] lefdr dj] f'k{kk midj] uxjh; fodkl midj] cktkj 'kYd vkj in'ku 'kYd½

lnHk dfMdk 1-11 ¼i"B 6½

¼₹ yk[k e½

l- Ø-	bdkbZ dk uke	fiNys o"kZ dk cdk;k	2012&13 dh nkSjku dh x;h ekx	dqy	ekpZ 2012&13 rd dqy olwy fd;k x;k xbZ jktLo	31-03-2013 dks cdk;k dj dh jkf'k
uxj ikfydk fuxe						
1	सागर	229.39	173.31	402.70	146.03	256.67
2	भोपाल	3105.25	5019.09	8124.34	5881.04	2243.30
3	जबलपुर	9008.15	3269.58	12277.73	4410.84	7866.89
4	सतना	836.58	470.29	1306.87	735.54	571.33
5	इन्दौर	50465.66	17874.70	68340.36	13173.71	55166.65
6	सिंगरोली	637.03	747.67	1384.70	806.66	578.04
					dqy ;kx	66682-88
uxj ikfydk ifj"kn						
7	डोगर परासिया, छिंदवाड़ा	14.10	27.16	41.26	26.71	14.55
8	शुजालपुर, शाजापुर	90.59	28.67	119.26	55.33	63.93
9	लोहरदा, देवास	5.10	2.36	7.46	3.08	4.38
10	हाटपिपल्यां, देवास	20.98	3.80	24.78	2.23	22.55
11	पिछोर, राजगढ़	52.74	18.34	71.09	31.27	39.82
12	मण्ड़लेश्वर, खरगोन	13.04	10.29	23.33	9.79	13.54
13	धनपुरी, शहडोल	आकडें अनुपलब्ध		197.00	60.92	136.08
14	खाण्ड, शहड़ोल	8.05	2.59	10.64	1.78	8.86
15	पिपरिया, होशगांबाद	58.46	32.38	90.84	31.85	58.99
16	बालाघाट,	115.98	84.11	200.09	129.23	70.86
17	मलाजखण्ड, बालाघाट	62.25	398.23	460.47	105.97	354.50
18	बारासिवंनी, बालाघाट	39.39	29.92	69.31	25.79	43.52
19	अम्बाह, मुरैना	49.71	16.14	65.85	10.08	55.77
20	गोटेगॉव, नरसिंहपुर	19.21	46.98	66.19	52.62	13.57
21	नैनपुर, मण्ड़ला	21.82	16.05	37.87	18.35	19.52
22	करेली, नरसिंहपुर	120.31	43.20	163.51	48.37	115.14
23	अमरबाड़ा, छिंदवाड़ा	16.70	20.95	37.65	27.34	10.31
24	झाबुआ,	35.48	46.42	81.90	50.92	30.98
25	टीकमगढ़	306.95	82.09	389.04	82.54	306.50
26	श्योपुर	58.59	28.21	86.80	34.31	52.49
27	सबलगढ़, मुरैना	91.68	79.00	170.68	119.00	51.67
28	मण्डला	77.79	47.55	125.34	47.98	77.36
					dqy ;kx	1564-89

uxj ifj"kn						
29	बडकुही, छिंदवाड़ा	6.00	9.80	15.80	5.25	10.55
30	अकोदिया, शाजापुर	12.53	8.80	21.33	10.81	10.52
31	पिपलोदा, रतलाम	6.73	3.40	10.13	3.51	6.62
32	परसुद, बड़वानी	5.15	8.86	14.01	10.45	3.56
33	ताल, रतलाम	13.95	12.68	26.63	17.11	9.52
34	पिछोर	52.74	18.35	71.09	31.26	39.83
35	शाहपुर, बुरहानपुर	0	3.46	3.46	0	3.46
36	बडा गॉव, शाजापुर	6.14	2.13	8.27	3.99	4.28
37	तेदुखेड़ा, नरसिंहपुर	37.76	14.69	52.45	13.15	39.30
38	राजगढ़, धार	39.86	11.76	51.62	43.34	8.28
39	साहागंज, सिहोर	0.16	2.21	2.37	0.92	1.45
40	बरेली, रायसेन	27.11	7.83	34.94	15.23	19.71
41	शाहापुर, सागर	3.23	3.50	6.73	0	6.73
42	हिडोरिया, दमोह	30.03	58.18	88.21	14.36	73.85
43	केलारस, मुरैना	0	14.27	14.27	2.84	11.43
44	अंजड़, बड़वानी	26.35	22.73	49.08	21.62	27.46
45	लोदीखेड़ा, छिंदवाड़ा	1.53	5.41	6.94	6.67	0.27
					dy ;kx	276-82
	dy ;kx				ldy ;kx	68524-59

ifjf'k"V 1-4 ¼c½

vlxfgr fdjk;k ,oa ihfe;e dk fooj.k

lanHkZ dafMdk 1-11 ¼i"B 6½

¼₹ yk[k e½

l-Ø-	bdkbZ dk uke	vkofVr ndkuk dk cdk;k ihfe;e	vkofVr ndkuk dk cdk;k fdjk;k	fnukd 31-03-2013 dh fLFkfr e cdk;k
uxj ikfydk fuxe				
1	सागर	43.92	22.78	66.70
2	भोपाल		38.37	38.37
3	सतना		50.83	50.83
			dy ;kx	155-90
uxj ikfydk ifj"kn				
4	राजगढ़	16.32	4.87	21.19
5	पिछोर, राजगढ़		7.17	7.17
6	पिपलिया, होशगाबाद	10.15	22.92	33.07
7	बालाघाट		35.04	35.04
8	बारा सिवनी, बालाघाट		4.34	4.34
9	नौगॉव, छतरपुर	15.00	3.51	18.51
10	श्योपुर	22.92		22.92
11	टीकमगढ़	81.35	34.52	115.87
			dy ;kx	258-11
uxj ifj"kn				
12	आकोदिया, शाजापुर	2.33	2.03	4.36
13	राजगढ़, धार	5.79	0.72	6.51
14	सुवासरा, मन्दसौर	16.88	0.70	17.58
			dy ;kx	28-45
			ldy ;kx	442-46

ifjf'k"V 1-5
vlaxfgr xSj jktLo ¼ty iHkkj½ djksa dk fooj.k
lanHkZ dafMdk 1-11 ¼i`"B 6½

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	iwoZ o"kksZa dk cdk;k	o"kZ 2012&13 esa tkjh ekax	dqy ;ksx	ekpZ 2013 dh fLFkfr esa dqy izkIr jktLo	ekpZ 2013 dh fLFkfr esa dqy vizkIr dj dh jkf'k
uxj ikfydk fuxe						
1	भोपाल	259.56	489.26	748.82	546.98	201.84
2	सतना	584.99	170.89	755.88	91.70	664.18
3	कटनी	290.69	140.00	430.69	125.66	305.03
4	इन्दौर	12562.65	3026.8	15589.45	2093.85	13495.60
5	सिंगरोली	6.82	5.68	12.50	4.91	7.59
					;ksx	14674-24
uxj ikfydk ifj"kn						
6	डोंगर परासिया, छिदवाड़ा	8.09	9.12	17.21	10.14	7.07
7	सुजालपुर, शाजापुर	55.28	25.94	81.22	29.03	52.19
8	लोहरदा, शाजापुर	2.40	2.33	4.73	2.98	1.75
9	हाटपिपल्या, देवास	7.00	3.00	10.00	0.79	9.21
10	पचोर, राजगढ़	37.91	10.62	48.53	9.32	39.21
11	मंडलेश्वर, खरगोन	3.09	12.26	15.35	11.33	4.02
12	धनपुरी, शहडोल	आकंडा उपलब्ध नहीं है		34.83	11.57	23.26
13	पिपरिया, होशंगाबाद	54.48	18.46	72.94	25.22	47.72
14	बालाघाट	77.66	49.50	127.16	44.08	83.08
15	मलाजखण्ड बालाघाट	0.20	5.14	5.34	4.94	0.40
16	वारासिवनी, बालाघाट	2.46	13.54	16.00	12.14	3.86
17	अम्बाह, मुरैना	48.34	19.07	67.41	12.78	54.63
18	गोटेगॉव नरसिंहपुर	28.21	7.41	35.62	7.27	28.35
19	नैनपुर, मण्डला	4	12	16	10.71	5.29
20	करेली, नरसिंहपुर	18.98	12.23	31.21	12.82	18.39
21	अमरबाड़ा, छिंदवाड़ा	0	10.02	10.02	10.02	0
22	टीकमगढ़	150.26	56.59	206.85	35.91	170.94
23	श्योपुर	146.61	38.84	185.45	21.15	164.3
24	सबलगढ़, मुरैना	35.15	31.18	66०33	24.53	41.8
25	मण्डला	15.76	40	55०76	35.17	20.59
					;ksx	776-06

uxj ifj"kn						
26	अकोदिया शाजापुर	6.9	3.11	10.01	5.79	4.22
27	पिपलोदा, रतलाम	0.20	3.28	3.48	3.31	0.17
28	पलसूद, बड़वानी	1.40	3.60	5.00	2.81	2.19
29	ताल, रतलाम	7.75	5.80	13.55	9.45	4.10
30	पचोर	37.91	10.61	48.52	9.34	39.18
31	शाहपुर, बुरहानपुर	0	3.27	3.27	0	3.27
32	तेदुखेंड़ा, नरसिंहपुर	6.57	5.39	11.96	6.94	5.02
33	राजगढ़, धार	23.16	4.35	27.51	23.82	3.69
34	रहेटी, सिहोरा	6.91	2.76	9.67	2.98	6.69
35	शाहागंज, सिहोर	3.03	2.5	5.53	3.08	2.45
36	अंजड़, बडवानी	25.41	27.27	52.68	23.8	28.88
37	शुवासरा, मंदसौर	12.96	5.58	18.54	7.16	11.38
38	लोधीखेडा, छिंदवाड़ा	0.48	7.28	7.76	6.56	1.2
					;kx	112-44
					dy ;kx	15562-74

ifjf'k"V 1-6

vlek;kftr vLFkkbZ vfxzekas dk fooj.k i=d

lnHkZ dafMdk 1-12 ¼i"B 7½

¼₹ yk[k eas½

l-Ø	bdkbZ dk uke	vfxze dk mn~ns';	fnukad 31-03-2013 rd vlek;kftr vfxze jkf'k
uxj ikfyd fuxe			
1	बुरहानपुर	आकस्मिक	33.33
2	सागर	कार्यालीन	136.23
3	भोपाल	कार्यालीन	20.30
4	सतना	कार्यालीन	86.37
5	इन्दौर	कार्यालीन	118.90
6	जबलपुर	कार्यालीन	192.67
7	कटनी	कार्यालीन	55.83
8	सिंगरोली	कार्यालीन	13.41
		;ksx	657-04
नगर पालिका परिषद			
9	हाटपिपल्या, देवास	कार्यालीन	0.60
10	धनपुरी, शहडोल	कार्यालीन	2.81
11	बालाघाट	कार्यालीन	1.57
12	मलाजखण्ड, बालाघाट	कार्यालीन	1.57
13	सवलगढ, मुरैना	कार्यालीन	6.95
14	श्योपुर	कार्यालीन	21.71
15	टीकमगढ़	कार्यालीन	2.05
16	कोलार, भोपाल	कार्यालीन	0.54
17	डोंगर परासिया, छिंदवाडा	कार्यालीन	0.49
		;ksx	38-29
uxj ifj"kn			
18	अकोदिया, शाजापुर	कार्यालीन	1.71
19	राजगढ, धार	कार्यालीन	0.35
20	ताल, रतलाम	कार्यालीन	1.64
21	बडागॉव, शाजापुर	कार्यालीन	43.40
22	जिरोनखासला, टीकमगढ	कार्यालीन	0.14
23	सुवासरा, मन्दसौर	कार्यालीन	0.20
24	फूफ, भिण्ड	कार्यालीन	0.08
25	बरघाट, सिवनी	कार्यालीन	0.71
26	लोहार्दा, देवास	कार्यालीन	0.10
27	पिपलोदा, रतलाम	कार्यालीन	0.99
28	बडकुही, छिंदवाड़ा	कार्यालीन	0.43
		dqy ;ksx	49-75
			745-08

ifjf'k"V 3-1
iapk;rh jkt laLFkkvksa }kjk cSad lek/kku i=d rS;kj ugha djuk
lanHkZ% dafMdk 3-10 ¼i"B 36½

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	bdkbZ dk uke	31-03-2013 dks jksdM cgh dk 'ks"k	31-03-2013 dks cSad [kkrs dk 'ks"k	vUrj
1-	*2-*	*3-*	*4-*	*5-*
1	जिला पंचायत, बुरहानपुर	149.86	173.25	23.39
		738.05	660.84	−77.21
2	जिला पंचायत, दतिया	1202.56	1646.89	444.33
		16.49	11.61	−4.88
3	जिला पंचायत, कटनी	1097.73	1394.23	296.50
		1234.15	497.25	−736.90
4	जिला पंचायत, खरगोन	1408.81	1551.94	143.13
		151.83	151.71	−0.12
5	जिला पंचायत, मण्डला	76.67	124.23	47.56
		382.24	379.85	−2.39
6	जिला पंचायत, मुरैना	600.23	765.96	165.73
		29.40	18.12	−11.28
7	जिला पंचायत, नरसिंहपुर	177.88	189.47	11.59
8	जिला पंचायत, रतलाम	540.36	592.47	52.11
9	जिला पंचायत, सागर (टीएससी)	500.49	509.13	8.64
10	जिला पंचायत, सतना	4631.65	5206.60	574.95
		308.38	282.97	−25.41
11	जिला पंचायत, सिहोर			126.27
12	जिला पंचायत, सिवनी	1135.90	1149.39	13.49
13	जिला पंचायत, शहडोल	5492.92	7549.33	2056.41
14	जिला पंचायत, श्योपुर	85.52	395.72	310.20
15	जिला पंचायत, सिंगरोली	2561.62	2831.88	270.26
		1007.25	930.34	−76.91
16	जनपद पंचायत, अलीराजपुर	153.34	71.07	−82.27
17	जनपद पंचायत, बाबई चिचली, नरसिंहपुर	103.01	139.71	36.70
		36.88	35.55	−1.33
18	जनपद पंचायत, बड़वारा, कटनी	119.95	267.78	147.83
19	जनपद पंचायत, बाग, धार	193.54	474.44	280.90
20	जनपद पंचायत, बैहर, बालाघाट	142.36	213.51	71.15
21	जनपद पंचायत, बैरसिया, भोपाल	275.95	300.68	24.73
		41.00	33.43	−7.57
22	जनपद पंचायत, बाजना, रतलाम	22.70	56.61	33.91
23	जनपद पंचायत, बामोरी, गुना	192.07	237.10	45.03
		182.38	145.99	−36.39

1-	*2-*	*3-*	*4-*	*5-*
24	जनपद पंचायत, बंडा, सागर	1.94	8.10	6.16
25	जनपद पंचायत, बनखेड़ी, होशंगाबाद	246.83	302.21	55.38
26	जनपद पंचायत, ब्यावरा राजगढ़	266.10	318.63	52.53
27	जनपद पंचायत, भगवानपुरा, खरगोन	200.03	238.25	38.21
		130.42	120.29	–10.13
28	जनपद पंचायत, भैंसदही, बैतूल	245.73	355.32	109.59
29	जनपद पंचायत, भीमपुर, बैतूल	151.66	403.24	251.58
30	जनपद पंचायत, बिरसा, बालाघाट	236.41	294.30	57.89
31	जनपद पंचायत, डही, धार	233.94	345.35	111.41
		105.77	90.81	–14.96
32	जनपद पंचायत, देवरी, सागर	268.00	326.63	58.63
		42.32	26.77	–15.55
33	जनपद पंचायत, देपालपुर, इन्दौर	237.05	274.70	37.65
34	जनपद पंचायत, देवसर, सिंगरोली	53.18	139.21	86.03
		340.31	209.01	–131.30
35	जनपद पंचायत, ढीमरखेड़ा, कटनी	138.59	357.75	219.16
		3.51	1.53	–1.98
36	जनपद पंचायत, गरोठ, छतरपुर	85.62	159.60	73.98
37	जनपद पंचायत, गौरिहार, छतरपुर	374.96	451.28	76.32
38	जनपद पंचायत, घुघरी, मण्डला	0.67	0.66	–0.01
39	जनपद पंचायत, गोगावां, खरगोन	16.36	39.59	23.23
40	जनपद पंचायत, गुनोर, पन्ना	162.02	314.25	152.23
41	जनपद पंचायत, ग्यारसपुर, विदिशा	101.03	150.73	49.70
42	जनपद पंचायत, जबलपुर	24.81	43.18	18.37
43	जनपद पंचायत, झाबुआ	1132.32	1375.07	242.75
44	जनपद पंचायत, झिरन्या, खरगोन	140.17	178.36	38ण्18
		5.19	5.06	–0.14
45	जनपद पंचायत, जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा	656.42	909.06	252.64
46	जनपद पंचायत, कन्नोद, देवास	383.69	441.18	57.49
		53.00	44.50	–8.50
47	जनपद पंचायत, करकेली, उमरिया	736.80	774.71	37.91
		153.95	147.20	–6.75
48	जनपद पंचायत, केसली, सागर	192.09	237.48	45.38
		38.56	30.34	–8.22
49	जनपद पंचायत, खरगोन	252.71	296.43	43.72
		22.11	3.54	–18.57
50	जनपद पंचायत, खुरई, सागर	267.70	278.82	11.12
51	जनपद पंचायत, कुसमी, सीधी	185.89	344.68	158.79
52	जनपद पंचायत, लखनादोन	119.03	206.49	87.46
53	जनपद पंचायत, मंदसौर	183.61	194.04	10.43
		287.54	229.00	–58.54
54	जनपद पंचायत, मेघनगर, झाबुआ	304.60	323.67	19.07

1-	2-	3-	4-	5-
55	जनपद पंचायत, मोहखेड़ा, छिंदवाड़ा	409.61	434.78	25.17
56	जनपद पंचायत, नलखेंड़ा, शाजापुर	112.18	143.15	30.97
57	जनपद पंचायत, निवाड़ी, टीकमगढ़	165.92	198.74	32.82
58	जनपद पंचायत, पनागर, जबलपुर	157.89	190.04	32.15
59	जनपद पंचायत, पन्ना, पन्ना	234.93	296.87	61.94
60	जनपद पंचायत, पथरिया, दमोह	187.15	208.38	21.23
61	जनपद पंचायत, पवई, पन्ना	521.62	553.08	31.46
62	जनपद पंचायत, पुनासा, खण्डवा	139.05	279.27	140.22
		2.44	1.23	−1.21
63	जनपद पंचायत, राघोगढ़, गुना	323.40	378.39	54.99
64	जनपद पंचायत, राजनगर, छतरपुर	134.09	118.47	−15.62
65	जनपद पंचायत, रामा, झाबुआ	27.26	33.51	6.25
		159.55	148.58	−10.96
66	जनपद पंचायत, रामनगर, सतना	183.32	123.32	−60.00
67	जनपद पंचायत, समनापुर, डिण्डोरी	173.48	175.09	1.61
		142.16	82.46	−59.70
68	जनपद पंचायत, सेगांव, खरगोन	117.79	158.08	40.29
69	जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर	75.77	86.22	10.45
70	जनपद पंचायत, सिहोर, सिहोर	67.14	75.47	8.33
71	जनपद पंचायत, शाजापुर	304.58	449.42	144.84
72	जनपद पंचायत, शिवपुरी	507.62	329.84	−177.78
73	जनपद पंचायत, सिहावल, सीधी	595.03	795.59	200.56
74	जनपद पंचायत, सिरोही, विदिशा	135.91	333.87	197.96
		55.77	22.70	−33.07
75	जनपद पंचायत, सुसनेर, शाजापुर	147.73	192.19	44.46
76	जनपद पंचायत, टोंकखुर्द, देवास	218.90	249.97	31.07
		7.41	6.51	−0.90
77	जनपद पंचायत, उज्जैन	93.67	109.34	15.67
		16.72	14.20	−2.52
78	जनपद पंचायत, विदिशा	374.92	762.65	387.73
79	जनपद पंचायत, विजयपुर, श्योपुर	59.95	173.58	113.63
		182.06	90.42	−91.64
80	ग्राम पंचायत, अहिरगवॉ, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर	8.10	9.34	1.24
81	ग्राम पंचायत, बामानिधि, नीमच	1.28	5.52	4.24
		5.06	1.24	−3.82
82	ग्राम पंचायत, बंस्तरखेड़ा, दमोह	2.12	2.67	0.55
83	ग्राम पंचायत, बुंद्रा, सिहोरा	0.00	0.93	0.93
84	ग्राम पंचायत, चदुआ, जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा	3.13	3.15	0.02
85	ग्राम पंचायत, चनोदी, बुढ़ार, शहडोल	0.04	0.31	0.27
86	ग्राम पंचायत, छिन्दा, परासिया, छिन्दवाड़ा	4.60	4.71	0.12
87	ग्राम पंचायत, चिनोदी, बुढ़ार, शहडोल	16.64	16.92	0.27
88	ग्राम पंचायत, डेको, घुघरी, मण्डला	0.37	4.33	3.96

1-	*2-*	*3-*	*4-*	*5-*
89	ग्राम पंचायत, देवराज, भीकनगॉव, खरगोन	0.00	9.99	9.99
90	ग्राम पंचायत, देयका, बाजना, रतलाम	3.28	8.02	4.74
		1.35	1.34	–0.01
91	ग्राम पंचायत, गनोरा, खातेगॉव	0.57	1.45	0.88
92	ग्राम पंचायत, गवहॉ, अलीराजपुर	0.01	0.77	0.76
93	ग्राम पंचायत, घुरवड़ा, केवलीरी, सिवनी	1.94	8.71	6.77
94	ग्राम पंचायत, गोदना, मोमनबड़ोदिया, शाजापुर	5.52	6.18	0.66
95	ग्राम पंचायत, हरदुआ खुर्द, दमोह	3.44	11.89	8.45
96	ग्राम पंचायत, हरथल, बाजना, रतलाम	0.02	0.03	0.01
97	ग्राम पंचायत, इमलियालांजी, दमोह	0.49	1.63	1.14
98	ग्राम पंचायत, जमुनिया, गरोठ, मंदसौर			0.00127
99	ग्राम पंचायत, झोला, केवलारी, सिवनी	8.80	8.97	0.17
100	ग्राम पंचायत, झोंकर, शाजापुर	0.00	15.78	15.78
101	ग्राम पंचायत, झिरी, ढीमरखेड़ा, कटनी	4.84	11.90	7.06
102	ग्राम पंचायत, जुगराई, लखनादोन, सिवनी	0.66	8.37	7.71
103	ग्राम पंचायत, कचनरा फ्लैग, मंदसौर	1.87	1.90	0.03
104	ग्राम पंचायत, कैथहा, रामनगर, सतना	0.46	1.54	1.09
105	ग्राम पंचायत, कमला, नैनपुर, मण्डला	1.71	3.06	1.35
		4.32	3.30	–1.02
106	ग्राम पंचायत, कांजीपुरा, खातेगॉव, देवास	1.10	1.65	0.55
107	ग्राम पंचायत, कानपुर, अलीराजपुर	5.49	5.42	–0.07
108	ग्राम पंचायत, कंवर, कन्नोद, देवास	0.07	0.94	0.87
109	ग्राम पंचायत, खैरमंडल, जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा	0.00	2.59	2.59
110	ग्राम पंचायत, खामी, केवलारी, सिवनी	0.03	8.13	8.10
111	ग्राम पंचायत, कुरसीपुर, लखनादोन, सिवनी	2.76	5.05	2.29
112	ग्राम पंचायत, लालपुर, ढीमरखेड़ा, कटनी	0.77	2.05	1.28
113	ग्राम पंचायत, लिक्खी, खरगोन	0.10	4.00	3.90
114	ग्राम पंचायत, मढ़ी, लखनादोन, सिवनी	1.94	19.43	17.49
115	ग्राम पंचायत, मैना, सुसनेर, शाजापुर	2.51	3.82	1.31
116	ग्राम पंचायत, मझगवां, बड़वाह, कटनी	2.30	3.35	1.05
		0.79	0.76	–0.03
117	ग्राम पंचायत, मवावान, बड़वाह, बड़वारा, कटनी	6.54	6.68	0.14
		0.57	0.04	–0.53
118	ग्राम पंचायत, निपनिया करजू, सिरोंज, विदिशा	4.30	4.82	0.52
119	ग्राम पंचायत, मूर्तिहाई, रामनगर, सतना	10.25	10.67	0.42
120	ग्राम पंचायत, मोमनबड़ोदिया, शाजापुर	5.36	15.51	10.15
121	ग्राम पंचायत, पलटवाड़ा, परासिया, छिदवाड़ा	4.06	4.12	0.06
122	ग्राम पंचायत, पिपलियामांकर, खातेगांव, देवास	0.05	0.06	0.02
123	ग्राम पंचायत, पिपलोदा, शाजापुर	4.23	4.33	0.10
124	ग्राम पंचायत, पिरनलवास, देपालपुर	6.11	6.26	0.15
125	ग्राम पंचायत, रुपांड, बड़वारा, कटनी	9.68	10.73	1.05
126	ग्राम पंचायत, साजोड़, शाजापुर	2.03	2.00	–0.03

1-	2-	3-	4-	5-
127	ग्राम पंचायत, सलारी, आगर, शाजापुर			0.16
128	ग्राम पंचायत, सलसबाई, मोमनबड़ोदिया, शाजापुर	10.78	15.39	4.62
129	ग्राम पंचायत, सरखाकलां, केवलारी, सिवनी	0.29	1.28	0.99
130	ग्राम पंचायत, सोनचिढी, आगर, शाजापुर	0.31	4.24	3.93
131	ग्राम पंचायत, उमरिया खालसा, उज्जैन	1.00	2.04	1.04
				9442-59
				₹ 94-43 djkM
				&1796-22
				₹ 17-96 djkM

ifjf'k"V 3-2
vlekÿkftr vLFkk;h vfxzeksa dk fooj.k

lanHkZ % dafMdk 3-11 ¼i"B 37½

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	bdkbZ dk uke	jkf'k
1-	*2-*	*3-*
1	जिला पंचायत, भिण्ड	5.64
2	जिला पंचायत, छिंदवाड़ा	2.23
3	जिला पंचायत, दमोह	18.48
4	जिला पंचायत, धार	0.90
5	जिला पंचायत, डिण्डोरी	8.82
6	जिला पंचायत, हरदा	0.47
7	जिला पंचायत, जबलपुर	1.21
8	जिला पंचायत, पन्ना	0.90
9	जिला पंचायत, सागर	0.63
10	जिला पंचायत, सतना	3.83
11	जिला पंचायत, सिवनी	1.91
12	जिला पंचायत, शहडोल	0.93
13	जिला पंचायत, शाजापुर	36.21
14	जिला पंचायत, शिवपुरी	0.30
15	जिला पंचायत,सीधी	2.97
16	जिला पंचायत, टीकमगढ़	1.73
17	जनपद पंचायत,भगवानपुरा, खरगोन	15.77
18	जनपद पंचायत, भीकनगॉव, खरगोन	0.50
19	जनपद पंचायत, भीमपुर, बैतूल	8.27
20	जनपद पंचायत, बुढ़ार	1.03
21	जनपद पंचायत, छैगॉवमाखन, खण्डवा	6.88
22	जनपद पंचायत, डही, धार	13.24
23	जनपद पंचायत, गुनोर, पन्ना	24.40
24	जनपद पंचायत, हर्रई, छिंदवाड़ा	2.02
25	जनपद पंचायत, हट्टा, दमोह	0.40
26	जनपद पंचायत, झिरन्या, खरगोन	18.31
27	जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना	0.48
28	जनपद पंचायत, कन्नोद, देवास	1.36
29	जनपद पंचायत, करकेली,	0.77
30	जनपद पंचायत, मंदसौर	0.35
31	जनपद पंचायत, मेघनगर, झाबुआ	15.87
32	जनपद पंचायत, मोमनबड़ोदिया, शाजापुर	1.83
33	जनपद पंचायत, निवाड़ी, टीकमगढ़	1.90
34	जनपद पंचायत, पवई, पन्ना	4.66
35	जनपद पंचायत, रामा, झाबुआ	9.95
36	जनपद पंचायत, सोहागपुर, शहडोल	1.52

1-	2-	3-
37	जनपद पंचायत, सुसनेर, शाजापुर	0.36
38	जनपद पंचायत, ठीकरी, बड़वाह, बड़वानी	55.55
39	जनपद पंचायत, विदिशा	2.75
40	ग्राम पंचायत, धमनेजर, कैलारस, मुरैना	0.22
41	ग्राम पंचायत, तीजरपूर, पिछोर, शिवपुरी	2.81
	;kx	278-36
	vFkkr 2-78 djkM	

ifjf'k"V 3-3

iapk;rh jkt laLFkkvksa dks 13osa foRr vk;ksx vuqnku foyEc ls tkjh djus ds QyLo:i jkT; 'kklu ij C;kt dk vfrfjDr foRrh; Hkkj

v ¼ fu"iknu vuqnku dk vkgj.k ,oa forj.k

lanHkZ % dafMdk 3-13-1 ¼i"B 38½

¼₹ yk[k esa½

o"kZ	Hkkjr ljdkj ls izkIr vuqnku			iapk;r ,oa xzkeh.k fodkl foHkkx }kjk vkgfjr vuqnku		iapk;rh jkt laLFkkvksa dks gLrkarfjr vuqnku		dqy foyEc vof/k	10 fnuksa ds vfrfjDr foyEc dh vof/k	8-5 izfr'kr okf"kZd dh nj ls C;kt
	fd'r	fnukad	jkf'k	fnukad	jkf'k	fnukad	jkf'k			
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	10-	11-
2013–14	पूर्व वर्ष का अनुदान	31.3.14	17322.84	7.4.14	18807.61	11.4.14 11.4.14	1042.83 108.40	कोई विलंब नहीं		
	–तदैव–	31.3.14	3948.71	7.4.14	1794.41	9.6.14	2000.00	63	53	24.68
	प्रथम	31.3.14	21484.77	7.4.14	2000.00	23.6.14	163.07	77	67	2.54
						23.7.14	15.00	107	97	0.33
						24.7.14	16400.00	108	98	374.27
						26.7.14	310.00	110	100	7.21
						28.7.14	10000.00	113	103	239.86
						31.7.14	10350.00	116	106	10.94
						14.8.14	1779.93	130	120	5.94
	;ksx		42756-32		42169-23		42169-23			665-77

ey vunku dk vkgj.k ,o forj.k

¼₹ yk[k e½

o"k	Hkkjr ljdkj l ikIr vunku			ipk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx }kjk vkgfjr vunku		fØ;kUo;u ,tfUl;k dk forfjr		dy foyEc vof/k	10 fnuk d vfrfjDr foyEc dh vof/k	8-5 ifr'kr okf"kd dh nj l C;kt
	fd'r	fnukd	jkf'k	fnukd	jkf'k	fnukd	jkf'k			
1-	*2-*	*3-*	*4-*	*5-*	*6-*	*7-*	*8-*	*9-*	*10-*	*11-*
2013—14	प्रथम	30.08.13	32144.05	4.9.13	32144.05	5.9.13	30536.8475	कोई विलंब नहीं		
		30.08.13	1325.00	3.9.13	1128.00	7.9.13	1607.2025	–तदैव–		
	द्वितीय	21.02.14	30782.26	1.3.14	30782.26	5.9.13	1128.00	–तदैव–		
		21.02.14	1522.00	1.3.14	1295.71	3.3.14	28931.65	–तदैव–		
						15.4.14	141.00	15	05	0.16
						16.4.14	378.00	16	06	0.52
						25.4.14	357.00	25	15	1.24
						6.5.14	215.00	36	16	1.30
						8.5.14	131.00	38	28	0.85
						26.5.14	92.00	56	46	0.98
						5.6.14	193.00	66	56	2.51
						16.6.14	62.00	77	67	0.96
						28.6.14	184.00	89	79	3.38
						10.7.14	121.00	101	91	2.56
						17.7.14	32.00	108	98	0.73
						28.7.14	29.32	119	109	0.74
	;kx		65773-31		65350-02		65350-02			15-93
dy ;kx ¼665-77&15-93½ = ₹ 681-70 yk[k vFkkr ₹ 6-82 djkM										

ifjf'k"V 3-4

o"k 2013&14 d nkjku lkekU; fu"iknu vuinku dk fty ,o tuin ipk;rk d e/; xj vuikfrd forj.k

lnHk ¼ dfMdk 3-13-4 ¼i"B 41½

¼₹ djkM e½

l-Ø-	fty ipk;r dk uke	fty ipk;r d vUnj tuin ipk;rk dh l-	ipk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx d l=ku lkj fty ,o tuin ipk;rk d e/; lkekU; fu"iknu vuinku dk forj.k] ₹ 1-00 djkM ,o ₹ 0-25 djkM] fd;k tkuk Fkk	ipk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx }kjk fty@ tuin ipk;rk dk okLrfod ink; fd;k x;k vuinku	l= dk viuk;t fcuk ink; fd;k x;k vfrfjDr fuf/k
1-	*2-*	*3-*	*4-*	*5-*	*6-*
1	मण्डला	9	3.25	7.05	3.80
2	बैतूल	10	3.50	11.90	8.40
3	बालाघाट	10	3.50	13.00	9.50
4	धार	13	4.25	11.15	6.90
5	डिण्डौरी	7	2.75	5.35	2.60
6	रतलाम	6	2.50	4.30	1.80
7	छिंदवाड़ा	11	3.75	11.05	7.30
8	अलीराजपुर	6	2.50	4.80	2.30
9	सिवनी	8	3.00	7.60	4.60
10	खरगोन	9	3.25	8.95	5.70
11	बड़वानी	7	2.75	6.55	3.80
12	खण्डवा	7	2.75	6.75	4.00
13	शिवपुरी	8	3.00	8.10	5.10
14	रीवा	9	3.25	10.25	7.00
15	छतरपुर	8	3.00	9.00	6.00
16	जबलपुर	7	2.75	7.45	4.70
17	मुरैना	7	2.75	7.75	5.00
18	राजगढ़	6	2.50	7.50	5.00
19	शहडोल	5	2.25	5.35	3.10
20	शाजापुर	8	3.00	1.40	7.40
21	सतना	8	3.00	9.50	6.50
22	दमोह	7	2.75	8.35	5.60
23	होशंगाबाद	7	2.75	8.45	5.70
24	भिण्ड	6	2.50	7.20	4.70
25	सीधी	5	2.25	5.95	3.70
26	टीकमगढ़	6	2.75	7.10	4.35
27	अनुपपुर	4	2.00	4.70	2.70
28	मंदसौर	5	2.25	6.15	3.90
29	नरसिंहपुर	6	2.75	7.10	4.35

1-	2-	3-	4-	5-	6-
30	अशोकनगर	4	2.00	5.00	3.00
31	गुना	5	2.25	6.35	4.10
32	उमरिया	3	1.75	3.75	2.00
33	हरदा	3	1.75	3.85	2.10
34	झाबुआ	6	2.75	5.60	2.85
35	भोपाल	2	1.50	2.80	1.30
36	नीमच	3	1.75	5.00	3.25
37	पन्ना	5	2.25	7.15	4.90
38	सिंगरौली	3	1.75	4.65	2.90
39	श्योपुर	3	1.75	3.75	2.00
40	इन्दौर	4	2.00	7.70	5.70
41	बुरहानपुर	2	1.50	3.20	1.70
42	दतिया	3	1.75	4.45	2.70
43	उज्जैन	6	2.50	9.70	7.20
44	ग्वालियर	4	2.00	8.40	6.40
45	रायसेन	7	2.75	11.38	8.63
46	कटनी	6	2.50	6.10	3.60
47	सिहोर	5	2.25	6.45	4.20
48	देवास	6	2.50	8.02	5.52
49	विदिशा	7	2.75	11.69	8.94
50	सागर	11	3.75	41.23	37.48
;kx		313	129-00	394-97	265-97

ifjf'k"V 4-1
y[kkijh{kk }kjk ueuk tkp dh xbi xke ipk;r dh lph
lnHk dfMdk Ø- 4-1-2 ¼i"B 43½

l-Ø-	tuin ipk;rk d uke	xke ipk;rk d uke
1-	*2-*	*3-*
1	बदनावर	ढोलना
2		बखादगढ़
3		सांदला
4		जावदा
5		बखतपुरा
6		मुलथान
7		रतनपुरा
8		सेमल्या
9		चिरखान
10		दोत्राया
11	देपालपुर	बिरगोड़ा
12		भीलबडोली
13		रावद
14		नांदरा
15		अहीरखेदी
16		फूलान
17		जलालपुरा
18		चान्दाखेड़ी
19		वन्याखेदी
20		खीमलावदा
21	धरमपुरी	धुधी
22		अनुपुरा बहादरा
23		बलवारा
24		बेगंदा
25		बगवंया
26		शाहपुरकक्रदा
27		खालबुजुर्ग
28		मेहगांव
29		गुजरी
30		सन्ड्रेल
31	गंधवानी	पिपली
32		गुरसाल
33		गंधवानी
34		केशवी
35		धवरदा
36		बिलदा
37		अजंतद
38		गुंगीदेवी
39		सतुमारी
40		झेगदा

1-	2-	3-
41	इन्दौर	छोटाबगंरदा
42		बिचोली मरदना
43		नरलया
44		न्यादपनथा
45		चोहनखेड़ी
46		सीन्दोदा
47		कम्पेल
48		अहिरखेड़ी
49		रंगवासा
50		सिंघासा
51	मनावर	खान्डलई
52		सिंघाना
53		टोंकी
54		गुलाती
55		पीपरिमान
56		इक्लवारा
57		जतपुरा
58		ग्वालिपिपलिया
59		कलवानी
60		भाग्यपुर
61	मऊ	जोशीगुराड़िया
62		माद
63		हसलपुर
64		कोधारिया
65		नांदेद
66		अम्बाचन्दन
67		ग्वालिपलासिया
68		गुजरखेड़ा
69		दातोड़ा
70		मेम्नदी
71	निसरपुर	लिंगवा
72		कोदा
73		निसरपुर
74		लोहारी
75		देशवाल्या
76		बेदवाल्या
77		कोथदा
78		छीखल्दा
79		सुसरी
80		थापरखंड

ifjf'k"V 4-2

lEifRr dj vf/kjkfir dju oky xke ipk;r dh lph

lnHk dfMdk 4-1-3-1 ¼i"B 44½

¼jkf'k ₹ e½

l-Ø-	tuin	xke ipk;r	2010&11			2011&12			2012&13			2013&14		
			vf/kjkfir	lxfgr	ifr'kr	vf/kjkfir	lxfgr	ifr'kr	vf/kjkfir	lxfgr	ifr'kr	vf/kjkfir	lxfgr	ifr'kr
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	देपालपुर	बिरगोड़ा	0	0	0	20000	5000	25	190400	105000	55	105400	105400	100
2		भीलबडोली	35000	0	0	71000	0	0	106500	56000	53	86000	0	0
3		रावद	0	0	0	18000	15000	83	159000	100500	63	174000	101290	58
4		नांदरा	0	0	0	29990	1500	5	58480	51000	87	37417	0	0
5		अहीरखेदी	0	0	0	18536	0	0	53281	51000	96	20817	0	0
6		फूलान	12930	12930	100	12930	3800	29	22060	11500	52	23490	0	0
7		जलालपुरा	6000	0	0	12000	6000	50	71000	52500	74	71000	71000	100
8		चान्दाखेड़ी	0	0	0	12000	2000	17	70000	52000	74	78000	51638	66
9		वन्याखेदी	0	0	0	0	0	0	50000	30000	60	0	0	0
10		खीमलावदा	0	0	0	0	0	0	21000	5500	26	0	0	0
11	मऊ	जोशीगुराड़िया	118000	0	0	118000	0	0	118000	0	0	118000	0	0
12		कोधारिया	814982	438145	54	836882	244254	29	866834	215936	25	872528	272205	31
13		नांदेद	11960	0	0	11960	15916	133	11960	7306	61	11960	3090	26
14		अम्बाचन्दन	10742	1255	12	10742	2000	19	10742	7056	66	10742	4625	43
15		ग्वालिपलासिया	480081	190422	40	578595	328446	57	590149	495387	84	574762	223946	39
16		गुजरखेड़ा	34000	12000	35	44000	29000	66	52000	33000	63	66000	39000	39
17		दातोड़ा	210000	0	0	210000	80000	38	210000	110000	52	210000	80000	38
18		मेम्नदी	17500	0	0	18800	0	0	20200	0	0	22500	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	इन्दौर	छोटाबगंरदा	3500000	2543310	73	3500000	3493129	100	3500000	3608927	103	3500000	2338274	67
20		बिचोली मरदना	406775	286000	70	1228700	9400000	765	1689613	1560000	92	6828250	2140000	31
21		नरलया	126400	26400	21	126400	10582	8	95000	7550	8	11000	9690	88
22		न्यादपनथा	214000	121722	57	120000	43500	36	216000	122901	57	230000	133888	58
23		चोहनखेड़ी	53000	370	1	62000	419	1	70000	5420	8	78000	9310	12
24		सीन्दोदा	15000	4500	30	70900	67734	96	39000	20600	53	55000	33300	61
25		कम्पेल	40000	11564	29	42530	11975	28	42670	4934	12	45240	34767	77
26		अहिरखेड़ी	27500	27500	100	48860	48860	100	225167	225167	100	226970	226970	100
27		रंगवासा	215528		0	215528	158424	74	323292	137313	42	323292	121620	38
28		सिंघासा	121332	121332	100	138000	137428	100	147000	146540	100	165000	115589	70
29	निसरपुर	निसरपुर	15000	3027	20	26973	2809	10	39164	5530	14	48634	17763	37
30		लोहारी	6442	6442	100	5724	5724	100	4260	4260	100	5366	5366	0
31		सुसरी	7000	6135	88	6500	6480	100	8000	7320	92	10000	7550	76
32		थापरखंड	27870	1437	5	28618	1848	6	17050	625	4	23080	1952	8
33	गंधवानी	गुरसाल	8000	8000	100	18070	18070	100	5000	5000	100	22000	22000	100
34		गंधवानी	45580	11332	25	50152	8665	17	85458	19696	23	96630	23505	24
35	धरमपुरी	खालबुजुर्ग	28400	15345	54	28400	12342	43	28400	11221	40	28400	13339	47
36		गुजरी	20000	10190	51	20000	12100	61	20000	17949	90	20000	13034	65
37		सन्ड्रेल	120500	106158	88	140000	129600	93	170000	161350	95	180000	175350	97
38	बदनावर	बखादगढ़	0	0	0	19360	346	2	19360	3145	16	19360	537	3
39		सांदला	6900	5800	84	6900	6000	87	6900	5400	78	13000	11800	90
40		बखतपुरा	6363	0	0	6363	1308	21	6363	6501	102	6363	1614	25
41		मुलथान	2200	0	0	2900	912	31	3500	1852	53	2500	792	32
42		रतनपुरा	86200	7850	9	85768	0	0	93186	0	0	100604	0	0
43		सेमल्या	65000	0	0	45000	0	0	45000	0	0	45000	0	0

ifjf'k"V 4-3

dj vf/kjksfir u djus okyh xzke iapk;rksa dh lwph

lanHkZ% dafMdk 4-1-3-4 ¼i"B 45½

l- Ø-	tuin iapk;r	xzke iapk;rksa ds uke
1	बदनावर	ढोलना
2		जावदा
3		चिरखान
4		दोत्राया
5	धरमपुरी	धुधी
6		अनुपुरा बहादरा
7		बलवारा
8		बेगंदा
9		बगवंया
10		शाहपुरकक्रदा
11		मेहगांव
12	गंधवानी	पिपली
13		केशवी
14		धवरदा
15		बिलदा
16		अजंतद
17		गुंगीदेवी
18		सतुमारी
19		झेगदा
20	मनावर	खान्डलई
21		टोंकी
22		गुलाती
23		पीपरिमान
24		इक्लवारा
25		जतपुरा
26		ग्वालिपिपलिया
27		कलवानी
28		भाग्यपुर
29	मऊ	माद
30		हसलपुर
31	निसरपुर	लिंगवा
32		कोदा
33		देशवाल्या
34		बेदवाल्या
35		कोथदा
36		छीखल्दा
37		थापरखंड

ifjf'k"V 4-4

dj vf/kjki.k l lcf/kr vfHkyk[k iLrr u dju okyh xke ipk;r dh lph

lnHk % dfMdk 4-1-4 ¼i"B 46½

l-Ø-	tuin	xke ipk;r
1	बदनावर	बखादगढ़
2		सांदला
3		बखतपुरा
4		मुलथान
5		रतनपुरा
6		सेमल्या
7	देपालपुर	बिरगोड़ा
8		रावद
9		नांदरा
10		फूलान
11		जलालपुरा
12		चान्दाखेड़ी
13		वन्याखेदी
14		खीमलावदा
15	धरमपुरी	खालबुजुर्ग
16		गुजरी
17		सन्ड्रेल
18	इन्दौर	बिचोली मरदना
19		नरलया
20		न्यादपनथा
21		चोहनखेड़ी
22		सीन्दोदा
23		कम्पेल
24		अहिरखेड़ी
25		रंगवासा
26		सिंघासा
27	मनावर	सिंघाना
28	मऊ	जोशीगुराड़िया
29		कोधारिया
30		नांदेद
31		अम्बाचन्दन
32		ग्वालिपलासिया
33		गुजरखेड़ा
34		दातोड़ा
35		मेम्नदी
36	निसरपुर	निसरपुर
37		लोहारी
38		सुसरी

ifjf'k"V & 4-5

ty iHkkj vf/kjkfir ,o lxfgr dju oky xke ipk;rk dh lph

lnHk % dfMdk 4-1-5 ¼i"B 47½

¼jkf'k ₹ e½

l- Ø-	tuin ipk;rk d uke	xke ipk;rk d uke	vf/kjkfir dj	lxfgr dj	lxfgr dj dk ifr'kr
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	बदनावर	ढोलना	12000	12000	100
2		बखादगढ़	80000	64000	80
3		सांदला	5000	2000	40
4		जावदा	25000	15480	62
5		बखतपुरा	25000	15480	62
6		मुलथान	20000	16000	80
7		रतनपुरा	20000	13169	66
8		सेमल्या	25000	15480	62
9		दोत्राया	31200	8170	26
10	देपालपुर	भीलबडोली	16000	16000	100
11	धरमपुरी	खालबुजुर्ग	80000	68391	85
12		मेहगांव	20000	15600	78
13		गुजरी	35800	35800	100
14		सन्ड्रेल	405000	405000	100
15	गंधवानी	गुरसाल	90000	90000	100
16		गंधवानी	7641290	3175003	42
17		केशवी	1500	0	0
18	इन्दौर	नरलया	60000	1160	2
19		न्यादपनथा	121500	500	1
20		कम्पेल	53650	8101	15
21		अहिरखेड़ी	80000	79950	100
22		रंगवासा	250000	100000	40
23		सिंघासा	50000	38255	77
24	मनावर	सिंघाना	450000	442000	98
25	मऊ	जोशीगुराड़िया	20000	5905	3
26		माद	120000	50000	42
27		हसलपुर	200000	90000	45
28		कोधारिया	800000	520000	65
29		अम्बाचन्दन	72000	29000	40
30		ग्वालिपलासिया	200000	115000	58
31		गुजरखेड़ा	500000	125000	25
32		दातोड़ा	480000	69000	14

1	2	3	4	5	6
33	निसरपुर	लिंगवा	8000	8000	100
34		कोदा	18000	18000	100
35		निसरपुर	200000	139710	70
36		लोहारी	50000	35000	70
37		देशवाल्या	10000	6500	65
38		कोथदा	18000	18000	100
39		सुसरी	250000	204080	82
		;kx	1]25]43]940	60]70]734	

परिशिष्ट 4.6
प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायतों की सूची
संदर्भः कंडिका 4.1.6 (पृष्ठ 47)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम	उत्प्रेरक अनुदान की राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	बदनावर	ढोलना	1,54,317
2		बखादगढ़	1,67,865
3		सांदला	1,69,814
4		जावदा	83,057
5		बखतपुरा	68,150
6		मुलथान	2,50,000
7		रतनपुरा	79,935
8		सेमल्या	1,04,922
9		दोत्राया	1,31,276
10	देपालपुर	बिरगोड़ा	1,15,567
11		भीलबडोली	93,394
12		रावद	93,910
13		नांदरा	73,325
14		अहीरखेदी	72,565
15		फूलान	1,25,280
16		चान्दाखेड़ी	1,06,728
17		वन्याखेदी	85,607
18		खीमलावदा	65,154
19	गंधवानी	पिपली	97,327
20		गुरसाल	1,29,276
21		गंधवानी	2,50,000
22	धरमपुरी	खालबुजुर्ग	2,50,000
23		मेहगांव	1,14,006
24		गुजरी	1,93,404
25		सन्ड्रेल	2,50,000
26	इन्दौर	छोटाबगंरदा	2,50,000
27		बिचोली मरदना	2,05,961
28		नरलया	74,455
29		न्यादपनथा	1,22,504
30		चोहनखेड़ी	82,472
31		सीन्दोदा	81,445
32		कम्पेल	2,49,999
33		अहिरखेड़ी	2,38,079
34		रंगवासा	2,50,000
35		सिंघासा	2,50,000

1	2	3	4
36	मनावर	खान्डलई	1,02,144
37		सिंघाना	2,50,000
38		टोंकी	1,48,455
39	मऊ	जोशीगुराड़िया	70,324
40		माद	1,35,917
41		हसलपुर	2,06,320
42		कोधारिया	2,50,000
43		नांदेद	99,121
44		अम्बाचन्दन	1,56,474
45		ग्वालिपलासिया	2,50,000
46		गुजरखेड़ा	2,50,000
47		दातोड़ा	2,50,000
48		मेम्नदी	1,12,638
49	निसरपुर	लिंगवा	89,056
50		कोदा	1,24,913
51		निसरपुर	2,50,000
52		लोहारी	1,48,909
53		देशवाल्या	1,08,689
54		बेदवाल्या	83,602
55		कोथदा	1,14,142
56		छीखल्दा	1,55,135
57		सुसरी	2,50,000
58		थापरखंड	96,282
;kx			88]31]915

परिशिष्ट 4.7
कोई भी कर संग्रहित नहीं करने वाले ग्राम पंचायतों की सूची
(संदर्भ पैराग्राफ 4.1.6 (पृष्ठ 47))

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जनपद	ग्राम पंचायत	2011-12			स्वीकृत उत्पादक अनुदान
			अधिरोपित	संग्रहित	संग्रहण का प्रतिशत	
1	बदनावर	बखादगढ़	19360	346	2	1,67,865
2		सांदला	6900	6000	87	1,69,814
3		बखतपुरा	6363	1308	21	68,150
4		मुलथान	2900	912	31	2,50,000
5		रतनपुरा	85768	0	0	79,935
6		सेमल्या	45000	0	0	1,04,922
7	देपालपुर	बिरगोड़ा	20000	5000	25	1,15,567
8		भीलबडोली	71000	0	0	93,394
9		रावद	18000	15000	83	94,910
10		नांदरा	29990	1500	5	73,325
11		अहीरखेदी	18536	0	0	72,565
12		फूलान	12930	3800	29	1,25,280
13		चान्दाखेड़ी	12000	2000	17	1,06,728
14		वन्याखेदी	0	0	0	85,607
15		खीमलावदा	0	0	0	65,154
16	धरमपुरी	खालबुजुर्ग	28400	12342	43	2,50,000
17		गुजरी	20000	12100	61	1,93,404
18		सन्ड्रेल	140000	129600	93	2,50,000
19	गंधवानी	गंधवानी	50152	8665	17	2,50,000
20	इन्दौर	नरलया	126400	10582	8	74,455
21		न्यादपनथा	120000	43500	36	1,22,504
22		चोहनखेड़ी	62000	419	1	82,472
23		सीन्दोदा	70900	67734	96	81,445
24		कम्पेल	42530	11975	28	2,49,999
25		रंगवासा	215528	158424	74	2,50,000
26	मऊ	जोशीगुराड़िया	118000	0	0	70,324
27		कोधारिया	836882	244254	29	2,50,000
28		अम्बाचन्दन	10742	2000	19	1,56,474
29		ग्वालिपलासिया	578595	328446	57	2,50,000
30		गुजरखेड़ा	44000	29000	66	2,50,000
31		दातोड़ा	210000	80000	38	2,50,000
32		मेम्नदी	18800	0	0	1,12,638
33	निसरपुर	निसरपुर	26973	2809	10	2,50,000

ifjf'k"V 4-8

dj ekx ,o lxg.k iith l/kkfjr ugh djus okys xke iapk;rks dh lwph

lnHkZ % dfMdk 4-1-8 ¼i"B 48½

l- Ø-	tuin	xke iapk;r
1	बदनावर	बखादगढ़
2		सांदला
3		बखतपुरा
4		मुलथान
5		रतनपुरा
6		सेमल्या
7	देपालपुर	बिरगोड़ा
8		रावद
9		नांदरा
10		अहीरखेदी
11		फूलान
12		जलालपुरा
13		वन्याखेदी
14		खीमलावदा
15	धरमपुरी	खालबुजुर्ग
16		गुजरी
17		सन्ड्रेल
18	गंधवानी	गुरसाल
19		गंधवानी
20	मऊ	जोशीगुराड़िया
21		नांदेद
22		ग्वालिपलासिया
23		गुजरखेड़ा
24		दातोड़ा
25		मेम्नदी
26	इन्दौर	नरलया
27		न्यादपनथा
28		चोहनखेड़ी
29		अहिरखेड़ी
30		रंगवासा
31		सिंघासा
32	निसरपुर	लोहारी
33		सुसरी

ifjf'k"V 4-9

;kstuk fuf/k dk fMekUM MkQV ds :i esa j[kus ls C;kt dh gkfu dk fooj.k

lanHkZ % dafMdk 4-2 ¼i"B 51½

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	ftyk dk uke	tuin dk;kZy;ksa dh la[;k	,e-ih-, l-bZ-Mh- lh- }kjk vkdfyr jkf'k	,e-ih-, l-bZ- th-lh- dks Hkstsh x;h fMekUM MkQV dh jkf'k ¼31-03-2012½	fnukad 25-07-2012 dks ,e-ih-, l-bZ- th- lh- }kjk okil fd;k x;k fMekM MkQV
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	बालाघाट	9	135.00	135.00	135.00
2	बड़वानी	6	90.00	90.00	90.00
3	बैतूल	9	135.00	135.00	135.00
4	छतरपुर	5	75.00	75.00	75.00
5	धार	12	180.00	180.00	180.00
6	डिण्डोरी	6	90.00	90.00	90.00
7	झाबुआ	5	75.00	75.00	75.00
8	खंडवा	4	60.00	60.00	60.00
9	खरगोन	8	120.00	120.00	120.00
10	मण्डला	8	120.00	120.00	120.00
11	सतना	5	75.00	71.40	71.40
12	सिवनी	5	75.00	75.00	75.00
13	शहडोल	2	30.00	30.00	30.00
14	श्योपुर	2	30.00	30.00	30.00
15	शिवपुरी	5	75.00	75.00	75.00
16	सीधी	2	30.00	30.00	30.00
17	टीकमगढ़	3	45.00	45.00	45.00
18	उमरिया	2	30.00	30.00	30.00
19	गुना	2	30.00	30.00	30.00
20	राजगढ़	3	45.00	45.00	45.00
21	दमोह	4	60.00	60.00	60.00
22	पन्ना	2	30.00	30.00	30.00
23	कटनी	3	45.00	45.00	45.00
24	रीवा	6	90.00	90.00	90.00
25	अशोकनगर	2	30.00	30.00	30.00
26	दतिया	2	30.00	30.00	30.00
27	देवास	3	45.00	—	—
28	बुरहानपुर	1	15.00	15.00	15.00
29	हरदा	2	30.00	30.00	30.00
30	छिंदवाड़ा	10	150.00	150.00	150.00
31	अनुपपुर	3	45.00	45.00	45.00
32	मुरैना	3	45.00	45.00	45.00
33	भिण्ड	3	45.00	45.00	45.00

1	2	3	4	5	6
34	ग्वालियर	3	45.00	45.00	45.00
35	रतलाम	3	45.00	45.00	45.00
36	शाजापुर	5	75.00	75.00	75.00
37	मंदसौर	2	30.00	30.00	30.00
38	नीमच	2	30.00	30.00	30.00
39	उज्जैन	3	45.00	45.00	45.00
40	इन्दौर	2	30.00	30.00	30.00
41	भोपाल	1	15.00	15.00	15.00
42	सिहोर	2	30.00	30.00	30.00
43	रायसेन	3	45.00	45.00	45.00
44	विदिशा	3	45.00	45.00	45.00
45	होशंगाबाद	3	45.00	45.00	45.00
46	सागर	10	150.00	150.00	150.00
47	जबलपुर	3	45.00	45.00	45.00
48	नरसिंहपुर	2	30.00	30.00	30.00
49	अलीराजपुर	5	75.00	75.00	75.00
50	सिंगरोली	1	15.00	15.00	15.00
	;kx	200	30-00 djkM	29-51 djkM	29-51 djkM

ifjf'k"V 4-10

xke iapk;rksa }kjk eujsxk fuf/k dk 0;ioŸku

lnHkZ % dafMdk 4-3 ¼i"B 52½

¼jkf'k ₹ eas½

l- Ø-	xke iapk;r	miyC/k fuf/k*	0;;				;ksx
			foKkiu	y?kq lkexh	ekuns;	vfxze	
1	बारा	307298	32000	–	–	–	32000
2	भानगढ़	97948	29000	–	–	–	29000
3	डाडोल	610023	–	–	13200	–	13200
4	बिलूपुरा	850000	27562	5010	–	–	32572
5	दाबिया	1008846	2500	28335	22000	–	52835
6	दार्रोनी	219960	–	–	–	19960	19960
7	डोंगर	62785	27039	–	–	–	27039
8	गडीहारोद	800000	28059	4100	–	–	32159
9	कांकर	337446	–	–	–	236313	236313
10	करपाना	300000	26542	–	–	–	26542
11	कारिअहमदपुर	175951	24528	–	–	–	24528
12	कजूरी	639100	–	–	–	–	27952
13	ख्याब्दा कलां	261677	8000	5972	3000	–	16972
14	कालोथरा	298105	27100	720	–	–	27820
15	करसेना	328031	26095	–	–	–	26095
16	कोदावदा	117372	–	–	4800	–	4800
17	कोटा	92924	–	6000	–	–	6000
18	कुंवरपुरा	409102	30072	6570	–	–	36570
19	कुशियारा	261744	35600	4680	–	–	40280
20	लालगढ़	2199714	6000	8263	..	1199714	1213977
21	मझेरा	169096	–	–	7200	–	7200
22	मोहनगढ़	535000	–	3200	–	–	3200
23	रायश्री	399788	27169	1200	13200	–	41569
24	सकलपुर	99578	27876	–	–	–	27876
25	संतनबाड़ा कलां	896402	30934	–	–	–	30934
26	संतनबाड़ा खुर्द	200000	27196	–	–	–	27196
27	सिकराबदा	1200000	28350	2256	–	–	30606
28	सिरसोद	333780	–	–	–	133780	133780
29	सुंद	879700	30947	9545	–	–	40492
30	टोंगरा	400000	32809	–	–	–	32809
31	करई कौरउ	217137	35862	–	–	–	35862
32	मुडेरी	149651	29627	–	–	–	29627
	;ksx	14858158	600867	113803	63400	1589767	2367765

* प्रारंभिक शेष एवं वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त निधि

©

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक